द्वितीय माला, खण्ड ५०—अंक ५

सोमवार, २० फरवरी, १९६१
१ फाल्गुन, १८८२ (शक)

# लोक-सभा
# वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

( खण्ड ५० में अंक १ से अंक १० तक हैं )

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

१ रुपया (देश में)

४ शिलिंग (विदेश में)

# विषय सूची

**द्वितीय माला, खण्ड ५०—अंक १ से १०—१४ से २७ फरवरी, १९६१/२५ माघ से ८ फाल्गुन १८८२ (शक)**

**अंक १—मंगलवार, १४ फरवरी, १९६१/२५ माघ, १८८२ (शक)**


| | पृष्ठ |
|---|---|
| सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . . . | १ |
| निधन संबंधी उल्लेख . . . . . | १ |
| राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया . . | २—७ |
| विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . | ७—८ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ८—९ |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०—६१ . . | ९ |
| सदस्य द्वारा पद त्याग . . . . . | ९ |
| प्रसूति लाभ विधेयक . . . . . | १० |
| संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना | |
| बीमा (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . . . | १० |
| दैनिक संक्षेपिका . . . . . | ११—१३ |


**अंक २—बुधवार, १५ फरवरी, १९६१/माघ २६, १८८२ (शक)**


प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

| | |
|---|---|
| *तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ और २३* . . . | १५—३६ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

| | |
|---|---|
| तारांकित प्रश्न संख्या ९ से २२ और २४ से ४२ . | ३७—५२ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४५ और ४७ से ५७ . . | ५२—८० |

स्थगन प्रस्ताव

| | |
|---|---|
| कुछ बैंकों को शोध-विलम्ब-काल की मंजूरी दी जाने से उत्पन्न स्थिति . | ८०—८२ |
| कांगों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . . | ८२—८६ |
| स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . . . | ८७ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . | ८७—९१ |
| अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६०—६१ . . . | ९१ |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . | ९१—९३ |
| अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में शुद्धि . . . | ९३ |
| रेलवे अनुव्ययक (१९६१—६२)—उपस्थापित . . . | ९४—१२० |
| दैनिक संक्षेपिका . . . . . | १२१—१२८ |

अंक ३—गुरुवार, १६ फरवरी १९६१/२७ माघ, १८८२ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ४६, ४८ से ५५ और ५७ . १२९—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ५६ और ५८ से ८२ . . १५५—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८ से १४८ और १५० से १६३ . १६७—२२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३९ के उत्तर में शुद्धि . . . २२१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २२१–२२

प्राक्कलन समिति—

सौवां प्रतिवेदन . . . . . २२३

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड . . . . . २२३

सभा का कार्य . . . . . २२४

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . . . २२४

विचार प्रस्ताव . . . . . २२४—६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छियत्तरवां प्रतिवेदन . . . . . २६४

कार्य मंत्रणा समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . . . . २६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६६—७३

अंक ४—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१/२८ माघ, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४ से ९३ . . . . २७५—३०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ और ९४ से १४० . . . ३०१—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४ से २५१ . . . ३२४—६२

दिनांक १६-११-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर में शुद्धि . ३६२

स्थगत प्रस्तावों के बारे में . . . . . ३६२–६३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३६३–६४

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पांचवां प्रतिवेदन . . . . . ३६४

प्रसूति लाभ विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . ३६४

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर में शुद्धि . . . | ३६५ |
| कार्य मंत्रणा समिति-- | |
| इकसठवां प्रतिवेदन . . | ३६५ |
| सभा का कार्य . . . | ३६५—६६ |
| समिति का निर्वाचन-- | |
| मानव विज्ञान के लिये केन्द्रीय परामर्श बोर्ड | ३६६ |
| सभा के कार्य के बारे में . . . . . | ३६६ |
| द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक-- | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . | ३६६—८७ |
| खंड २ से ८ | ३६९—८७ |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— | |
| छियत्तरवां प्रतिवेदन . . . . . | ३८७—८८ |
| कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प-- | |
| अस्वीकृत . . . . . | ३८८—९४ |
| राजनैतिक प्रचार के लिये धार्मिक स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध सम्बन्धी संकल्प | ३९५--४०६ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . . . | ४०७ |


अंक ५—सोमवार, २० फरवरी, १९६१/१ फाल्गुन, १८८२ (शक)


| | |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १५४ और १५७ | ४१५—४२ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १४१, १५५, १५६, और १५८ से १६७ | ४४२—४८ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ से २८८ | ४४८—६४ |
| निधन सम्बन्धी उल्लेख | ४६४ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ४६४ |
| प्रक्कलन समिति-- . . . . | ४६५ |
| एकसौ छै वां प्रतिवेदन | |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| उत्तर प्रदेश में कोयले और कोक की अत्यधिक कमी | ४६५—६८ |
| समिति के लिये निर्वाचन — | |
| राजघाट समाधि समिति . . . . | ४६८ |
| द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) विधेयक, १९६०— | |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| खण्ड ३, ६ और अधिनियम सूत्र . . . . | ४६८ |
| पारित करने का प्रस्ताव . . . . . | ४६९—७४ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . | ४७४—५१८ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . | ५१९—२२ |


**अंक ६—मंगलवार, २१ फरवरी, १९६१/२ फाल्गुन, १८८२ (शक)**


| | |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १७१ और १७४ से १८२ | ५२३—४९ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७३, १८३ से २०६ | ५४९—६५ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या २८९ से ३५४ | ५६५—९३ |
| स्थगन प्रस्ताव के बारे में | ५९३—९४ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र . . | ५९४—९७ |
| रेलवे समय सारिणी के प्रकाशन के बारे में याचिका . | ५९७ |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| "हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड", दिल्ली का बन्द होना . | ५९७ |
| उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक—पुरःस्थापित . | ५९८ |
| उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य— | |
| सभा पटल पर रखा गया . . . | ५९८ |
| बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधयक—पुरःस्थापित | ५९८ |
| बैंकिंग समवाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य— | |
| सभा पटल पर रखा गया . . . . . | ५९९ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव | ५९९—६३९ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . | ६४०—४७ |


**अंक ७—बुधवार, २२ फरवरी, १९६१/३ फाल्गुन, १८८२ (शक)**


| | |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या २०७ से २१२, २१४, २१६ और २१८ . | ६४७—७० |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या २१३, २१५, २१७, २१९ से २५० . | ६७०—८६ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या ३५५ से ३५८ और ३६० से ४१५ . | ६८७—७१३ |
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| चीनी आक्रमण का कथित खतरा . . . | ७१४ |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ७१४—१७ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| एकसौ तीनवां प्रतिवेदन | ७१७ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव | ७१७—५९ |
| दैनिक संक्षेपिका | ७६०—६७ |

**अंक ८—गुरुवार, २३ फरवरी, १९६१/४ फाल्गुन, १८८२ (शक)**

| | |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या २५१, २६३, २५२ से २५९, और २६८ | ७७१—९४ |
| अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ | ७९४—९६ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६२, २६४ से २६७ और २६९ से २८० | ७९६—८०६ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४७० | ८०६—३२ |
| स्थगन प्रस्ताव के बारे में | ८३२ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ८३३ |
| रेल रोड पुल के निर्माण के बारे में याचिका | ८३३ |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव | ८३३—६१ |
| अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०-६१ | ८६१—६८ |
| दैनिक संक्षेपिका | ८६९—७३ |

**अंक ९—शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१ / ५ फाल्गुन, १८८२ (शक)**

| | |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या २८१ से २८९, २९१, २९२, २९४ और २९६ | ८७५—९८ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या २९०, २९३, २९५ और २९७ से ३१७ | ८९८—९१० |
| अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ से ५४४ | ९१०—४६ |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | ९४६ |
| लोक लेखा समिति— | |
| तेतीसवां प्रतिवेदन | ९४६ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| एक सौ सत्तरवां प्रतिवेदन | ९४६ |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| सभा का कार्य . . | ६४७ |
| सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में . . . . | ४७—४८ |
| अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१ . . | ६४८—७४ |
| भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन) . | ६७४ |
| श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य का—पुरःस्थापित . | ६७४ |
| दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१-क का रखा जाना) श्री तंगामणि का— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत | ६७४—७८ |
| सदस्य की गिरफ्तारी . . . . | ६८१ |
| हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) श्री अजित सिंह सरहदी का— | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . | ६८२ |
| परिचालन करने का संशोधन—स्वीकृत हुआ . . | ६८२—८८ |
| ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के सम्भरण का अन्त विधेयक— | |
| श्री अरविन्द घोषाल का— | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . . . | ६८८ |
| दैनिक संक्षेपिका . . | ६८९—९४ |
| **अंक १०, सोमवार, २७ फरवरी, १९६१/८ फाल्गुन, १८८२ (शक)** | |
| निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . . | ९९५ |
| दैनिक संक्षेपिका . | ९९६ |


नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—2079 (Ai) LSD—27-3-61—125

# लोक-सभा वाद-विवाद

## लोक-सभा

सोमवार, २० फरवरी, १९६१

१ फाल्गुन, १८८२ शक

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

#### प्रत्यर्पण विधि का संशोधन

†*१४२. { श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यर्पण विधि में संशोधन करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विधि किन देशों पर लागू होगी ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). जी, हां । भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित विधि का समेकन तथा संशोधन करने के लिये प्रत्यर्पण विधेयक शीघ्र ही लाने का प्रस्ताव है जिस में विभिन्न देशों पर इसके लागू होने के बारे में कुछ उपबंध भी होंगे ;।

†श्री प्र० गं० देव : इस प्रत्यर्पण विधि के प्रयोग के बारे में कौन से देश अपना सहयोग दे रहे हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर- लाल नेहरू) : सहयोग देने का कोई प्रश्न नहीं है । कुछ देशों के साथ हमारे समझौते और सन्धियां हैं और कुछ देशों के साथ नहीं है। सहयोग देने या न देने का कोई प्रश्न नहीं है ।

†श्री प्र० गं० देव : क्या पाकिस्तान, लंका और बर्मा इस बारे में अपना सहयोग दे रहे हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं 'सहयोग' शब्द का अर्थ नहीं समझा । या तो उन के साथ हमारे समझौते है या नहीं हैं । कुछ देशों के साथ हम इस के बारे में बहुत समय से चर्चा कर रहे हैं, यह अभी

†मूल अंग्रेजी में



1982(Ai)LSD—1.

निलम्बित है। जिन देशों ने मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया है, उन के साथ भी कुछ कठिन बातें हैं। दोनों के द्वारा उचित फार्मूला स्वीकार किये जाने में हमें पत्र व्यवहार में कई वर्ष लगे हैं।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान ने इस प्रत्यर्पण विधि को स्वीकार कर लिया है जो भारत सरकार बनाना चाहती है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : किसी देश ने इनकार नहीं किया। प्रश्न यह है कि कुछ बातें उत्पन्न होती हैं, कुछ थोड़ी भिन्न बातें उत्पन्न होती हैं, जिन की हम चर्चा करते हैं, फार्मूला बनाते हैं और लगातार चर्चा होती रहती है कि इसे किस प्रकार किया जाय और किस प्रकार इसे लागू किया जाय। परन्तु इसे इस प्रकार कहना कि कोई देश हमारे साथ सहयोग देने को तैयार नहीं है, ठीक नहीं होगा।

†श्री साधन गुप्त : अब तक हमारी प्रत्यर्पण सन्धियां किन देशों के साथ हैं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वकील हैं ;। वह पुस्तकों में देख सकते हैं।

†श्री साधन गुप्त : पुस्तकों में पता नहीं लगेगा कि कौन से देश हैं।

†अध्यक्ष महोदय : वह ऐसे न्यायालय में कैसे वकालत करेंगे जहां प्रत्यर्पण का लाभ उठाना पड़ेगा ?

†श्री नाथ पाई: यह बड़ी न्यायसंगत सूचना मांगी जा रही है। जिन देशों के साथ हमारी ऐसी सन्धियां हैं उनके नाम सभा को बताना प्रधान मंत्री का कर्तव्य है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैरिस्टर हैं।

†श्री नाथ पाई : जी, हां।

†अध्यक्ष महोदय : मैं ने भी कुछ देर वकालत की है। जब हमारे देश में विभिन्न राज्य थे, तो दीवानी प्रक्रिया, गिरफ्तारियों, प्रत्यर्पण आदि के मामले में हमें इन शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। मुझे यह आपत्ति है कि एक या दो देश नहीं हैं। माननीय सदस्य उन सब देशों की सूची चाहते हैं जिन के साथ हमारे प्रत्यर्पण समझौते हैं। मैं ऐसी सूचना दिये जाने की कैसे अनुमति दे सकता हूं ? क्या मैं कह दूं कि वे सभी उन्नीस देशों के नाम बतायें . . . .

†श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री सूचना दे सकते हैं।

†अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। यदि प्रधान मंत्री उत्तर देना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं सूचना देने को तैयार हूं। किन्तु मैं अब नहीं दे सकता क्योंकि सूची अब मेरे पास नहीं है। यह सामान्य प्रत्यर्पण विधि है, निस्सन्देह, जिस के आधार पर हम चलेंगे। हमारे मार्ग में कठिनाइयां हैं, मुख्यतया राष्ट्रमंडलीय देशों के बारे में की विधियों से मेल खायें। इस मामले में किसी देश से कोई विवाद नहीं। अतः हमें सामान्य विधि बनानी होगी और साधारणतया हम पारस्परिक आधार पर प्रत्येक देश के साथ समझौते करते हैं।

†श्री हेम बरुआ : क्या हम ब्रिटेन में 'फिजो' के भाग जाने की बात को ध्यान में रखते हुए, ब्रिटेन के साथ इस मामले की चर्चा कर रहे हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह विधि ससद् को पारित करनी है। यदि यह पारित हो जाती है, तो उस के आधार पर हम उन के साथ चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के संबध में, जिस के बारे में एक सदस्य ने पूछा है, हमारी उन के साथ इस समय कोई प्रत्यर्पण सन्धि नहीं है, अंशतः इसलिये कि हमारे

---

†मूल अंग्रेजी में

पास यह नहीं थी और हम इस विधि को बना रहे हैं---यह विधि हमेशा सरल प्रतीत हुई है---परन्तु यह हमारे पास थी, मुझे पता नहीं कि कितने वर्षों से हमारे अपने बीच में इस विषय पर चर्चाएं होती रही हैं ।

†श्री तंगामणि : क्या प्रत्यर्पण विधि सभी राष्ट्रमंडलीय देशों पर लागू होती है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह उन पर लागू होती हैं जिन के साथ हमारी सन्धियां हैं । हमारी विधि हमारे ऊपर लागू होती है और उन पर जिन के साथ हमारी सन्धि है । उन के साथ हमारी पृथक सन्धियां नहीं, परन्तु हम यहां जो विधियां बनायेंगे उनके अनुसार सन्धियां होंगी ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात की दृष्टि से जो उपमंत्री ने कही है कि हम इस मामले पर विधि बनाने का विचार कर रहे हैं, क्या हमारे क्षेत्र में ब्रिटेन समेत राष्ट्रमंडलीय देश होंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : इस में पूरा विश्व है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : किन्तु यह कठिनाई है और वह यह कि यह विलम्ब कैसे हुआ ; यह पारस्परिक आधार पर प्रत्येक पर लागू होगी । अतः हो सकता है कि कुछ देशों के साथ इस में भिन्नता हो परन्तु यह इस विधि के अन्तर्गत होगा । यह प्रत्यर्पण विधि इस सत्र में सभा के सामने रखी जायगी ।

†अध्यक्ष महोदय : तब हम इस पर अच्छी तरह चर्चा कर सकते हैं ?

**महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म**

+

*†१४३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी जी पर फिल्म तैयार करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कब तक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये वितरित की जायेगी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : (क) और (ख) फ़िल्म की तैयारी का कार्य चल रहा है । उम्मीद है कि यह १९६३ के अन्त तक पूरा हो जायेगा । फ़िल्म के प्रदर्शन का प्रबन्ध इस के तैयार हो जाने के बाद किया जायेगा । फिल्म का निर्माण गांधी स्मारक निधि की देख रेख में किया जा रहा है ।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन् इस फिल्म के निर्माण की चर्चा कई वर्षों से चल रही है, और अभी सूचना दी गई है कि यह सन् १९६३ के दिसम्बर में समाप्त होगी । क्या यह इतनी बड़ी भारी या महान फिल्म बन रही है या बहुत लम्बी फिल्म बन रही है जिसके लिए इतनी देरी हो रही है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : जी हां, यह महान फिल्म बन रहा है और यह फिल्म इस प्रकार बनाना पड़ेगा कि गांधी स्मारक निधि को संतोष हो कि फिल्म अच्छी और पर्याप्त

†मूल अंग्रेज़ी में

है और फिल्म का प्रोडक्शन भी उन्हीं की देख रेख में हो रहा है। इसलिए मैं मंत्रालय की तरफ से कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वह इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा जितनी जल्दी कि माननीय सदस्य चाहते हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : समय के प्रश्न के अलावा, यथार्थ में इसे कौन तैयार कर रहा है ? निर्देशक कौन है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो फिल्में बनाता है, उनका निर्माता फिल्म डिवीजन होता है ; और वह प्रत्येक काम के लिए एक निर्देशक निश्चित करा देता है। परन्तु इस फिल्म का निर्देशक गांधी स्मारक निधि के पर्यवेक्षण में काम कर रहा है, जिसने श्री विट्ठलभाई झावेरी की इस मामले में उनकी ओर से काम करने के लिए नियुक्त किया है।

डा० गोविन्द दास : यह जो फिल्म बन रहा है, क्या इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि यह समस्त भारतीय भाषाओं में भी बने ?

डा० केसकर : पहले तो यह हिन्दी में बन रहा है, अन्य समस्त भारतीय भाषाओं में भी बनेगा। मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हू कि फिल्म बनाने के लिये जो मैटीरियल हमारे पास है, यानी जो अलग अलग शाट गांधी जी के हैं वह तादाद में बहुत ज्यादा हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उनको जोड़ कर एक चित्र बनाना है जिससे विशेष दिक्कत हो रही है। किसी ऐक्टर को लाकर गांधी जी का फिल्म नहीं बनाया जा रहा है।

†श्री रामभरोसे गुप्त : अब तक कितना खर्च किया जा चुका है और कुल कितना खर्च होगा ?

†डा० केसकर : मेरे पास इस फिल्म के आंकड़े पृथक नहीं हैं। हम कई फिल्में बना रहे हैं। व्यय फिल्म की लम्बाई पर निर्भर होगा।

†श्री पलनियांडी : गांधी जी पर तामिलनाद के श्री ए० के० चेट्टियार ने पहले से एक फिल्म बना रखी है, क्या सरकार इस फिल्म को बनाने से पहले उससे भी परामर्श करेगी ?

†डा० केसकर: जी, हां। गांधी जी पर जितनी फिल्में बनी हैं उन सब को ध्यान में रखा जाएगा।

†श्री त्यागी: क्या यह मूवी फिल्म होगी या सिनेमा फिल्म होगी या मैजिक लैंटरन फिल्म होगी ?

†डा० केसकर : यह प्रलेखनीय फीचर फिल्म है : इसका यह प्रविधिक नाम है। दो प्रकार की फीचर फिल्में होती हैं ; जो आजकल तैयार की जाती हैं। हम जीवित अभिनेताओं द्वारा महात्मा गांधी का अभिनय करा सकते हैं। यह एक तरीका है। दूसरा यह है कि गांधी जी के जीवन के केवल वास्तविक चित्र लिये जायें और उन्हें उपयुक्त पृष्ठ भूमि के साथ बांध दिया जाए और एक प्रकार की फीचर प्रलेखीय तैयार की जाए। इसी प्रकार की फीचर प्रलेखीय तैयार करने की योजना बनाई गई है। हम उचित नहीं समझते कि कोई व्यक्ति महात्मा गांधी का अभिनय करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

**डा० सुशीला नायर :** एक डाक्युमेंटरी फिल्म पहले भी गांधी जी के बारे में निकली थी और वह बहुत जगहों पर दिखाई गई थी। वह फिल्म गांधी स्मारक निधि के तत्वावधान में बनी थी। क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो अब एक नई फिल्म बनाई जा रही है इसमें और वह जो पहले डाक्युमेंटरी फिल्म दिखाई जा चुकी है, क्या कोई विशेष और मूल भेद है या कि यह उसी प्रकार की ही चीज बन रही है ?

**डा० केसकर:** यह उसी प्रकार की चीज है। जो दो छोटी छोटी डाक्युमेंटरीज बन चुकी हैं वे गांधी जी के चरित्र के विशेष अंग पर ही हैं। यह नई फिल्म होगी तो उसी प्रकार की लेकिन इस बड़ी डाक्युमेंटरी में सारा उनका चरित्र लिया जायगा।

**डा० सुशीला नायर :** श्रीमन्, मेरा अर्थ छोटी छोटी डाक्युमेंटरीज से नहीं है। एक फुल लैंथ डाक्युमेंटरी जो गांधी जी के बारे में बन चुकी है और जो दिखाई जा चुकी है, २, ३ वर्ष पहले दिल्ली के ही सिनेमा हाउसेज में दिखाई गई थी और जो कि श्री देवदास गांधी की देखरेख में बनी थी मेरा उस फिल्म की ओर इशारा है और मैं यह जानना चाहती हूं कि यह जो अब नई फिल्म बन रही है यह उससे किस प्रकार से अलग होगी और इसके बारे में क्या कुछ बताया जा सकता है ?

**डा० केसकर :** जी हां यह उससे ज्यादा विस्तृत और पूरी होगी। श्री देवदास गांधी ने जो फिल्म बनाई थी वह उस वक्त जो उनके पास मैटीरियल उपलब्ध था और जो मिल सकता था उससे वह फिल्म उन्होंने बनवाई थी। यह नई डाक्युमेंटरी फिल्म बड़ी और ज्यादा विस्तृत होगी। वैसे मूल कल्पना श्री देवदास गांधी को उस फिल्म की है जो कि उन्होंने खुद बनाई थी।

†**श्री गोरे :** इस फिल्म के महत्व की दृष्टि से क्या सरकार ने निदेशक के बारे में निर्णय कर लिया है ?

†**डा० केसकर :** प्रमुख रूप से चलचित्र फिल्म डिवीजन के प्रमुख निर्माता के निर्देशन में तैयार किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा गांधी स्मारक निधि ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है जो इस उत्पादन में सहायता देगा।

**श्री जगदीश अवस्थी:** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो गांधी जी का जीवन चरित्र सम्बन्धी चित्र बनेगा तो उस फिल्म में क्या उनके जीवन चरित्र की समस्त घटनाओं को लिया जाएगा या केवल कुछ घटनाओं को ही लेकर बनाया जायगा ?

**डा० केसकर :** उस फिल्म में ज्यादातर घटनायें आ जायेंगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी खास घटना को बतलाने के लिये कोई नया मैटीरियल तैयार करना पड़े तो शायद उसमें उसका चित्रण न हो पाये लेकिन ठीक तौर से यह अभी में बतला नहीं सकूंगा।

**डा० गोविन्द दास :** गांधी जी के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले जो और अनेक लोग हैं उनके लिए भी क्या इस फिल्म में कोई आदमी लिये जायेंगे और क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस प्रकार के जीवित साथियों को दिखलाने के लिये एक खास तरह के चेहरों का प्रयोग किया जाता है और जो कि मोम के बनते हैं और जिस कला का विकास अमरीका में खास तौर पर हुआ है तो क्या इस बारे में अमरीका से या विदेशों से कोई मदद लेकर इस तरह के लोगों को यहां पर लाया जा सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० केसकर : जिस प्रकार के फिल्म प्रोडक्शन की कला का जिक्र माननीय सदस्य ने किया वह भी हमारे ध्यान में है । मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा कि हमने लोकमान्य तिलक पर एक फिल्म बनाई जिसमें इस प्रकार का प्रयत्न किया गया और अभी श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर पर जो फिल्म बन रही है उसमें भी उस का प्रयत्न किया जा रहा है । अभी जो आप कह रहे हैं उसको भी ध्यान में रखा जायगा ।

श्री विभूति मिश्र : गांधी जी का कार्य चम्पारन से शुरू हुआ था तो मैं जानना चाहता हूं कि चम्पारन में गांधी जी ने जो सारा कार्य किया वह सारा मैटीरियल आपके पास आ गया है कि जिसको लेकर कि आप इस तरह का फिल्म बनायें ?

डा० केसकर : उस का मैं यहां जवाब न दे सकूंगा । माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो मैं उसका पता लगाने की कोशिश करूंगा कि उसका मैटीरियल भी इस फिल्म में है या नहीं ।

## भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

†*१४४. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पहाड़िया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पांगरकर :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव (श्री आ० चं० जोशी): (क) और (ख) समारोह के ब्यौरे समेत नियमों की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]

†श्री दी० चं० शर्मा : सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि समारोह गैर-प्रतियोगितात्मक होगा, तो इसे गैर-प्रतियोगितात्मक शब्द का क्या अर्थ है ?

†डा० केसकर : प्रतियोगितात्मक समारोहों में एक ज्यूरी होती है जो सर्वोत्तम फिल्म का फैसला करती है और उपयुक्त पारितोषक दिये जाते हैं । इसमें ऐसा नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वी० चं० शर्मा : विवरण में कहा गया है कि प्रविधिक मानों तथा टैक्नीक का ज्ञान बढ़ाने के लिये ऐसा किया जा रहा है । यदि पारितोषिक नहीं दिये जायेंगे तो ये दो उद्देश्य कैसे पूरे होंगे ।

†डा० केसकर : ये उद्देश्य पूरे होंगे क्योंकि विभिन्न देशों से उचित ऊंचे पैमाने की फिल्मों के प्रदर्शन से भारत के फिल्म उद्योग को नये टैक्नीक तथा नये आदर्श सीखने का अवसर मिलेगा। यही वास्तविक उद्देश्य हमारे मन में है ।

**कुछ माननीय सदस्य उठे—**

†अध्यक्ष महोदय : हम पहले दो या तीन प्रश्नों पर बहुत अधिक केन्द्रित हो रहे हैं । अगला प्रश्न लोह अयस्क के बारे में है । माननीय सदस्यों के लिये यहा केवल प्रश्न पूछने के बजाए समारोह देखना उत्तम होगा । प्रत्येक प्रश्न पर अनुपूरक होना ही चाहिए ऐसी बात नहीं । निस्सन्देह प्रत्येक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं । मैं एक सुझाव दूंगा कि इसके बाद यदि आवश्यक होगा तो मैं एक सूची बनाऊंगा और उन प्रश्नों को पहले लाऊंगा और तब दूसरे प्रश्नों को लिया जाएगा । मैं एक दिन पहले नोटिस बोर्ड पर सूची लगवा दूंगा कि मैं अमुक क्रम से प्रश्नों को पूछूंगा ।

**कुछ माननीय सदस्य उठे—**

†अध्यक्ष महोदय: एकमेव हल यही है कि माननीय सदस्यों को कुछ स्वविवेक से काम लेना चाहिये और छोटी चीजों पर अधिक बल न देकर अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जाना चाहिये । कुछ बहुत महत्व-पूर्ण प्रश्न हैं । उनके बारे में मैं अपने स्वविवेक का उपयोग नहीं करूंगा ।

†श्री ब्रजराज सिंह : प्रति दिन हम दस या कम प्रश्न लेते हैं ।

†श्री रघुनाथ सिंह : बहुत अधिक अनुपूरक पूछे जाते हैं, इसका यह कारण है ।

## जापान को लोह-अयस्क का निर्यात

+

†*१४५. श्री उस्मान अली खाँ :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य व्यापार निगम और जापान के इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच अभी हाल ही में हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप जापान ने वहां पर १९६१ में आयात किये जाने वाले लोह अयस्क की १९५९ और १९६० में अदा की गयी कीमत की तुलना में अधिक कीमत देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के पूरे तथ्य क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) इस मामले पर अभी बातचीत हो रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री उस्मान अली खां** : चैकोस्लोवाकिया ने उस देश को दिये गये लोह अयस्क के लिये क्या मूल्य दिया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : विभिन्न किस्मों के लिये और विभिन्न अवधियों के लिये समय समय मूल्यों के बारे में बातचीत की जाती है। क्योंकि हमारे ग्राहकों की संख्या बहुत है, सभा इस बात को अनुभव करेगी कि विभिन्न सौदों के लिये जो मूल्य हैं उनका प्रचार करना उचित नहीं होगा ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : अब कितने देशों को लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है और किस मूल्य पर ? कितने देश हमारे देश से लोह अयस्क खरीदने की इच्छा करते हैं और किस मूल्य पर ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य एक अतारांकित प्रश्न पूछ लें ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : मंत्री उत्तर देने को तैयार थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किन्तु, मैंने अनुमति नहीं दी । उस पर अनुपूरक होंग ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या यह सच है कि जापान ने उस से कम मूल्य देने को कहा है जितने वे पहले देते थे और इस कारण नवीन बातचीत आरम्भ हो रही है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** यह सच नहीं है । जापान हमें मूल्य दे रहा था, हम उस से अधिक मांग रहे हैं और अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है । अभी मामला विचाराधीन है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या माननीय मंत्री श्री मुहम्मद इलियास के प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं ? वे चाहें तो दे सकते हैं ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : जापान, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र, रूमानिया, हंगरी, युगोस्लाविया और इटली मुख्य देश हैं जिन को लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है ।

†**श्री महन्ती** : मैं समझता हूं कि राजकीय व्यापार निगम का एक प्रतिनिधि मंडल अब जापान में है और मूल्य के लिये बातचीत कर रहा है। जापान को लोह अयस्क का निर्यात करना स्वीकार करने से पूर्व मूल्य क्यों निर्धारित नहीं किया गया और यह नया तरीका क्यों अपनाया जा रहा है, अर्थात्, पहले निर्यात किया जता है और बाद में मूल्य निर्धारित किये जाते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: कुछ प्रभ्रन्ति है । पहले राजकीय व्यापार निगम का प्रतिनिधि मंडल जापान में नवम्बर के अन्त में और दिसम्बर के पहिले सप्ताह में था । तब मूल्य निर्धारित नहीं किये जा सके, अत: प्रतिनिधि मंडल वापिस आ गया । इस समय, जापानी इस्पात उद्योग का एक प्रतिनिधि दिल्ली में अग्रेतर बातचीत के लिये आया हुआ है । मूल्यों सम्बन्धी समझौता दीर्घ कालीन है जो १९५६ में किया गया था । तब यह फैसला किया गया था कि प्रत्येक वर्ष के लिये मूल्य अगले वर्ष के लिये, वर्ष के आरम्भ में अग्रिम रूप से निर्धारित किये जायेंगे । अत: जो माल भेजा जा चुका है उसके बारे में बातचीत नहीं हो रही बल्कि अगले वर्ष के लिये जो माल भेजा जायेगा, उस के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अन्सर हरवानी** : क्या राजकीय व्यापार निगम ने कोई अनुबन्ध किया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि घटिया किस्म का लोह अयस्क अच्छी तरह नहीं बिकता, ऊंचे किस्म के अयस्क के साथ कुछ घटिया किस्म का अयस्क भी जापान वालों को लेना होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: जी, हां। कुछ घटिया किस्म का लोह अयस्क भी जापान भेजा जा रहा है और इस बारे में एक समझौता है ।

**श्री अ० मु० तारिक**: क्या यह हकीकत है कि जापान ने इस आयरन-ओर को जापानी बन्दरगाहों तक पहुंचाने के लिये मुआहिदे में यह शर्त रखी है कि इसको जापानी स्टीमरों और जहाजों के जरिये ही पहुंचाया जायगा और हिन्दुस्तानी जहाज़ों को यह काम नहीं दिया जायगा ?

**श्री सतीश चन्द्र** : ऐसी बात नहीं है। उस एग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि कुछ हिस्सा हिन्दुस्तानी जहाज़ ले जायेंगे, लेकिन हमें उतना आयरन-ओर ले जाने के लिये भी जहाज़ नहीं मिल सके, जितना कि हम ने मुआहिदा किया था और इसलिये वह जापानी जहाज़ों में जाता है ।

**श्री अ० मु० तारिक** : इस की वजह क्या है ? हमारे स्टीमर्स उस को क्यों नहीं उठाते हैं ? इस बारे में गवर्नमेंट की पालिसी क्या है ?

**श्री सतीश चन्द्र** : मैंने बताया है कि हमारे पास इतने जहाज़ नहीं हैं और इस वजह से जितने आयरन-ओर को खुद ले जाने का हमने मुआहिदा किया वह ही हम नहीं ले जा सके ।

**श्री अन्सार हरवानी** : इस के लिये काश्मीर से शिकारे मंगा लिये जायें ।

†**श्री आचार** : क्या यह सच है कि विश्व बाजार में लोह अयस्क का मूल्य बढ़ गया है और उस कारण जापान ने अधिक मूल्य देने को कहा है ?

**श्री सतीश चन्द्र** : ठीक इसी बारे में बातचीत हो रही है। क्योंकि इस्पात उद्योग की स्थिति आज दो या तीन वर्ष पहले की तुलना में उत्तम है, हम लोह अयस्क का मूल्य बढ़ाना चाहते हैं ।

†**श्री मुहम्मद इमाम**: क्या यह सच नहीं है कि प्रारम्भ में जापान पूर्वी पत्तनों से ६० लाख टन लोह अयस्क खरीदने को तैयार था ? क्या समझौता किया गया था और मूल्य निर्धारण के लिये क्या शर्तें थी ?

**श्री सतीश चन्द्र** : पूरा प्रश्न इस पर आधारित है। मूल समझौता अगले पांच वर्षों में ७२ लाख टन लोह अयस्क भेजने के बारे में १९५६ में किया गया था। प्रति वर्ष माल भेजा जाता है और मूल्यों की बातचीत की जाती है। क्योंकि इस्पात उद्योग में मन्दी थी, पिछले दो वर्षों में कम दाम लिये गये थे। जब उद्योग की स्थिति उत्तम है, हम अगले वर्ष अधिक दाम चाहते हैं। और मूल समझौते के अनुसार बात चीत हो रही है जिस में एक शर्त यह थी कि प्रत्येक वर्ष के लिये मूल्य, विश्व बाजार की स्थिति के आधार पर अग्रिम रूप से निर्धारित किये जायेंगे ।

†**श्री मुहम्मद इमाम**: यदि दोनों देशों का मूल्य निर्धारण के बारे में कोई समझौता नहीं होता तो क्या स्थिति होगी ? क्या मूल समझौता शून्य हो जायेगा अथवा वह लागू भी रहेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं यह निराशा वादी विचार नहीं रखना चाहता। व्यापार सम्बन्धी वार्तालाप में कुछ समझौते होते हैं। अन्तर बहुत अधिक नहीं है। हम मूल मूल्य से प्रति टन दो या तीन शिलिंग अधिक मांग रहे हैं, और धीरे धीरे समझौता हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर:** क्या उन देशों में किसी ने, जो हमारे लोह अयस्क का आयात कर रहे हैं, जापान द्वारा दिये जाने वाले मूल्य से अधिक मूल्य देने की पेशकश की है ? (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह प्रश्न समझ में आ गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जी, हां। जिस ग्रेड का अयस्क दिया जाता है उसके अनुसार तथा उस समय की विश्व बाजार स्थिति और भारत से उस देश तक भाड़े के अनुसार प्रत्येक सौदे के लिये मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। आयात करने वाला देश भी चित्र में आता है, क्यों कि हो सकता है कि उस देश के लिये और कहीं से माल लेना सस्ता पड़े। मूल्य निर्धारित किये जाने से पहिले बहुत सी बातों पर विचार करना पड़ता है और इस विषय में कोई एकरूपता नहीं हो सकती।

**श्री पाणिग्रही :** क्या समझौता केवल ६० प्रतिशत उत्तमता वाले लोह अयस्क के लिये है और यदि हां, तो क्या जापानी ८२ शिलिंग देने को तैयार हैं क्यों कि भारत सरकार ८४ शिलिंग प्रति टन मांग रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैं मूल्य सम्बन्धी वार्तालाप के मामले में नहीं पड़ना चाहता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या यह सच है कि जापान जिन देशों से लोह अयस्क का आयात करता है, उन में से, भारत का लोह अयस्क सब से सस्ता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जापान कहता है कि ऐसी बात नहीं है। (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री मुरारका :** राजकीय व्यापार निगम रूरकेला को किस मूल्य पर लोह अयस्क देता है और यह किस मूल्य पर निर्यात कर रहा है ? क्या यह सच नहीं है कि निर्यात मूल्य उस मूल्य से कुछ कम है, जिस पर यह रुरकेला इस्पात संयंत्र को बेचा जाता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** राजकीय व्यापार रूरकेला इस्पात संयंत्र को कुछ नहीं बेचता, स्थानीय सदस्य को भ्रांति है।

†**श्री मुरारका :** कुछ दिन पूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव ने सभा को बताया था कि उन्होंने ग्यारह महीने में जो कुछ खरीदा था वह राजकीय व्यापार निगम से खरीदा था। अतः क्या यह निगम रुरकेला संयंत्र को अपने निर्यात मूल्य से कम मूल्य पर अयस्क बेच रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री इस की जांच करेंगे।

†**श्री सतीश चन्द्र :** राजकीय व्यापार निगम लोह अयस्क निर्यात करता है। मैंने वह उत्तर नहीं देखा जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह उत्तर किसने दिया था ?

†**श्री मुरारका :** तीन दिन पहिले इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव ने दिया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कृपया माननीय मंत्री स्पष्टीकरण करेंगे। माननीय मंत्री का मत है कि राजकीय व्यापार निगम केवल निर्यात करता है और रुरकेला को नहीं बेचता। सभा सचिव द्वारा कही गई बात भिन्न प्रतीत होती है। जब तक माननीय मंत्री भी कार्यवाही को न देखें और फिर सभा सचिव से बात न कर लें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था उनका ऐसा विश्वास क्यों है, इसके बारे में अधिक प्रश्न पूछे जाने का क्या लाभ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गोरे : यह छोटी चीज नहीं हो सकती जो वह दुर्गापुर को बेच रहे हैं। यह हजारों लाख टन है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस के बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं । यह महत्व का मामला है कि राजकीय व्यापार निगम यदि बेचता है तो इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क अधिक मूल्य पर क्यों बेचता है । माननीय मंत्री कहते हैं कि यह निगम नहीं बेचता । अतः वह स्वयं इस मामले की पड़ताल करेंगे और किसी दिन वक्तव्य देंगे ।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : निश्चय ही हम इसकी जांच करेंगे, किन्तु मैं समझता हूं कि किसी अन्य निगम का उल्लेख किया गया होगा अर्थात् खनिज निगम का और माननीय सदस्यों ने गलत समझ लिया होगा ।

†श्री ब्रजराज सिंह : उन्होंने राजकीय व्यापार निगम का उल्लेख किया था ।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्या कहा था इस की कल्पना क्यों करते हैं? मामले की जांच की जायेगी ।

## दिल्ली में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिये होस्टल

†*१४६. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अकेली रहने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिये प्रस्तावित होस्टल की योजना और प्राक्कलन के अग्रेतर पुनरीक्षण का कार्य इस बीच पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन पुनरीक्षित योजनाओं के अन्तर्गत किराया क्या होगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'न' में हो, तो इन योजनाओं के पुनरीक्षण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में कुछ समय लगेगा । अभी निश्चित रूप से कोई तिथि नहीं बतायी जा सकती ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या पुनरीक्षित योजना के अधीन प्रस्तावित होस्टल का विस्तार किया जायेगा ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : हमारा विचार यह है कि २५०–५०० रुपये के वेतन दल में आने वाले ८० प्रतिशत सरकारी महिला कर्मचारियों और ५० प्रतिशत पुरुष कर्मचारियों को आवास दिया जाये ।

†श्री हेम बरुआ : "महिला" शब्द के प्रयोग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य प्रोफेसर हैं और सम्भवतः अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं । मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर नहीं हूं । परन्तु सब जगह और विशेषतः किसी भी रेलवे स्टेशन पर आपको 'पुरुष' 'महिलायें'

---

†मूल अंग्रेजी में

शब्द मिलेंगे। इस से केवल वर्ण का पता चलता है। संभवत: 'पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी' अधिक उपयुक्त शब्द हो सकते हैं। मैं कार्यालय से ये शब्द प्रयोग करने को कहूंगा परन्तु ये शब्द उन्हें प्रश्न से ही मिले हैं और यदि उसमें कोई परिवर्तन कर देते तो प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य ही कहते "आपने शब्दों को क्यों बदला ?" वह भी कठिनाई है। माननीय सदस्य बाहर यह तै करके मुझे बता दें कि कौन से शब्द इस्तेमाल किये जायं।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या प्रस्तावित होस्टल के लिये कोई जगह चुन ली गई है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : जी हां। जहां तक पुरुष कर्मचारियों के लिये होस्टल का सम्बन्ध है, यह लोधी रोड क्षेत्र में है। जहां तक महिला कर्मचारियों का सम्बन्ध है, यह कर्जन रोड क्षेत्र में है जिस का नाम सिरमूर प्लाट है, जो इस समय हमारे कब्जे में नहीं है। यह वर्तमान गुजरात राज्य का है। हम उस प्लाट को खरीदने के लिये उन से बातचीत कर रहे हैं।

†श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि होस्टल बनाने की जो योजना है यह बहुत पहले की है, तो फिर इसको कार्यान्वित करने में इतनी देर क्यों हो रही है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : इस में बहुत सी कठिनाइयां इस प्रकार हैं कि इस से विभिन्न मंत्रालय सम्बन्धित हैं। यह गृह मंत्रालय है जो कि कर्मचारियों के लिये संरक्षण के रूप में है, वित्त मंत्रालय है, जिसको धन देना है और हमारा मंत्रालय है जिसे इमारत बनानी है। फिर कई समस्यायें हैं कि ये एक कमरे वाले हों या दो कमरों वाले। इन के साथ गुसलखाने लगाये जायें या नहीं आदि। इन सब समस्याओं को देखना है और इस में समय लगता है।

†डा० सुशीला नायर : यह होस्टल एकाकी सरकारी महिला कर्मचारियों के लिये है। क्या इस में बच्चों वाली महिलओं को नहीं रखा जायेगा ? कई महिलायें ऐसी हैं जिन के साथ कोई पुरुष नहीं है और वे काम कर के आजीविका का उपार्जन कर रही हैं जैसे विधवायें आदि जिन के बच्चे हैं। ऐसी महिलाओं के लिये भी होस्टल आवास उपलब्ध होना चाहिये। क्या उपमंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि क्या उन को भी इस में शामिल किया गया है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : यह एक दूसरी समस्या है जो बच्चों वाली अकेली औरतों के बारे में है। सामान्य तौर से पांच या छ: वर्ष की आयु के बच्चों के बारे में, मेरे ख्याल में, उन को होस्टल में जगह देने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

†श्री हेम बरुआ : क्या ये एकाकी सरकारी महिला कर्मचारी होस्टल उन के एकाकी रहने के लिये ही एक प्रेरणा नहीं होगा।

†अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अगला प्रश्न।

## तीसरी पंचवर्षीय योजना

+

†*१४७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री हेम राज :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसदीय समितियों द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा करने के परिणामस्वरूप योजना की नीति, परिव्यय और आवंटन में यदि कोई परिवर्तन करना स्वीकार किया गया है, तो वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र): तीसरी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने में संसदीय समिति की चर्चा में बतायी गई बातों को ध्यान में रखा जा रहा है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथर : मेरा प्रश्न है कि क्या उन्होंने आवंटन में कोई परिवर्तन किये हैं। वह कहते हैं, कि बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। उन को ध्यान में रखने का परिणाम क्या निकला है ? अब उन्होंने योजना को अन्तिम रूप दे दिया है और राष्ट्रीय विकास परिषद् ने उस का अनुमोदन कर दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप उन्हों ने आवंटन में कोई परिवर्तन किये हैं। इन संसदीय समितियों में कुछ बातों पर बहुत जोर दिया गया था और मैं यह जानना चाहत हूं कि क्या इन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप, उन्होंने आवंटन में कोई परिवर्तन किये हैं। जब योजना को अन्तिम रूप दिया गया है तो इन बातों को ध्यान में रखने का क्या लाभ है ?

†श्री इया० नं० मिश्र: यह धारणा ठीक नहीं है। योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। हमें लगभग दो-तीन माह लगेंगे अर्थात् अप्रैल तक हमारा इस को अन्तिम रूप देने का विचार है। अतः इस समय सब बातें विचाराधीन हैं। जहां तक वित्तीय व्यय का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह किया कि उस ने व्यय को ७२५० करोड़ रुपये से बढ़ा कर ७५०० करोड़ रुपये कर दिया। उस ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम को ८००० करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : योजना मंत्री और योजना आयोग को विशेष रूप से यह बता दिया गया था कि अस्थायी योजना आवंटनों के, परिणामस्वरूप, तीसरी योजना के अन्त में पिछड़े हुए क्षेत्रों और तुलनात्मक विकसित राज्यों के बीच खाई काफी चौड़ी हो जायेगी। क्या उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया है और वे इस मामले में क्या कार्यवाही करेंगे ?

†श्री इया० नं० मिश्र : यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि इन सब बातों पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। इस समय योजना आयोग के विभिन्न विभाग उन पर विचार कर रहे हैं। अन्त में योजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व उनपर योजना आयोग के सदस्य विचार करेंगे।

†श्री रघुनाथ सिंह : अभी वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री महोदय ने बताया कि लौह-अयस्क को जापान ले जाने के लिये उनके पास जहाज नहीं है और भारत को विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि तीसरी योजना में नौवहन तथा नावांगण के लिये आवंटन में वृद्धि करने के लिये, जिस में ५० प्रतिशत कमी कर दी गई है, मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

†श्री इया० नं० मिश्र: मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि नौवहन बहुत महत्वपूर्ण है और समिति में इस बात पर काफी जोर दिया गया था। इस समय मैं यही कह सकता हूं कि हम उचित समय पर इस पर विचार करेंगे।

†श्री रघुनाथ सिंह : उन्होंने इस पर विचार नहीं किया है, उन्होंने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य को ५० प्रतिशत कम कर दिया है। इस को बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने इस को घटा दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राम कृष्ण गुप्त : सदस्यों से भी सुझाव मांगे गये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रारूप को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व किये गये निर्णयों के बारे में सदस्यों को सूचित किया जायेगा ?

†श्री श्या० नं० मिश्र: मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य संसदीय कांग्रेस दल द्वारा की गई प्रार्थना का निर्देश कर रहे हैं। मुझे पक्का पता नहीं है कि वे समिति में किये गये किसी सुझाव का दिर्देश कर रहे हैं। जहां तक सदस्यों का सम्बन्ध है, हम प्रत्येक सदस्य को अलग अलग उत्तर नहीं भेजेंगे। मैं नहीं जानता कि पिछली बार यह प्रक्रिया अपनाई गई थी। परन्तु जहां तक सदस्यों का सम्बन्ध है, जब वे कोई पूछताछ करते हैं तो हम उनको हद दर्जे तक संतुष्ट करना चाहते हैं।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि उन को संतुष्ट करने के लिये क्या तरीका अपनाया जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय: उन समितियों को नियुक्त करने का उद्देश्य यह था कि अस्थायी प्रस्तावों पर स्पष्ट रूप से विचार हो सके। जो साक्ष्य दिये गये और जो मूल्यवान सुझाव दिये गये वे कई खंडों में हैं। उनके पांच अनुभाग थे। और उनके संक्षिप्त संस्करण सभी माननीय सदस्यों को भेजे गये थे। यदि वे कोई और सुझाव देना चाहते हैं, तो दुबारा वह बात कहने का कोई तात्पर्य नहीं। अतः वे समूचे मामले पर विचार करने और उस को अन्तिम रूप देने के लिये समय ले रहे हैं। वही अन्तिम होगी। यदि इतने समय में, वे अपने विचार बदलना चाहते हैं तो वे मंत्री महोदय को लिख सकते हैं जो उस बात को विचार के लिये योजना आयोग के समक्ष रखेंगे। अब हमें इस मामले पर अधिक जोर नहीं देना चाहिये।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर: हम कठिनाई में हैं। कठिनाई यह है कि मंत्री महोदय का कहना है अभी तक किसी चीज को भी अन्तिमरूप नहीं दिया गया है। सब कुछ अस्थायी है। जबकि हमें सर्वोच्च जिम्मेवार अधिकारी ने यह बताया है कि अब सब चीज निश्चित की जा चुकी है। उन्होंने राज्य सरकार से बातचीत की हैं और उन्होंने उन्हें कुछ आवंटन किये हैं जो अब अपरिवर्तनीय हैं। अब स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिये कि विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उन की बातचीत का क्या परिणाम निकला, राज्य सरकारों को क्या योजना आवंटन बताये गये हैं, क्या वे अभी भी विचाराधीन हैं और क्या उन के साथ हमारी बातचीत का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं ? मैं यह स्थिति स्पष्ट कराना चाहता हूं।

†श्री श्या० नं० मिश्र: मैं यह नहीं समझता कि माननीय सदस्य किस सर्वोच्च अधिकारी का निर्देश कर रहे हैं।

†अध्यक्ष महोदय: उन का कहना है कि योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और अन्तिम प्रतिवेदन भेज दिया गया है और यह कहना ठीक नहीं कि वे अभी भी विचाराधीन हैं। मंत्री महोदय यह कह सकते हैं, "अब हम अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं और उस में कोई परिवर्तन नहीं होगा।" अथवा वे यह कह सकते हैं, "हम अभी परामर्श कर रहे हैं।" उन्होंने इस सभा के सदस्यों से परामर्श किया है और उन का प्रतिवेदन मौजूद है। अन्य परामर्श राज्य सरकारों के साथ किया जायेगा। यदि इतने समय में कोई अभ्यावेदन आ जाते हैं, तो उन पर विचार किया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या अब भी कोई अभ्यावेदन हैं। चाहे सब प्रावस्थायें पूरी हो गयी हों, यदि अब भी कोई उनको लिखता है अथवा राज्य सरकारें उनको लिखती हैं, तो वे उस पर विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : उन्हें अपनी जेब, अपने संसाधन देखने पड़ते हैं। संसाधन राज्य सरकारों के हाथ में नहीं हैं ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यदि इस समय भी कोई लाभप्रद सुझाव दिया जाये और उसे मानना संभव हो, तो अब भी यह किया जायेगा। मैं यही कह सकता हूं कि बहुत सी बातों पर विचार हो रहा है। परन्तु मैं सुझावों के बारे में माननीय सदस्यों को कोई आश्वासन नहीं देना चाहता।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशित किया जायगा, क्या ऐसा विचार नहीं है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जी , हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य धीरज रखें (**अन्तर्बाधा**)। संविधान के अधीन मंत्री महोदय सदन के लिये उत्तरदायी हैं। अस्थायी योजना सभा के समक्ष रख दी गयी है और सदस्यों को एक साथ बैठने और अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया गया है। उन्होंने अपने सुझाव दिये हैं। अब यह सरकार पर है कि वह निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं माननीय सदस्यों को यह प्रश्न पूछने के लिये अनुमति नहीं दूंगा कि यह किस प्रक्रम पर है। सरकार का कहना है कि वे सभी बातों पर विचार कर रही हैं। जैसा कि श्री रंगा ने कहा है , वित्तीय बातें भी हैं। उस पर शोर गुल करने का कोई लाभ नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : आयव्ययक के बारे में क्या बात है ? क्या यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष पर आधारित नहीं होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आयव्ययक प्रस्तुत किया जाने वाला है। तीसरी योजना के प्रथम वर्ष के लिये आयव्ययक के बारे में क्या बात है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इस समय आयव्ययक के उपबन्धों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : अतः आपका आयोजन इतना रद्दी है कि वह आयोजन ही नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा २१ में यह कहा गया है :

> "राज्यों की सरकारों के सहयोग से योजना आयोग तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार कर चुका है और यह रूपरेखा सिद्धान्त रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है ।"

अब सभा में यह उत्तर दिया गया है कि अभी तक किसी बात को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। हम इन दो वक्तव्यों में कैसे समानता करें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : रूपरेखा तैयार की जा चुकी है जबकि ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने वाली है, उन्होंने रूपरेखा तैयार कर ली है। वे ब्यौरों में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो वे पांचों वर्षों तक ब्यौरों में संशोधन करते रहेंगे। इस मामले में १, २, ३ और अन्तिम जैसी कोई निश्चित बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर काफी बहस हो चुकी है। अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

## सरकारी उद्योग

+

†*१४८. श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री गोरे :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नथवानी :
श्री मोरारका :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दामानी :
श्री आचार :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकारी उद्योगों की पूंजी में लोगों द्वारा रुपया लाने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री ज्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). नियुक्त किये गये अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद योजना आयोग ने सरकार को कुछ सिफारिशें की हैं। जब सरकार इस पर विचार कर लेगी और अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा तो योजना का ब्यौरा संभरित कर दिया जायेगा ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या सरकारी उद्योगों में छोटे नियोजको द्वारा भाग लिये जाने के बारे में कोई कसौटी बनायी गयी है ?

†**श्री ज्या० नं० मिश्र** : इस पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गयी मजूमदार समिति (अध्ययन दल) ने विचार किया था। जब तक सरकार इस पर विचार नहीं कर लेती, मैं प्रतिवेदन के बारे में कोई ब्योरा नहीं दे सकता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : नीति क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : निर्णय किये जाने से पूर्व वे नीति कैसे बता सकते हैं ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : जनता को कितना प्रतिशत अंश दिया जायेगा ?

†**श्री ज्या० नं० मिश्र** : वह सब विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका:** : मजूमदार समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार में कोई तथ्य है कि समिति ने सरकारी उद्योगों में जनता के भाग लेने सम्बन्धी सिद्धान्त को मान लिया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जैसा मैं बता चुका हूं, सरकार प्रतिवेदन पर विचार कर रही है और इस समय कुछ भी बताना उचित नहीं है । इस समय माननीय सदस्य की बात से सहमति अथवा असहमति प्रकट करने का मतलब है, व्यौरे बताना ।

†**श्री तंगामणि** : अब विभिन्न सरकारी परियोजनायें विभिन्न परिनियमों के अनुसार चलायी जाती हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे उनमें कोई परिवर्तन कर रहे हैं और जनता को शेयर खरीदने को आमंत्रित कर रहे हैं, अथवा पुरानी नीति पर दृढ़ हैं । मजूमदार समिति ने क्या . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरे तरीके से यह वही प्रश्न है ।

†**श्री वारियर** : ऐसी रिपोर्ट है कि इस मामले में एक या दो समवायों ने कदम उठाये हैं और जनता को शेयर प्रस्तुत किये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य एक विशिष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के विपरीत है । यदि उनके पास जानकारी हो, तो वे स्पष्ट रूप से बतायें कि क्या यह सच नहीं है कि फलां कम्पनी ने जनता को शेयर प्रस्तुत किये हैं ।

†**श्री वारियर** : क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने जनता के अंशदान के लिये अपने शेयर प्रस्तुत किये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जी, नहीं ।

**पूर्व अफ्रीका को नकली सिल्क रेयन का निर्यात**

†*१४६ **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व अफ्रीका में गये भारतीय सिल्क तथा रेयन वस्त्र-उद्योग प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) पूर्व अफ्रीका को नकली सिल्क रेयन का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सरकार को अभी सिल्क और रेयन कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा पश्चिमी एशियाई और पूर्व अफ्रीकी देशों को भेजे गये शिष्टमंडल का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि प्रतिवेदन विचाराधीन है । अब यह कहा गया है कि सरकार को अभी प्रतिवेदन नहीं मिला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : यह प्रतिवेदन निर्यात संवर्द्धन परिषद् को मिल गया है और वे उस पर विचार कर रहे हैं। सरकार निर्यात संवर्द्धन परिषद् के जरिये काम करती है। मैंने यह कहा था कि प्रतिवेदन परिषद् के विचाराधीन है और हमें अभी नहीं मिला है।

†श्री तंगामणि : क्या सरकार नकली रेशम से बनाये गये हथकरघा कपड़े के पूर्व अफ्रीकी देशों को निर्यात पर भी विचार करेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : यह केवल रेयन कपड़ा उद्योग में शक्ति-चालित करघों के लिये है।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : कुल कितना निर्यात किया गया ?

†श्री मनु भाई शाह : जहां तक पूर्व अफ्रीकी देशों का सम्बन्ध है, यह वर्ष १९६० में ६,६६,००० गांठें हैं।

### आन्ध्र प्रदेश में कांच की चादरें बनाने का संयंत्र

+

†*१५०. { श्री उस्मान अली खां :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामी रेड्डी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद में कांच की चादरें बनाने के संयंत्र की स्थापना करने की कोई योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस योजना की मंजूरी दे दी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). राज्य सरकार व्यौरेवार प्रस्थापना तैयार कर रही है और उनकी पुनरीक्षित प्रस्थापना अभी अपेक्षित है।

†श्री उस्मान अली खां : इसको गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का फैसला किया गया है या सरकारी क्षेत्र में ?

†श्री मनुभाई शाह : सरकारी क्षेत्र में।

†श्री रामी रेड्डी : इस परियोजना की लागत और क्षमता क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : एक करोड़ रुपये और प्रति वर्ष १६,५०० टन।

†श्री रामी रेड्डी : क्या इस परियोजना के लिये तीसरी योजना में कोई धनराशि अलग रखी गयी है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं।

†श्री हेडा : आन्ध्र प्रदेश सरकार के स्वामित्व में ताज कांच कारखाना है जिसमें कांच की चादरें बनाने की क्षमता है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस कार्य के लिये उस कारखाने का विस्तार किया जायेगा अथवा कोई और कारखाना लगाया जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : यह नया कारखाना है। ताज कांच कारखाने में कांच की चादरें नहीं बनायी जातीं। इसमें खोखले बर्तन और बोतलें बनायी जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

## कांच की चूड़ियों का निर्माण

*१५१. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांच की चूड़ियां व कांच का अन्य सामान बनाने के बारे में कोई योजना बनायी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा जा सकेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की कोई योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) संभवत: माननीय सदस्य का तात्पर्य कांच की चूड़ियों और कांच के सामान के निर्यात के लिये बनाई जाने वाली योजना से है । यदि ऐसा है तो इसका उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) उद्योग की विभिन्न चीजें निर्यात करने की क्षमता की जांच करने और निर्यात किये जाने वाले देशों का सर्वेक्षण करने के लिए रसायनिक एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद् कलकत्ता के कांच तथा कांच के सामान सम्बन्धी तालिका के तत्वावधान में एक अध्ययन दल स्थापित किया गया है । निर्यात को बढ़ावा देने के लिये परिषद् में रजिस्टर्ड निर्यातकों को निम्नलिखित चीजों के आयात का अधिकार है :

(१) निर्यात किए जाने योग्य चीजों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल, संघटक और उपभोग्य सामान ।

(२) प्रतिस्थापन अथवा अधिक अच्छा सामान बनाने अथवा वर्तमान संयंत्र के संतुलन (परन्तु उसमें कोई ऐसा विस्तार अथवा स्थापना नहीं होनी चाहिए जिसके लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक हो) के लिए आवश्यक मशीनें और मशीनों के पुर्जे जिनका मूल्य निर्यातों के नौ० प० नि० मूल्य के १० प्रतिशत से अधिक न हो ।

(३) कांच तथा कांच के सामान के समस्त निर्यातों पर २७.६० रुपये प्रति टन छूट दी जाती है जो अनुमति प्राप्त वस्तुओं की लागत का ६ से ८ प्रतिशत होती है ।

अनुमान है कि १९६१ में ४८ लाख रुपए के कांच तथा कांच के बर्तन निर्यात किये जायेंगे ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : विवरण में कहा गया है कि कांच के सामान और चूड़ियों का निर्यात करने वाले लोगों को कुछ सुविधायें दी जा रही हैं; क्या देश के अन्दर भी कोई सुविधाएं दी जा रही हैं जैसे कांच के सामान और कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिये कच्चे माल का सम्भरण, विशेषकर कोयला और सिलिका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : कोयला, सिलिका और सोडा ऐश का सम्भरण केवल निर्यात संवर्धन के लिए नहीं किया जा रहा है वरन् आन्तरिक खपत के लिए भी हम उन्हें यथासम्भव अधिक संभरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि कांच का उद्योग विशेषकर उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी के कारण पनप नहीं पा रहा है और निर्माण कार्य बन्द किया जा रहा है क्योंकि कोयले का पर्याप्त मात्रा में सम्भरण नहीं किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सभा को ज्ञात है, कोयले के सम्भरण में, केवल कांच के उद्योग के लिए ही नहीं वरन् अन्य उद्योगों के लिए भी, कुछ रुकावट हुई है और उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग तथा अन्य स्थानों के कांच उद्योग को बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का सम्भरण किया जा रहा है। इसलिए यह प्रश्न कोयले की कमी का नहीं है। हम कांच उद्योग को आवश्यकतानुसार अधिकाधिक कोयला देने को तैयार हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि सम्भरण नहीं किया जा रहा है। कांच उद्योग सरकार से अधिक कोटे की मांग कर रहा है और सरकार उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग की मांगें पूरी नहीं कर रही है। क्या अब सरकार यह मांग स्वीकार कर लेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य की सूचना ठीक नहीं है। यह प्रश्न कोटा देने का नहीं है। कोयले का सम्भरण समस्त उद्योग की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। हाल में कुछ कठिनाई हुई है जो वास्तव में उसके परिवहन की है। परन्तु यदि निर्माता अधिक कोयला चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम कांच उद्योग को उसकी आवश्यकतानुसार अधिकाधिक कोयला दे सकते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मन्त्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि रेलवे बोर्ड के सभापति ने केवल दो दिन पहले यह वक्तव्य जारी किया है कि परिवहन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं हुई है। माल डिब्बों के सम्भरण में कमी नहीं हुई है और रेलवे कितनी भी मात्रा का वहन कर सकती है तथा उनकी ओर कोई कठिनाई नहीं है।

†**श्री मनुभाई शाह** : उत्तर प्रदेश अथवा अन्यत्र के कांच उद्योग सम्बन्धी छोटे से प्रश्न को लेकर कोयले का बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सामान्यतः उद्योगों की आवश्यकतायें उद्योगों के लिए कोयले के लिये दूसरी योजना के लिए निर्धारित किए गए मूल लक्ष्यों से बढ़ गई हैं। माननीय सदस्य ने जिस वक्तव्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है उसका तात्पर्य केवल यह है कि उन्होंने योजना के लक्ष्यों को पूरा किया है। परन्तु हमारी बढ़ती हुई आवश्यकतायें पूरी नहीं हो रही हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : वक्तव्य में कहा गया है कि इन चीजों के विदेशों को निर्यात के लिये कुछ सुविधायें दी जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि निर्यात स्वयं निर्माताओं द्वारा किया जा रहा है अथवा उनके निर्यात के लिए अन्य अभिकरण स्थापित किए जा रहे हैं और क्या सरकार स्वयं निर्माताओं को कांच की चूड़ियों आदि के निर्यात के लिए सुविधायें देगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्यतः यह निर्यात स्वयं निर्माताओं द्वारा किया जाता है। परन्तु जब छोटे लोगों का माल होता है तो हम उनके संघ बना देते हैं अथवा राज्य व्यापार निगम उनकी सहायता करता है। सुविधायें निर्माताओं तक पहुंच जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : हम विवरण में देखते हैं कि १९६१ का अनुमानित निर्यात ४८ लाख रुपए का होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष १९६० में कितना निर्यात किया गया था।

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग ३८ लाख रुपए का।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि इस समय निर्यात किसी संघ के माध्यम से किया जा रहा है अथवा गैर-सरकारी पक्षों के माध्यम से ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सब सामान्यत: किया जाता है। कुछ मामलों में निर्माता स्वयं निर्यात करने में समर्थ होता है। फैजाबाद जैसे मामले में, जिसका निर्देश सम्भवत: माननीय सदस्य करना चाहते हैं, यह संघ के माध्यम से किया जाता है। कुछ अन्य मामलों में यह राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है। निर्यात सम्वर्धन के लिए मैंने जो सुविधायें बताई हैं उनमें हम निर्माताओं के हित के संवर्धन का प्रयत्न करते हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य व्यापार निगम ने कांच की चूड़ियों का व्यापार शुरु कर दिया है। क्या विदेशों में चूड़ियां बेचने का कार्य गम्भीरतापूर्वक प्रारम्भ कर दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य मेरे कथन का गलत अर्थ लगा रहे हैं। मैंने यह कहा था कि हम सभी प्रकार के छोटे-छोटे निर्माताओं की सहायता करते हैं जैसे जूते, चूड़ियां, कांच के बर्तन और चीनी के बर्तन आदि के निर्माता। वास्तव में माननीय सदस्य स्वयं छोटे उद्यमियों को राज सहायता देने के प्रबल समर्थक रहे हैं।

**नमक का निर्यात**

†**१५२. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत से नमक का निर्यात करने के लिये नई मण्डियां मिल सकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रयत्नों में कहां तक सफलता मिली है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). नमक के दक्षिण-पूर्व एशिया में कुछ नए बाजारों को निर्यात किये जाने की कुछ सम्भावनायें हैं और सस्ते भाव पर बेचने के प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु मुख्य कठिनाई सस्ते भाड़े की व्यवस्था करना है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मैं जानना चाहता हूं कि देश में कितना नमक आवश्यकता से अधिक होता है जो निर्यात किया जा सकता है और कौन-कौन से देश भारतीय नमक के पुराने खरीद-दार हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सभा को ज्ञात है, देश में अधिकाधिक नमक बनाने की अत्यधिक सम्भावना है। इसलिये उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रश्न यह है कि हम विभिन्न देशों में कितना नमक निकाल सकते हैं। गत वर्ष निर्यात अच्छा रहा है लगभग १२०,००० मन जो पिछले १० वर्षों की उच्चतम मात्रा है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार ने देश में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये तीसरी योजना के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो वह क्या है और लक्ष्य बढ़ाने के लिए राज्यों की सहायता करने के लिए विभिन्न राज्यों को कितना-कितना आवण्टन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह उद्योग ऐसा है जो काफी बढ़ रहा है। ऐसी कोई सीमा नहीं है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनके बारे में देश की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : दूसरे देशों द्वारा हमारे यहां से जितना नमक आयात किया गया उसमें से कितना खाने के लिए था और कितना रसायनिक प्रयोजनों के लिए ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जापान, जो सब से बड़ा खरीददार है, जो नमक लेता है उस का अधिकांश भाग वहां के रसायनिक उद्योगों के लिये होता है, खाने के प्रयोजन के लिये बहुत कम। वास्तव में, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, दूसरे देश नमक की शुद्धता पर बहुत जोर देते हैं। वे आयात किये गये समस्त नमक को शोधित करते हैं। आयात किया गया नमक सीधे खाने के काम नहीं लाया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : प्रश्न संख्या १५७, जो चीन-पाकिस्तान सीमा करार के बारे में है, बहुत महत्वपूर्ण है। २५ माननीय सदस्यों ने उस की सूचना दी है। उसे पहले लिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस निर्यात सम्बन्धी प्रश्न के बाद।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : प्रधान मंत्री इस प्रश्न के लिये जाने के समय यहां उपस्थित रहना चाहते हैं। मैं उन्हें बुलवा रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

## निर्यात संवर्धन

†*१५३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ की समिति ने अभी हाल ही में निर्यात में संवर्धन करने के लिये कुछ सुझाव अथवा सिफारिशें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) निर्यात संवर्धन मंत्रणा परिषद् की ७ मार्च, १९६१ को होने वाली आगामी बैठक के संबंध में संघ की ओर से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) वे अनेक प्रकार की चीजों जैसे वनस्पति तेल, खनिज अयस्क, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, सिलाई आदि के निर्यात और कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों के बारे में हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : वाणिज्य मण्डल की देशीय उत्पादन के मामले में अधिक जोरदार प्रयत्न करने की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार का क्या मत है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : वे सिफारिशें नहीं हैं। वे कुछ सुझाव हैं जो आगामी बैठक की कार्य-सूची में सम्मिलित किये जाने के लिये दिये गये हैं। जब बैठक होगी तब उन पर विचार किया जायगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या बिक्री कर और उत्पादन शुल्कों का हाल में एक में मिलाया जाना निर्यात के लिये अहितकर समझा गया है और यदि हां, तो क्या सरकार उन को अलग करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य चाय से है ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या बिक्री कर और उत्पादन शुल्क का हाल में एक में मिलाया जाना निर्यात के लिये हानिकर सिद्ध हुआ है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं समझ नहीं सका । क्या माननीय सदस्य किसी खास वस्तु का निर्देश कर रहे हैं ? बिक्री कर अलग है, उत्पादन शुल्क अलग है । माननीय सदस्य का तात्पर्य किस चीज से है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री त्यागी** : क्या आप कृपया माननीय प्रधान मंत्री को यहां आने का सन्देश भिजवा सकते हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : प्रधान मंत्री आ गये हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं । पहले उसे खत्म हो जाने दिया जाय ।

## राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

+

†*१५४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्रीमती इला पालचौधरी :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री अरविंद घोषाल :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री इकबाल सिंह :**

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की स्थापना की गई है और उसे भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत एक समवाय के रूप में पंजीबद्ध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस का उद्देश्य निर्माण के क्षेत्र में ठेकेदारों को हटाना है ;

(ग) इस का गठन और कृत्य क्या हैं ; और

(घ) विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए निगम ने क्या प्राथमिकतायें निश्चित की हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) हां, श्रीमान् । राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम समवाय अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत १५ नवम्बर, १९६० को एक समवाय के रूप में पंजीबद्ध किया गया था ।

(ख) निगम केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और अन्य स्वशासी संगठनों का निर्माण कार्य प्रतियोगी खुले टेंडर के माध्यम से करेगा । वह ऐसे मामलों में भी सरकारी कार्य करेगा जिन में टेंडर न आ रहे हों अथवा वे बहुत अधिक दाम के हों ।

(ग) चूंकि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड एक समवाय है इसलिए उस का संगठन तथा कृत्य संस्था के सीमा-नियमों से विनियमित होते हैं । इन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(घ) प्राथमिकताओं का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा यदि निगम से उस की सामर्थ्य से अधिक कार्य करने के लिये कहा जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या राज्य सरकारें भी इस निगम में भाग लेंगी ?

†श्री अनिल कु० चन्द : हम राज्यों को इस में भाग लेने का स्वागत करेंगे ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वे पूंजी में अंशदान भी करेंगे ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : हां, श्रीमान् ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या १५७ ।

## चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता

†*१५७. श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हेम राज :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री खुशवक्त राय :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री आसर :
श्री पहाड़िया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री न० रा० मुनि वामी :
श्री राम गरीब :
श्री नाथ पाई :
श्री प्र० के० देव :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री कालिका सिंह :
श्री सूपकार :
श्री कोरलकर :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर के अनधिकृत कब्जे वाली भूमि के सीमा संबंधी समझौते के बारे में पाकिस्तानी प्रस्ताव चीन द्वारा सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है,

---

†मूल अंग्रेजी में

जैसाकि पेशावर में पाकिस्तान के वैदेशिक-कार्य मंत्री ने कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मैकमहोन लाइन के अनुसार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित वक्तव्य पढ़े हैं जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के बताये जाते हैं और इस मामले में पाकिस्तान सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है । चूंकि वे वक्तव्य केवल जम्मू और काश्मीर राज्य के क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, इसलिये उसका तथाकथित "मैकमहोन लाइन" से कोई सम्बन्ध नहीं है जो हमारी पूर्वी सीमा बताती है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : चूंकि काश्मीर का मामला राष्ट्रसंघ में विचाराधीन है इसलिए क्या पाकिस्तान को उस राज्य क्षेत्र के बारे में चीन के साथ बातचीत करने का अधिकार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमारे अनुसार उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

**श्री अ० मु० तारिक** : जैसाकि अभी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से इस अम्र की वजाहत तलब की है कि वह चीन के साथ क्या बातचीत कर रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वजीर खारिजा का वह स्टेटमेंट हमारे और चीन के दौरान गुफ्तगू आया था तो हमारा यह फर्ज था कि हम चीन से इस बारे में वजाहत तलब करते तो मैं जानना चाहता हूं कि वह वजाहत तलब की गई या नहीं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां चीन से की है ।

**श्री अ० मु० तारिक** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वजीर आजम के नोटिस में नाम-नेहाद आजाद काश्मीर के नामनेहाद सदर का यह बयान आया है कि हम हुकूमत चीन और उनके दूसरे साथियों से हथियार ले कर हकूमत हिन्दुस्तान से आजाद काश्मीर को आजाद करायेंगे और अगर यह दुरुस्त है तो इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरी निगाह से तो यह गुजरा नहीं है लेकिन मुमकिन है ऐसी बातें किसी साहब ने वहां की हों क्योंकि वहां अक्सर गैरजिम्मेदारी की बातें कही जाती हैं :

†**श्री त्यागी** : जैसाकि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, क्या चीनियों ने इस क्षेत्र में उस समय से, जबकि यह मामला दोनों देशों के प्रशासकीय दलों के बीच वार्ता हेतु सौंपा गया था, कुछ और भारतीय राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, श्रीमान्, बिल्कुल भी नहीं । चीनी १९५९ में ही आगे बढ़े थे, उस के बाद आगे नहीं बढ़े हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : भारतीय अधिकारियों के साथ समस्त बातचीत में चीनी प्रशासकीय दल ने जम्मू और काश्मीर की सीमा के सम्बन्ध में कराकोरम के आगे के भाग के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा करने से इन्कार कर दिया था । क्या इस का यह संकेत है कि श्री कादिर द्वारा दिया गया वक्तव्य बहुत अर्थपूर्ण है और चीन ने पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का करार कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि जो उत्तर दिया गया है वह पर्याप्त ह । उससे इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं । मैं नहीं जानता कि उनके बीच क्या गुप्त वार्ता हुई है । वैसे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति के वक्तव्यों में जो कुछ कहा गया है उससे अधिक कुछ नहीं हुआ है परन्तु यह जाहिर है कि मैं पाकिस्तान अथवा चीन की ओर से कुछ नहीं कह सकता ह ।

**श्री नाथपाई** : भारत सरकार की पाकिस्तान के काश्मीर में अतिक्रमण के विरुद्ध एक शिकायत राष्ट्रसघ में पड़ी हुई है । अब पाकिस्तान भारत के अन्य अतिक्रमणकारी चीन के साथ करार करके अपने अधिकार को सत्य सिद्ध कर रहा है । अतः क्या पाकिस्तान के राष्ट्रसंघ के प्राधिकार से बचने के इस प्रयत्न को सुरक्षा परिषद् की जानकारी में लाया जाएगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में यह वांछनीय नहीं है। हमने पाकिस्तान को इसके सम्बन्ध में सूचित कर दिया है और वास्तव में उनसे स्पष्टीकरण मांगा है । हमारे लिये यह वांछनीय नहीं होगा कि पाकिस्तान जब भी कोई आपत्तिजनक बात कहे तो हम सुरक्षा परिषद् की दौड़ लगायें । कभी कभी हम वहां जाते हैं । अभी मैं कुछ नहीं कह सकता परन्तु हम इस मामले पर विचार अवश्य करेंगे ।

†**श्री रंगा** : इन बातों की जानकारी होने पर हमने चीन को कोई विरोधपत्र क्यों नहीं भेजा है ? जब पाकिस्तान को नोट भेजा गया है तो चीन को क्यों नहीं भेजा गया विशेषकर जबकि चीनी अधिकारियों ने प्रश्न के इस पहलू के बारे में चर्चा करने से इन्कार कर दिया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम चीन के समस्त दृष्टिकोण के बारे में विरोध करते आये हैं फिर केवल इसके बारे में विरोध करने की क्या आवश्यकता है इसके अतिरिक्त ये भाषण पाकिस्तान के उच्च पदस्थ व्यक्तियों के हैं इसलिए हमने उन्हीं से पूछताछ की है ।

†**श्री रंगा** : अभी तक झगड़ा केवल चीन और भारत के बीच में था जिसमें पाकिस्तान कहीं नहीं आता था । जब ये चीनी अधिकारी पहली बार हमारे प्रतिनिधियों के साथ इस प्रश्न की चर्चा करने से इन्कार करते हैं तो क्या सरकार को इसके विरुद्ध शिकायत नहीं भेजनी चाहिए

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम विरोध पत्र तो भेज सकते हैं परन्तु मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका तात्पर्य यह है कि कराकोरम के पश्चिम के राज्यक्षेत्र का प्रश्न चीनी अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा में प्रत्यक्षतः नहीं आया था । अप्रत्यक्षतः समस्त सीमान्त के सम्बन्ध में विचार किया गया है । इसलिए यह प्रश्न उस समय उत्पन्न नहीं हुआ । माननीय सदस्य देखेंगे कि हमने समस्त सीमा स्पष्ट कर दी है । यद्यपि हमने अधिकारियों के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कर दिया है फिर भी हम यह विचार कर सकते हैं कि इस मामले में हमें और क्या कदम उठाने चाहिएं ।

**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे प्रधान मंत्री महोदय को अपने डिप्लोमेटिक सोर्सेज से कुछ पता चला है कि चीन और पाकिस्तान का समझौता हो गया है या अभी समझौता होने की बातचीत चल रही है ।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अरे साहब समझौता होना तो बहुत दूर की बात है बातचीत भी नहीं हुई है ऐसा मेरा खयाल है

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा :** हमने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को एक पत्र भेजा था। क्या उसका उत्तर मिल गया है ? अथवा क्या हमें अपने राजनयिक सूत्रों से यह पता चला है कि उत्तर आ रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमें कोई उत्तर नहीं मिला है परन्तु समाचारपत्रों के अनुसार जहां तक मुझे याद है प्रेसीडेंट अयूब ने ढाका में एक भाषण में कुछ इस प्रकार की बात कही है कि उन्हें किसी भी देश के साथ अपने सीमा के सम्बन्ध में अपनी इच्छानुसार चर्चा करने का पूर्ण अधिकार है ।

**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने पाकिस्तान स्थित अपने हाई कमिश्नर से इस बात का आग्रह किया है कि वह वहां पाकिस्तान सरकार से मिल कर इस सम्बन्ध में जानकारी लें कि सीधे चीन से इस सम्बन्ध में वह क्यों बातचीत कर रहे हैं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी हां, यही तो किया है यहां उसके बारे में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर साहब से कहा है और वहां अपने हाई कमिश्नर से कहा है कि इसको जानना चाहिए।

†**श्री हेम बरुआ :** मैकमहोन लाइन जिसके सम्बन्ध में बर्मा ने चीन के साथ एक सन्धि की है, के संबंध में बर्मा के प्रधान मंत्री ने कहा है कि उस सीमा का निर्णय तब होगा जब कि भारत चीन के साथ अपना समझौता कर लेगा। क्या पाकिस्तान ने भी इस प्रकार की कोई बात कही है ? पाकिस्तान के प्रेसीडेंट ने कहा है कि वह चीन के साथ करार करना चाहते हैं और चीन भी इस समस्या के सम्बन्ध में हमारे साथ बातचीत करने से इन्कार करके, जैसा कि सरकारी प्रतिवेदन से स्पष्ट है, उसके लिए अप्रत्यक्षत: राजी हो गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ?

†**श्री हेम बरुआ :** मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रेसीडेंट की जानकारी में यह बात लाई गई है कि जब तक हम पाकिस्तान के साथ अपना विवाद नहीं सुलझा लेते हैं तब तक पाकिस्तान को कोई वक्तव्य देने अथवा चीन के साथ करार करने का कोई अधिकार नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य ठीक नहीं समझ रहे हैं। इस प्रश्न का मैकमहोन लाइन से कोई सम्बन्ध नहीं है यह जगह मैकमहोन लाइन से हजारों मील दूर है ।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा तात्पर्य केवल साम्य उपस्थित करना था। मैकमहोन लाइन के सम्बन्ध में बर्मा के प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस सीमान्त का निर्णय तब किया जाएगा जब भारत चीन के साथ अपना सीमान्त तय कर लेगा। मैं जानता हूं कि मैकमहोन लाइन कहां है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें भाषण नहीं करना चाहिए ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं दो एक दिन पूर्व इस त्रिकोण के बारे में जहां भारत, बर्मा और चीन के सीमान्त मिलते हैं विस्तृत उत्तर दे चुका हूं। मैं अनुपूरक उत्तर में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मेरा उत्तर सर्वथा स्पष्ट है माननीय सदस्य उसे देख सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरी बात सर्वथा गलत समझी गई है। मैं आपकी सहायता चाहता हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अभी एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि हमने पाकिस्तान से उनके भारत स्थित उच्चायोग के माध्यम से विरोध प्रकट किया था। सही स्थिति यह है कि हमारे पाकिस्तान में नियुक्त उच्चायुक्त ने वहां के विदेश सचिव से भेंट करके हमारा विरोध प्रकट किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा निवेदन है कि श्री यू नू ने कह कहने की शिष्टता दिखाई है वह चीन के साथ अपने सीमान्त का निर्णय तब करेंगे जब भारत चीन के साथ अपने सीमान्त का समझौता कर लेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्नों का घण्टा समाप्त हुआ ।

†**श्री हेम बरुआ :** प्रधान मंत्री उत्तर देने को तैयार हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कह चुके हैं कि वह अनेक बार उत्तर दे चुके हैं ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### तिब्बत को सिकियांग से मिलाने के लिये रेलवे लाइन

*१४१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि चीनी कम्यूनिस्ट तिब्बत को सिकियांग से मिलाने के लिये एक रेलवे लाइन बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय सीमा पर तैनात सेना को और भी बढ़ाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई कर रही है ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). यह सार्वजनिक हित में नहीं होगा कि इस सूचना को सदन में प्रकट किया जाए ।

### विदेशों में भारतीय राजदूतावास

†*१५५. **श्री राजेश्वर पटेल :**
**श्री मुरारका :**
**श्री आसर :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में हमारे राजदूतावासों के व्यय में पर्याप्त बचत करने के लिए कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मितव्ययता के आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

| | |
|---|---|
| १. लन्दन में भारत के उच्चायुक्त | ८,१३,००० रु० वार्षिक |
| २. विदेशों में अन्य भारतीय दूतावास (अप्रैल, १९५८ से सितम्बर, १९६० तक के २ १/२ वर्ष में) | ५१,४२,०४५ रुपये |

**नागा**

†*१५६. **श्रीमती मकीदा अहमद :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पचास नागाओं का एक दल सीमा सुरक्षा दल के सैनिकों की अवहेलना कर २४ दिसम्बर १९६० को डेबरापार की सीमा चौकी द्वार को पार कर गया; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) २४ दिसम्बर, १९६० को डेबरापार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**पूर्वी पाकिस्तान के आदिम जाति लोगों का त्रिपुरा में आना**

१५८. **श्री दशरथ देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से आदिम जाति के लोग त्रिपुरा में आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका पाकिस्तान छोड़ने का क्या कारण है ; और

(ग) त्रिपुरा में आने वाले उन आदिम जाति के लोगों को शरण देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) अक्तूबर/नवम्बर १९६० में पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में २३० व्यक्तियों के ४५ आदिम जाति परिवार आये थे ।

(ख) आने वालों ने बताया है कि पाकिस्तान के अधिकारी उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं और उनका उत्पीड़न कर रहे हैं ।

(ग) अप्रैल, १९५८ के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को कोई सहायता तथा पुनर्वास सुविधायें नहीं दी गई हैं ।

**योजना सप्ताह**

†*१५९. **श्री मं० रं० कृष्ण**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में योजना सप्ताह मनाया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) योजना सप्ताह सम्बन्धी कार्यक्रमों पर कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या कोई ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिन से सरकार को यह योजना सप्ताह मनाना पड़ा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** :(क) जी हां ।

(ख) इसके लिये लगभग १.३० लाख रुपये की धन राशि स्वीकार की गई थी परन्तु वास्तविक व्यय के ब्योरे अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) योजना सप्ताह कई बार इस कारण से मनाया गया है जिससे देश के विकास के लिये योजना के महत्व की ओर जनता का ध्यान जाय । इस समय आगामी तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिय योजना सप्ताह मनाया गया । आवश्यक है कि जनता दूसरी योजना में पूरे हुए कार्यों को तथा तीसरी योजना में किये जाने वाले कार्यों को जाने ।

## लंका के समीप भारतीयों की मृत्यु

†*१६०. **श्री तंगामणि** : क्या प्रधान मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन १६ भारतीयों की मृत्यु के बारे में आगे जानकारी प्राप्त हुई है जिनकी लाशें अगस्त १९६० में लंका के तट पर पाई गई थीं ;

(ख) क्या लंका सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकद्दमे दर्ज किये हैं, जो डूबने से बच गये थे ;

(ग) यदि हां, तो मुकद्दमे का क्या परिणाम हुआ है ;

(घ) क्या कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध उन १६ व्यक्तियों की हत्या का आरोप लगा कर मुकद्दमा चलाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) सरकार को उन १६ भारतीयों की मृत्यु के बारे में, जिन की लाशें अगस्त १९६० में लंका के वंकलाई के तट पर पाई गई थीं, लंका अधिकारियों द्वारा की गई जांच कार्यवाही की दिनांक २० अक्तूबर की एक प्रति मिल गई है । जांच कार्यवाही देखने पर पता चलता है कि नाव में यात्रा करने वाले तथा डूबने से बचने वाले ६ व्यक्तियों ने बताया है कि तट से लगभग २५० गज पहले यात्रियों से नाव से उतर जाने को कहा गया था । परन्तु जब कुछ व्यक्तियों ने नाव से उतरने से इन्कार कर दिया तो प्रभारी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने उनको धमकियां दीं और समुद्र में ढकेल दिया । सभी व्यक्ति डूब कर मरे ।

(ख) से (ङ). लंका सरकार ने बच हुए व्यक्तियों के विरुद्ध मुकद्दमे दर्ज नहीं किये हैं क्योंकि उन के नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है । परन्तु आप्रव्रजन नियंत्रक, मद्रास ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता और भारतीय आप्रव्रजन अधिनियम के अधीन कार्यवाही की है । जांच कार्यवाही की एक प्रति उन्हें भेज दी गई है । इस सम्बन्ध में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और अग्रेतर जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## रासायनिक उर्वकों का उत्पादन

†*१६१. राम सुभग सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर देश में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन बढाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कई अतिरिक्त उर्वरक कारखाने स्थापित करने का विचार है जिससे तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक पी$_2$ ओ$_5$ को ४ से ५ लाख टन और नाइट्रोजन के १० लाख टन उत्पादन के लक्ष्य पूरे हो जायें ।

## सरकारी फाइलें

†*१६२. श्री प्र० गं० देव :
श्री सम्पत :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री स० अ० मेहदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हरि-चन्द्र माथुर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय में अनावश्यक समझी जाने वाली २० लाख फाइलों को नष्ट करने का फैसला किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो फाइलों को नष्ट करने की क्या कसौटी है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). रिकार्ड में रखी गई फाइलों पर पुनः विचार करने का निर्णय किया गया है जिससे जिन फाइलों को रखने का समय समाप्त हो चुका है उनको नष्ट किया जा सके । संगठन तथा रीति विभाग द्वारा की गई प्राथमिक जांच से पता लगा है कि रिकार्ड में रखी गई ५० प्रतिशत फाइलें नष्ट की जाने को हैं । केन्द्रीय मितव्ययता बोर्ड ने प्राथमिक जांच के आधार पर मंत्रालयों से प्रार्थना की है कि अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति किए बिना वह इस काम को छः महीने से एक वर्ष की अवधि में पूरा कर दें ।

## मोटर गाड़ियों के पुर्जे

†*१६३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के पुर्जों के न मिलने से राजकीय परिवहन संगठनों में गम्भीर कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के पुर्जों का आयात किया गया ; और

(ग) क्या देश में इन पुर्जों के निर्माण के लिये कोई विशेष प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता होने पर भी राजकीय परिवहन संगठनों को वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के पुर्जे उपलब्ध किये जाते हैं । अक्तूबर, १९६० से मार्च, १९६१ की लाइसेंसिंग अवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति सम्बन्धी पुस्तक के परिशिष्ट २६ में बताई गई सामान्य आयात नीति के अधीन पुर्जों के आयात के लिये दी गई विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त राजकीय परिवहन संगठनों को परिवहन तथा संचार मंत्रालय की सिफारिशों पर पुर्जों के आयात लाइसेंस भी दिये जाते हैं ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी हां । देश में मोटर गाड़ी के पुर्जों के उद्योग का विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है । १९५७ में ४२.३२ लाख रुपये के पुर्जों का उत्पादन हुआ था परन्तु १९६० में बैटरी, टायर, ट्यूब तथा बाल बेयरिंग के उत्पादन के अतिरिक्त लगभग ९ करोड़ रुपये के पुर्जों का उत्पादन हुआ है । आशा है कि १९६५–६६ तक यह उत्पादन २५ करोड़ रुपये हो जायेगा ।

**नई दिल्ली में सरकार द्वारा भूमि की नीलामी**

†*१६४. **श्री सैं० अ० मेहदी :**
**श्री सम्पत् :**
**श्री प्र० गं० देव :**
**श्री आसर :**

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जोरबाग, डिप्लोमेटिक ऐनक्लेव और गोल्फ लिंक, नई दिल्ली में नीलाम की गई भूमि १५८ रुपये प्रति गज के भाव पर बेची गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस उद्देश्य के लिये क्या कदम उठाये हैं कि मध्य श्रेणी के लोग भी उचित दामों पर भूमि खरीद सकें ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उप-मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) कुल २४ प्लाट नीलाम किये गये थे । जिनका मूल्य १३४ रुपये से २४८ रुपये प्रति गज तक मिला था ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के भूमि विकास के कई प्रस्ताव तथा मितव्ययी दरों पर मकान बनाने के लिये भूमि की उपलब्धता पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## विदेशों में भारतीय फिल्मों का बाजार

†*१६५. { श्री उस्मान अली खां :
श्री साधन गुप्त :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विदशों में भारतीय फिल्मों के बाजार के विस्तार के बारे में फिल्मों संबंधी निर्यात संवर्धन समिति की सिफारिशें आई हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(घ) क्या निर्णय किया गया है?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभापतित्व में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के लिये समिति बनाई है। समिति की बैठक १७ जनवरी, १९६१ को नई दिल्ली में हुई थी और उसने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं:—

१. भारतीय फिल्मों के लिए बाजार की स्थिति के बारे में पुस्तिका तैयार करना तथा उसका वितरण करना।

२. विदशों में भारतीय फिल्मों का समारोह करना।

३. भारतीय दूतावासों के द्वारा भारतीय फिल्मों का फिल्म खरीदने वालों को प्रदर्शन।

४. ईरान, इराक, तुर्की, संयुक्त अरब गणराज्य, जोर्डन, लेबनान और सूडान को एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भेजना जिससे वहां की बाजार की स्थिति का अध्ययन किया जा सके।

५. विदेशों में वितरण के लिए भारतीय फिल्मों का एक सौवेनीर प्रकाशित करना।

६. उचित दरों पर उद्योग को 'सब-टाइटलिंग' की सुविधायें देने के लिए भारत सरकार द्वारा फिल्म डिवीजन में आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करना।

## मद्रास राज्य में चाय अनुसन्धान केन्द्र

†*१६६. **श्री तंगामणि : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में वालपाराय में एक चाय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र को कौन स्थापित कर रहा है;

(ग) सरकार कितनी सहायता देगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या केरल में किसी उपयुक्त केन्द्र में एक उप-केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वह स्थान कौनसा है और किस प्रकार का काम किये जाने की आशा की जाती है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी हां। बालपाराय के निकट।

(ख) चाय बोर्ड की वित्तीय सहायता से दक्षिण भारत की संयुक्त बागान संस्था।

(ग) और (घ). चाय बोर्ड ने संस्था को अन्नामलाई में एक केन्द्रीय शोधनशाला और फील्ड स्टेशन स्थापित करने के लिए तथा चाय पर गवेषणा करने के लिए केरल में एक सब-स्टेशन स्थापित करने के बारे में १४,८६,७०० रुपये का अनुदान दिया है।

(ङ) केरल में चाय क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं पर वल्लारडी एस्टेट, वन्डीपेरियार, के निकट सब-स्टेशन में गवेषणा की जायेगी।

## राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका

†*१६७. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
**श्री विद्याचरण शुक्ल** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र को राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ख) क्या इस मामले में अन्य अफ्रीकी-एशियाई देशों की प्रतिक्रिया जान ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो बहुमत क्या है?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) अभी तक दक्षिण अफ्रीका सरकार से कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं मिली है। ऐसी प्रार्थना मिलने पर ही सरकार परिस्थितियों के अनुसार उस पर विचार करेगी। 'वर्णभेद' तथा 'जाति भेद' के बारे में सरकार के विचार सर्वविदित हैं। सरकार का यह भी विचार है कि जाति भेद अथवा वर्णभेद की नीति राष्ट्रमंडल के मूल सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

(ख) और (ग). अन्य अफ्रेशियाई देशों की प्रतिक्रिया जानने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार केवल राष्ट्रमंडलीय देशों का है।

## 'चिड़ियाघर में एक दिन'[1]

†२५२. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६८ के ऊपर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 'चिड़ियाघर में एक दिन' फिल्म में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी होने को है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]'A day at Zoo'

## भारत-तिब्बत व्यापार

†२५३ श्री बी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में कालिम्पोंग-गंगटोक-नाथुला दर्रे के यातुंग कारवां मार्ग से भारत-तिब्बत व्यापार की क्या स्थिति है।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस मार्ग पर भारत-तिब्बत व्यापार में काफी कमी हुई है। जैसा कि १९५९ तथा १९६० के तीन महीनों के नीचे दिए गए तुलनात्मक आंकड़ों से स्पष्ट हैं :

(लाख रुपयों में मूल्य)

| निर्यात | अक्तूबर | नवम्बर | दिसम्बर |
|---|---|---|---|
| १९५९ | ३·८४ | १·०४ | १·४१ |
| १९६० | ·४५ | ·४६ | ·६९ |
| आयात | | | |
| १९५९ | २·५२ | २·६० | १·३७ |
| १९६० | ·१६ | ·२१ | ·६१ |

## जम्मू तथा काश्मीर में गन्दी बस्तियों की सफाई

†२५४. श्री बी० चं० शर्मा : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में जम्मू तथा काश्मीर में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) अब तक ऐसी कितनी योजनायें लागू हो चुकी हैं और वह किन किन स्थानों पर चालू की गई हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि व्यय हुई है?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) दूसरी योजनावधि में गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना के लिए जम्मू तथा काश्मीर सरकार को ८ लाख रुपये दिए गए हैं। इस धनराशि में राज्य सरकार का सहायता अंश २ लाख रुपये भी शामिल है।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने अभी तक योजना के अधीन कोई आयोजन नहीं किया है।

## पानी के कूलर

†२५५. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पानी के कूलरों की कुल कितनी मांग है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १ अप्रैल, १९५६ से १९६० के अन्त तक देश में वर्षवार कितने कूलर बनाये गये हैं; और

(ग) देश को इस बारे में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) पानी के कूलरों के समान उपभोग वस्तु की मांग का ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। परन्तु अनुमानतः वार्षिक मांग ३००० है।

(ख) १ अप्रैल, १९५६ से १९६० के अन्त तक की अवधि में हुआ पानी के कूलरों का उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

| वर्ष | उत्पादन |
|---|---|
| १९५६ (अप्रैल-दिसम्बर) | ९३९ |
| १९५७ | १८८० |
| १९५८ | २१३७ |
| १९५९ | १९१५ |
| १९६० | २२०० |

(ग) अक्तूबर, १९५७/मार्च, १९५८ की अवधि से पानी के कूलरों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मंत्रालय के विकास खंड की सूची के अनुसार निर्माताओं की वार्षिक क्षमता ४१३० है। उद्योग (विकास तथा पंजीयन) अधिनियम के अधीन जारी किए गए लाइसेंस के द्वारा अतिरिक्त वार्षिक क्षमता ६०० कर दी गई है। इस प्रकार देश में शीतक के निर्माता मांग पूरा कर सकेंगे।

## लोक निर्माण विभाग में वास्तुशास्त्री[1]

†२५६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ तथा १९६० में सरकारी तथा सरकार द्वारा नियंत्रित स्वशासित संस्थाओं और निगमों के भवन निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग के कितने वास्तुशास्त्रियों की सेवायें मांगी गईं; और

(ख) अवधि के लिये किये गये अनुमानों के अनुसार ऐसे निर्माण कार्य कितने मूल्य के हुये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मामलों की संख्या :

| | |
|---|---|
| १९५९ . | ५६ |
| १९६० . . . . . | २३ |

†मूल अंग्रेजी में

[1]Architects.

(ख) कुल मूल्य :

१९५९ : ३९ मामलों में २.८५ लाख रुपये। शेष १७ मामलों के मूल्य मालूम नहीं हैं ।

१९६० : १८ मामलों में १.३५ लाख रुपये । शेष ५ मामलों के मूल्य मालूम नहीं हैं ।

**निर्माण कार्यों के अधीक्षण के बारे में नियम**

†२५७. **श्री वें० प० नायर :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के भवनों के निर्माण के अधीक्षण के बारे में भारत सरकार ने कोई नियम बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह इन नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) और (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य "सरकारी तथा सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं' के बारे में क्या जानना चाहते हैं। सामान्यतः केन्द्रीय सरकार के सभी निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए जाते हैं और अधीक्षण भी उन्हीं का होता है। यदि केन्द्रीय लोक निर्माण के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था सरकारी काम करती है तो महालेखापाल का परामर्श लिया जाता है जिससे लेखा-परीक्षा और वित्तीय नियंत्रण की उचित व्यवस्था हो सके। इसके बारे में कोई विशेष नियम नहीं हैं ।

**फलों तथा वनस्पतियों का निर्यात**

†२५८. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने योरोपीय देशों को फलों तथा वनस्पतियों का बड़े पैमाने पर निर्यात करने की संभावनाओं पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या उनको योरोपीय नगरों तथा भारतीय नगरों में वनस्पतियों के तुलनात्मक मूल्यों का कुछ ज्ञान है; और

(ग) बड़े पैमाने पर निर्यात में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (ग). भारत में दरें सस्ती होने पर भी रेफरीजरेशन की परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण ताजे फलों तथा वनस्पतियों का बड़े पैमाने पर निर्यात संभव नहीं है ।

पश्चिमी यूरोप का दौरा करने वाले एक शिष्टमंडल ने डिब्बे के फलों तथा वनस्पतियों का निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में बताया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**महाराष्ट्र में अम्बर चरखा प्रशिक्षण केन्द्र**

†२५९. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) १९६०–६१ में अब तक महाराष्ट्र राज्य में कितने अम्बर चर्खा प्रशिक्षण केन्द्र हैं

(ख) इसमें कितने प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया ;

(ग) प्रशिक्षार्थियों के वितरित चर्खों की क्या लागत हैं; और

(घ) कितने अम्बर चर्खे प्रयोग में लाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**हातिया में ढलाई, गढ़ाई तथा भारी मशीनें बनाने के संयंत्र**

†२६०. { **श्री पांगरकर :**
**श्री नथवानी :**
**श्री मुरारका :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हातिया में ढलाई, गढ़ाई तथा भारी मशीनें बनाने के संयंत्रों और दुर्गापुर में कोयला खनन मशीनों के संयंत्र की स्थापना में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन परियोजनाओं के पूरे होने में कितना समय लगेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). भारी इंजीनियरिंग निगम ने १२ दिसम्बर, १९६० को मास्को के मेसर्स प्रोमाश-एक्सपोर्ट के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का परिशिष्ट और दुर्गापुर में कोयला खनन मशीन परियोजना के ४५,००० टन तक के विस्तार के लिये ड्राइंग तैयार करने के लिये ठेका किया गया है। प्रारंभिक कार्य जैसे कि निर्माण स्थलों को समतल बनाना, निर्माण की अवस्था में विद्युत् और जल की व्यवस्था और अस्थायी क्वार्टरों तथा सामान रखने के गोदामों का निर्माण पूरा हो गया है। दुर्गापुर और रांची में विशेषज्ञों का होस्टल प्रायः पूरा बन चुका है। ये संयंत्र तीसरी योजना के उत्तरार्द्ध में पूरे हो सकेंगे ।

**एन्नोर का उर्वरक कारखाना**

†२६१. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : मद्रास के निकट एन्नोर में उर्वरक कारखाने का निर्माण किस अवस्था में है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : एक विवरण संलग्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**विवरण**

ज्ञात हुआ है कि कारखाने की इमारतों का निर्माण-कार्य और संयंत्र और मशीनों की स्थापना का कार्य एक विदेशी सार्थ को सौंप दिया गया है। आयात की गई मशीनों का पहला जहाज मद्रास पहुंच गया है और मशीनों को उतारा जा रहा है।

४६.३ एकड़ भूमि कारखाने के लिये अर्जित की जा चुकी है।

कारखाने की भूमि को समतल बनाने का कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका है और सिविल इंजीनियरिंग कार्य शुरू हो गया है।

प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मद्रास राज्य बिजली बोर्ड से ७००० किलोवाट बिजली के लिये मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

कारखाने के लिये मीठे पानी की काफी मात्रा में संभरण की व्यवस्था के लिये अनुसंधान किए जा रहे हैं।

**सीमेंट का निर्यात**

†२६२. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६० में भारतीय सीमेंट के विदेशों को निर्यात में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) सीमेंट का विदेशों को निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). १९६० में १,४०,७५२ टन सीमेंट निर्यात किया गया जब कि १९५८ में ४०,६०२ टन और १९५९ में १,७६,९०२ टन निर्यात किया गया था। १९६० में कुल निर्यात में यह कमी अंशतः आंतरिक मांग की वृद्धि और अंशतः पड़ौसी देशों पर केन्द्रित रहने की आवश्यकता के कारण है जिनमें दीर्घकालीन बाजार स्थापित करने की अधिक संभावनायें हैं। १९६० में पाकिस्तान, लंका, ईरान की खाड़ी के पत्तन, अफगानिस्तान और बर्मा जैसे पड़ौसी देशों को निर्यात में निश्चित वृद्धि हुई है तथा उसकी कुल मात्रा १,४०,७५२ टन रही है जब कि १९५८ और १९५९ में यह क्रमशः ३७,३७१ टन और ९०,८८१ टन थी।

**पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार**

†२६३. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ हमारे व्यापार में असन्तुलन को कम करने के लिये वर्ष १९६० के उत्तरार्द्ध में क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या इन कदमों के परिणामस्वरूप स्थिति में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो कहां तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ अपने व्यापार में असन्तुलन को कम करने के लिये कोई नए अथवा विशेष कदम नहीं उठाए गये थे। कुछ कदम जो स्थायी रूप से उठाये जा रहे हैं १२ अगस्त, १९६० को अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० के उत्तर में सभा को बताए जा चुके हैं।

(ख) और (ग). पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ हमारे व्यापार के जुलाई-दिसम्बर, १९६० की अवधि के देशवार आंकड़े कुछ समय के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे।

## प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्वागत पर व्यय

†२६४. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
**श्री हेमराज** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों और राज्यों के प्रधानों के उनके भारत भ्रमण के दौरान, स्वागत में १९५२–५३ से १९५९–६० तक वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : विभिन्न विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों और राज्यों के प्रधानों के, उनके भारत भ्रमण के दौरान, स्वागत में १९५२–५३ से १९५९–६० तक वर्षवार व्यय की गई राशि नीचे दी गई है :

| वर्ष | राशि (रुपयों में) |
|---|---|
| १९५२–५३ | १,६४,२२७ |
| १९५३–५४ | १,४१,८३९ |
| १९५४–५५ | ७,५७,१५६ |
| १९५५–५६ | २२,२१,५३५ |
| १९५६–५७ | २१,५४,२५८ |
| १९५७–५८ | २१,३९,५६१ |
| १९५८–५९ | १८,२७,५५० |
| १९५९–६० | २४,९६,८८९ |

## भूमि सुधार

†२६५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
**श्री विभूति मिश्र** :
**श्री बाल्मीकी** :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में भूमि-सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में आद्यतन क्या प्रगति (राज्य-वार) हुई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८]**

**भारतीय चीनी उत्पादिता दल**

†२६६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री पांगरकर :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी उत्पादिकता दल ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**'स्विंग क्रेडिट' सीमा**

†२६७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा के मामले में 'स्विंग क्रेडिट' की सीमा बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : बैंकिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है और 'स्विंग' सीमा बढ़ाये जाने के प्रश्न पर उसके अन्तिम निर्णय के समय विचार किया जायगा ।

**स्कूटरों के मूल्य**

†२६८. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न प्रकार के स्कूटरों के मूल्य क्या हैं ; और

(ख) मूल्यों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) स्कूटरों के, जो इस समय भारत में निर्मित किए जा रहे हैं, मूल्य नीचे दिए गये हैं :—

| | | कारखाना-मूल्य (रुपयों में) | सूची-मूल्य (रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| १. लम्ब्रेटा | १५० सी० सी० | १,५८० | १,८०० |
| | ४८ सी० सी० | ७४७ | ८२७ |
| २. वेस्पा | १५० सी० सी० | १,८१५ | १,९५४ |

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मूल्यों में अन्तर का मुख्य कारण उन मूल्यों का अन्तर है जो भारतीय निर्माताओं को इन स्कूटरों के आयात किए जाने वाले भागों के लिए उनके उत्पादक देशों को देने पड़ते हैं।

**गिंडी में आद्यरूप प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र**

†२६९. { **श्री रा० च० माझी :**
**श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिंडी में आद्यरूप प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना के लिए बातचीत पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब शुरू होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). नवम्बर-दिसम्बर, १९६० में भारत आए फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई चर्चा के परिणामस्वरूप उन्हें कुछ प्रस्ताव पेश किए गए हैं। उन पर फ्रांसीसी पक्ष द्वारा विचार किया जा रहा है और हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

**गैर-सरकारी समवायों के लेखाओं का लेखापरीक्षण**

†२७०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अन्तर्गत गैर-सरकारी सीमित समवायों के लेखाओं के लेखापरीक्षण के लिए १९५९–६० में गैर-सरकारी लेखापरीक्षकों को कुल कितनी फीस भुगतान की गई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१७ के अर्थ के अन्तर्गत सरकारी समवायों, जो पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, के लेखा-परीक्षकों को वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिए कुल देय फीस २,८०,८९७ (२ लाख अस्सी हजार आठ सौ सत्तानवे) रुपए थी।

**प्रति व्यक्ति विनियोजन**

†२७१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में (१) उद्योगों, (२) कृषि सम्बन्धी कार्यों और कार्यक्रमों और (३) समाज सेवाओं में केन्द्रीय निधियों का प्रति व्यक्ति प्रत्यक्ष विनियोजन कितना है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितने विनियोजन का अनुमान है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

**क्रायोलाइट**[1]

†२७२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रायोलाइट के देसी उत्पादन की क्या स्थिति है ; और

(ख) उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए अनुमानित मांग कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस समय क्रायोलाइट का देश में बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होता है ।

(ख) इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्रायोलाइट की वर्तमान वार्षिक आवश्यकता लगभग २००० लाख टन है ।

**केरल में गन्दी बस्तियों की सफाई**

†२७३. **श्री कोडियान** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा केरल सरकार को राज्य में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां तो वह सहायता किस प्रकार की तथा कितनी है ;

(ग) क्या मंजूर की गई राशि को पूरी तरह काम में लाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). केरल सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना को क्रियान्वित करने के लिये ५७·२८ लाख रुपय की राशि आवण्टित की गई है। इसमें ४२.९६ लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के हैं और १४·३२ लाख रुपये राज्य सरकार का अंश है ।

(ग) ३१ दिसम्बर, १९६० तक केरल राज्य में ३९·९२ लाख रुपये की लागत की गन्दी बस्तियों की सफाई की २५ परियोजनायें मंजूर की गई हैं जिनमें ८५४ मकानों और २८८ छोटे मकानों का निर्माण और ५०२ प्लाटों का विकास सम्मिलित है। कार्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर राज्य सरकार को ३१ मार्च, १९६० तक केन्द्रीय सहायता के रूप में ८·६३ लाख रुपये उपलब्ध किय गय थे। वर्ष १९६०–६१ में केन्द्रीय सहायता के रूप में ४·३० लाख रुपये की राशि और आवंटित की गई है ।

(घ) केरल सरकार ने बताया है कि राज्य में गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना में मन्द प्रगति का कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक भूमि के अर्जन में होने वाला विलम्ब है ।

**नई दिल्ली की लोधी कोलोनी की चैमरियां**

†२७४. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की लोधी कोलोनी की १२० चैमरियां फैमिली क्वार्टरों में परिवर्तित की जा रही हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cryolite

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ये चैमरियां परिवर्तन का वास्तविक कार्य शुरू होने से लगभग दो वर्ष पहले से खाली रखी गई थीं ;

(ग) क्या यह सच है कि इससे सरकार को राजस्व में हानि हुई ; और

(घ) यदि हां, तो हानि की राशि कितनी है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) से (घ). लोधी कोलोनी की १२० चैमरियां एक प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के अन्तर्गत फैमिली क्वार्टरों में परिवर्तित की गई हैं अथवा की जा रही हैं और प्रत्येक प्रावस्था में ४० चैमरियों का कार्य लिया जाता है। पहली किश्त का कार्य १ नवम्बर, १९६० को पूरा हो गया था और दूसरी ४० चैमरियों का कार्य जारी है तथा उसके फरवरी, १९६० के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है। ४० चैमरियों की तीसरी किश्त का कार्य ३१ दिसम्बर, १९६० को पूरा हो गया था।

यह सही नहीं है कि ये चैमरियां परिवर्तन कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व दो वर्ष खाली रखी गई थीं। परन्तु पहली ४० चैमरियां जनवरी से जुलाई, १९५८ के अन्त तक के लगभग ६ महीनों की अवधि में खाली कराई गई थीं जबकि परिवर्तन कार्य अक्तूबर १९५८ में शुरू किया जा सका। विलम्ब का कारण यह था कि तीन बार टेंडर आमंत्रित किये जाने पर भी संतोषजनक टेंडर नहीं मिले और वह कार्य विभाग द्वारा ही शुरू कराना पड़ा।

दूसरी ४० चैमरियां अगस्त, १९५८ के अन्त तक खाली करा ली गई थीं। इस मामले में भी टेंडर ठीक नहीं मिले और कई बार टेंडर आमंत्रित करने के बाद मई, १९६० में वह कार्य दिया गया।

जहां तक तीसरी प्रावस्था के अन्तर्गत ४० चैमरियों का सम्बन्ध है, वे मार्च, १९५९ के मध्य तक खाली कराई गई थीं। दूसरे मामलों में प्राप्त असंतोषजनक टेंडरों को देखते हुए अक्तूबर, १९५९ में यह निर्णय किया गया कि वह कार्य विभाग द्वारा कराया जाये।

चैमरियों के खाली होने और कार्य शुरू होने की तारीख के बीच टेंडर आमंत्रित करने और अन्तिम निर्णय करने के लिये कुछ अन्तर रहना अनिवार्य है। यह सही है कि वह अन्तर कुछ अधिक पड़ गया परन्तु उसका मुख्य कारण ठीक टेंडर न आना था। सरकार की आय में हानि, यदि कोई हो, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण रही है।

**केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मभारित संस्थापन के लिफ्ट कर्मचारी**

†२७५. **श्री तंगामणि : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मभारित संस्थापन के लिफ्ट कर्मचारी वित्त मंत्रालय के ओ० एम० नम्बर एफ० ८ (१) ई एस टी (एस पी एल)/६० दिनांक १२-८-१९६० के पैराग्राफ ४ में परिभाषित गैर-औद्योगिक श्रेणी में आते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उपरिलिखित मीमों के पैराग्राफ ५ में निर्धारित नीति के अनुसार उनको नियमित संस्थापन में लाया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). मामला सरकार के विचाराधीन है। बताये गये ओ० एम० में नहीं बताई गई श्रेणियों को प्रशासनिक कारणों के लिये नियमित स्थापनाओं में स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## आयात नियंत्रकों की भरती

†२७६. { श्री आसर :
श्री वाजपेयी ।

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आयात निन्त्रकों तथा सहायक नियन्त्रकों की भरती के नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह नियम क्या हैं ; और

(ग) यह किस तिथि से प्रभावी होंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). आयात तथा निर्यात के निदेशक तथा सह-निदेशक के पदों के भरती नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उन पर विचार किया जा रहा है। अन्तिम रूप दिये जाने पर नियमों को सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

## भारतीय शरणार्थी ठेकेदारों को भुगतान

†२७७. **श्री अजित सिंह सरहदी : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन पूर्व के निक्षेपों, बकाया धनों, तथा न्यायालय के निक्षेपों को भारतीय शरणार्थी ठेकेदारों को भुगतान करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) अभी तक कितना बकाया धन शेष है और कितना निबटाया जा चुका है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

| | रजिस्टर्ड दावे | | निबटाये गये दावे | | | | अभी तक लम्बित शेष धन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | १. स्वीकृत | | २. अस्वीकृत | | | |
| | संख्या | राशि लाख रुपये | संख्या | राशि लाख रुपये | संख्या | राशि लाख रुपये | संख्या | राशि लाख रुपये |
| १. सम्भरित तथा दी गई सेवाएं | २९५७ | ४२९·६९ | १०० | १९·५८ | ५८५ | १६४·११ | २२७२ | २४६·०० |
| २. विभाजन पूर्व के निक्षेप | २२९८ | १३२·०० | ३७३ | ४४·०७ | ५४८ | ३९·९३ | १३७७ | ४८.०० |
| ३. न्यायालय निक्षेप | १९७३* | १६०·८० | १५४ | ४·११ | ४७० | २५·७५ | १३४९ | १३०·९४ |

*इन व्यक्तिगत दावों के अतिरिक्त भारत को पाकिस्तान सरकार से भारतीय राष्ट्रजनों के लगभग ३४४६ जांच किये गये दावों की सूची मिली है परन्तु इन मामलों में निक्षेप (जैसे पास बुक, पोस्टल सर्टिफिकेट, बैंक अकाउन्ट तथा सरकारी प्रत्याभूति और भुगतान प्राधिकर्ता) सरकार से अभी नहीं मिले हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

## राज्य व्यापार निगम

†२७८. **श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ में विदेशी प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेने के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम के क्या कार्यक्रम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने का संगठन प्रदर्शनी निदेशालय द्वारा किया जाता है। राज्य व्यापार निगम का १९६१–६२ का मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने का कार्यक्रम विचाराधीन है।

## कार, ट्रक, जीप आदि का निर्माण

२७९. **श्री खुशवक्त राय : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष भारत में कुल कितनी कारें, ट्रक, जीपें, मोटर साइकिलें, स्कूटर और आटो-रिक्शा बनाये ग ;

(ख) इनकी संख्या १९५८ व १९५९ में क्या थी ;

(ग) क्या जितनी क्षमता इनके बनाने की है उसका पूरा-पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं; और

(घ) विगत वर्ष के उत्पादन का मांग से क्या अनुपात रहा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). १९५८ से लेकर १९६० में इनके उत्पादन तथा बनाने की क्षमता के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

| | उत्पादन | | | बनाने की क्षमता प्रति वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| | १९५८ | १९५९ | १९६० | |
| कारें | ८,११३ | ११,९९३ | १९,०९६ | २०,२०० |
| ट्रक | १५,३२५ | २०,३४२ | २७,५१८ | २८,००० |
| जीपें | ३,५५० | ४,५६८ | ५,५०१ | ५,५०० |
| मोटर साइकिलें | २,६५३ | ३,२३९ | ३,९९८ | ५,००० |
| स्कूटर | ४,३९१ | ३,९८० | १२,८८० | पता लगा सकना सम्भव नहीं |
| आटोरिक्शा | ४८३ | ९४७ | ४९६ | |

(घ) निर्माताओं द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार १९६० के अन्त तक कारों के संभरण की स्थिति उपरोक्त थी जो कि मांग की ६२ से लेकर ७९ प्रतिशत तक रही। स्कूटरों तथा अन्य गाड़ियों की मांग के प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध दहीं हैं।

†मूल अंग्रेजी में

## उड़ीसा में गन्दी बस्तियों की सफाई

†२८०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरी दूसरी पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों की सफाई के अधीन उड़ीसा को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) इस योजना के अधीन उड़ीसा के लिये किन परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थीं; और

(ग) इस कार्य के लिये उड़ीसा सरकार ने अब तक कितनी धनराशि व्यय की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) दूसरी योजनावधि में गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना के लिये उड़ीसा सरकार को १२ लाख रुपये आवंटित किये गए हैं। इसके ३ लाख रुपये की वह धनराशि भी शामिल है जो सहायता में राज्य सरकार का अंश है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ग) ३१ मार्च, १९६० तक गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना के लिये उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में ६·१९ लाख रुपये की राशि दी गई है । १९६०–६१ में केन्द्रीय सहायता के रूप में १·८५ लाख रुपये की और राशि आवंटित की गई है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार कुल व्यय का २५ प्रतिशत सहायता में अपना अंश देगा ।

## हांडी धुआं कोयला खान

†२८१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के तालचेर में हांडी धुआं कोयला खान के मालिक ने इस कोयला खान में इस्तेमाल में लाई गई मशीनों तथा यंत्रों का किराया दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना धन किराये के रूप में दिया गया ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## हैवी इलैक्ट्रिकल्स (प्रा०) लिमिटेड, भोपाल

†२८२. **श्री स० मो० बनर्जी** :
**श्री अ० मु० तारिक** :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स (प्रा०) लिमिटेड, भोपाल के उत्पादन में कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : कारखाने के प्रबन्ध ने मार्च, १९६२ तक ३.० करोड़ रुपये के ट्रान्सफारमर, स्विचगीयर, कन्ट्रोलगीयर तथा कैपैसिटर्स के निर्माण के उत्पादन लक्ष्य

---

†मूल अंग्रेजी में

निश्चित किए हैं। यंत्रों के निर्माण के लिये आवश्यक कच्चे माल का उन्होंने प्रबन्ध किया है और उत्पादन आरंभ कर दिया है। बिक्री के लिये वस्तुओं को १९६१ के उत्तरार्द्ध में बाजार में भेज दिया जायेगा।

### पंजाब के लिये आवास बोर्ड

†२८३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या निर्मण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब सरकार से एक आवास बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) १९५८ में दार्जिलिंग में हुए आवास मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार पंजाब सरकार (अन्य राज्यों समेत) से एक आवास बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) मामले पर राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

### कलकत्ता और बम्बई में अस्पताल

†२८४. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन कलकत्ता और बम्बई में अस्पताल स्थापित कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) अभी नहीं।

(ख) **कलकत्ता क्षेत्र :** एक अस्पताल के लिये भूमि का अर्जन कर लिया गया है और दूसरे अस्पताल के लिये एक भवन के क्रय के लिये बातचीत हो रही है। अन्य अस्पतालों के लिये भूमि के अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

**बम्बई क्षेत्र :** दो अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। अन्य दो अस्पतालों के लिये भूमि का अर्जन किया जा रहा है।

### केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को अधिक भुगतान

†२८५. **श्री कुन्हन :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : १९५८–५९ तथा १९५९–६० वर्षों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को कितने अधिक भुगतानों के मामलों का मुख्य प्रविधिक जांच कर्त्ता संगठन ने पता लगाया तथा उनके बारे में महालेखापालों को दी गई सूचना के ब्यौरे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : पता लगाये गये अधिक भुगतानों के मामलों के ब्यौरे तथा महालेखापालों को ऐसे भुगतानों के मामलों के बारे में सूचना के ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

| वर्ष | मामलों की संख्या | धनराशि |
|---|---|---|
| १९५८–५९ . | १५७ | ८,८२,१०० रुपये |
| १९५९–६० . | २७३ | ९,७४,६९६ रुपये |

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को अधिक भुगतान**

†२८६. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) ७८६ मामलों में अधिक भुगतान के बारे में नीचे बताये गये ब्यौरे :

(१) ५ लाख रुपये तक के अधिक भुगतानों के मामलों की संख्या; और

(२) ५ लाख रुपये से १० लाख रुपये तक के अधिक भुगतानों के मामलों की संख्या; और

(ख) क्या इनमें से किसी मामलों में अधिक भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) (१) और (२) किसी भी मामले में ५ लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है ।

(ख) गंभीर अनियमितताओं के ५३ मामलों में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो अधिक भुगतानों तथा अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार थे कार्यवाही आरम्भ की गई है । इनमें से २१ मामलों में निर्णय लिये जा चुके हैं और १० एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों, १८ असिस्टेंट इंजीनियरों तथा १३ विभागीय अधिकारियों अर्थात् ४१ अफसरों को चेतावनी से लेकर वेतन तथा निवृत्ति वेतन में कमी किये जाने की सजायें दी गई हैं ।

**इम्फाल में रेडियो स्टेशन**

२८७. श्री ले अचो० सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल में एक रेडियो स्टेशन खोला जायेगा और वहां पर एक ट्रांसमीटर लगाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और ट्रांसमीटर की लागत क्या होगी ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) आशा है कि १९६२–६३ में यह चालू हो जायेगा । ट्रांसमीटर लगाने का प्राक्कलित व्यय लगभग १·४ लाख रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**आकाशवाणी की लिप्यन्तरण तथा कार्यक्रम विनिमय सेवा[1]**

†२८८. **श्री कालिका सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी की लिप्यन्तरण तथा कार्यक्रम विनिमय सेवा के कार्य, उपयोग तथा क्रियाकलाप क्या हैं;

(ख) इस सेवा की १९५९–६० में कार्यवाही तथा चालू वर्ष १९६०–६१ में इसके कार्यों का कितना विस्तार हुआ है; और

(ग) १९५९–६० में इस सेवा में कुल कितने कर्मचारी थे और सेवा पर कुल कितना व्यय किया गया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). जानकारी का एक नोट संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]

| | | |
|---|---|---|
| (ग) | ३१-१२-६० को कर्मचारी | १२७ |
| | १९५९–६० में कुल व्यय . | ४,७९,५९० रुपये |

---

## निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सदन को यह बताते हुए अपार खेद है कि श्री उमा चरण पटनायक की शनिवार १८ फरवरी १९६१ को नयी दिल्ली में एक बजे दोपहर मृत्यु हो गयी । वह ५९ वर्ष के थे ।

श्री पटनायक उड़ीसा के गंजम चुनाव क्षेत्र से १९५२ से बराबर लोक सभा के सदस्य चले आ रहे थे । हमें इस हानि के लिए अपार दुःख है । मुझे विश्वास है कि दुःखी परिवार को समवेदना प्रकट करने में सारा सदन मेरे साथ होगा ।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह एक मिनिट के लिए खड़े हो जायें और मौन रहें ताकि दुःख प्रकट किया जा सके ।

(माननीय सदस्य एक मिनिट के लिये मौन खड़े रहे)

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि**

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) :** मैं श्रीमती लक्ष्मी मेनन की ओर से तारांकित प्रश्न संख्या १९ के १५ फरवरी, १९६१ को चीनियों द्वारा सतलुज नदी पर बांध बनाये जाने के बारे में दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [देखिये वाद विवाद, १५-२-६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर]

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Transcription and programme Exchange Service.

# प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

## एक सौ छवां प्रतिवेदन

†श्री दासप्पा (बंगलोर) : मैं, मोटर परिवहन तथा विविध के बारे में प्राक्कलन समिति (प्रथम लोक सभा) के साठवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ छवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

---

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## उत्तर प्रदेश में कोयले और कोक की कमी

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कानपुर में कोयले और कोक की अत्यधिक कमी की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं । मेरा निवेदन है कि वह इस पर अपना वक्तव्य दें ।

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : विभिन्न प्रकार के कोयले के सम्भरण के दो अंग हैं । समुचित उत्पादन हो और कोयला उपभोक्ताओं के पास पहुंचाने की व्यवस्था की जाये । जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है कोयले का उत्पादन इतना है कि देश की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । इस दिशा में उत्पादन ६०० लाख टन प्रति वर्ष के निर्धारित लक्ष्य से भी आगे चला गया है । यदि कोयले की कहीं कमी पड़ गयी हो तो यह कोयला खानों के क्षेत्र से देश के दूरस्थ स्थानों को कोयला भेजने सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण पड़ी होगी । देश के समस्त उत्पादन का ७५ से ८० प्रतिशत भाग बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों में होता है । इनसे देश के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भाग काफी दूर पड़ते हैं । लगभग यह दूरी ११०० मील की फैलती है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केवल १० लाख टन समुद्र मार्ग से और २४ लाख टन दक्षिण रेल मार्ग से कोयला उठाया गया । १९५५–५६ में ३५३ लाख टन कोयला उठाया गया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों में इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार थी :

| वर्ष | टनों में उठाया गया कोयला (लाखों में) | गत वर्ष से प्रतिशतता की वृद्धि |
|---|---|---|
| १९५६–५७ | ३८२ | ८.२ |
| १९५७–५८ | ४०५ | ६.० |
| १९५८–५९ | ४३० | ६.२ |
| १९५९–६० | ४४६ | ३.७ |

चालू वर्ष, अर्थात् १९६०–६१ में ४९५ लाख टन कोयला उठाया गया है । यह गत वर्ष के उठाये गये कोयले से ११ प्रतिशत अधिक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

१९५९ में रोजाना औसतन १९५२ वैगन 'मुगल सराय से ऊपर' की दिशा में जाते थे। जनवरी १९६१ में इन वैगनों की संख्या १९३९ हो गयी थी। परन्तु जबलपुर के उपद्रवों के कारण तीन फरवरी १९६१ को वैगन भेजने की व्यवस्था को कुछ आघात पहुंचा। इसके बाद यह उपद्रव मध्य प्रदेश के दूसरे भागों में भी फैल गया और इससे रेलवे के महत्वपूर्ण केन्द्रों को काफी हानि पहुंची। इसका परिणाम यह हुआ कि कोयला वैगनों की संख्या औसतन १६४४ रह गयी। स्थिति सामान्य होते ही कुल मिला कर ५,००० वैगन हो जायेंगे और "मुगल सराय से ऊपर' वाली दिशा में १,९०० वैगन भेजे जाने लगेंगे।

यद्यपि १९६१ में वैगनों की उपलब्धि में वृद्धि हुई, फिर भी मांग पूरी नहीं हो सकी। कोयले की मांग परिवहन के उपलब्ध साधनों की तुलना में बहुत बढ़ गयी है। ऐसी स्थिति में जब कि सम्भरण की अपेक्षा मांग अधिक हो प्राथमिकता पद्धति का सहारा लेना ही पड़ता है। महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं जैसे इस्पात के कारखानों रेलवे, बिजली घरों, सीमेन्ट के कारखानों, इंजीनियरिंग वर्कशापों तथा ढलाई के कारखानों को उनकी न्यूनतम जरूरत भर के लिए कोयला मिलता रहे, यह व्यवस्था करनी पड़ती है। इन संस्थानों की भंडार स्थिति का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब कभी पता लगता है कि किसी कारखाने में कोयले की कमी है तो उसके लिए तुरन्त कोयले की व्यवस्था की जाती है। कई रेलवे वाले स्वयं अपने स्टाक में से महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कोयला दे देते हैं, क्योंकि ऐसा न करने से उद्योग के बन्द हो जाने का भय रहता है। प्रत्येक प्रकार का यत्न किया जाता है कि कोई उद्योग बन्द न हो। इससे यह जरूर हो जाता है कि छोटे मोटे ईंटें इत्यादि बनाने वाले उपभोक्ताओं और घरेलू उपयोग के कोयले पर अवश्य कुछ कुप्रभाव होता है। परन्तु इसका कोई इलाज नहीं होता।

कानपुर में कोयले और कोक की कमी का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, इस दिशा में निवेदन है कि कानपुर के बिजली घर के पास ३० दिनों तक के लिए कोयले का स्टाक है। बताया गया है कि कपड़े तथा रेयन मिलों के केवल एक ग्रुप के सामने कोयले की कठिनाई है। परन्तु उनमें से भी कोई उद्योग बन्द नहीं हुआ है। सूती कपड़े की मिलों के लिए १० वैगन और रेयन मिल के लिए १४ वैगन कोयला तुरन्त पहुंचाने के लिए विशेय प्रबन्ध कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त जुलाई १९६१ के बाद परिवहन स्थिति में आगे बहुत सुधार हो जाने की आशा है। उस समय बंगाल–बिहार क्षेत्र में कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की संख्या बढ़ा कर ५,२०० प्रतिदिन कर दी जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि मुगल सराय की दिशा में जाने के लिए २०० वगनों की वृद्धि हो जायगी। अर्थात् स्थिति यह होगी कि इस दिशा के क्षेत्रों को प्रतिदिन २,१०० वैगनों की सेवायें मिलेगी जब कि अब उन्हें प्रतिदिन १,९०० वैगनों की सेवायें उपलब्ध हैं।

एक दम परिवहन क्षमता की वृद्धि सम्भव नहीं। समुद्र मार्गों द्वारा कोयला ढोने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। दक्षिण रेलवे को इस मार्ग से कोयला प्राप्त हो भी रहा है। इसी प्रकार कोयला परिवहन के वैकल्पिक साधनों में सड़क परिवहन तथा अन्य उपायों को भी प्रयोग में लाया जायगा। यह भी सुझाव है कि अहमदाबाद में कोयला बंगाल और बिहार से न भेज कर मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों से भेजा जाय।

इस दिशा में एक भट्टी का तेल प्रयोग करने की बात भी विचारी जा रही है । इस से कोयला भी बचेगा और इसको ढोने के लिए जो भी परिवहन अपेक्षित था उसकी भी बचत हो जायेगी । इसका कहीं और प्रयोग किया जा सकता है । और भी बहुत प्रकार से प्रबन्ध किये जा रहे हैं ताकि दूर दूर तक देश भर में कोयला पहुंचाया जाय ।

†श्री स० मो० बनर्जी : कोक के बारे में मुझे कानपुर के स्थानीय अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि वहां कोई गाड़ी नहीं लगी ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे पता चला है कि इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गयी है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : कानपुर को कितनी गाड़ियां दी गयी हैं ?

†उपाध्यक्ष महोदय : सभी प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता । मंत्री महोदय ने अपना सविस्तार वक्तव्य दिया है और माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर भी दिया है । यदि बाद में इस पर चर्चा की आवश्यकता होगी तो देखा जायेगा ।

श्री जगदीश अवस्थी : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रेल वैगनों की बहुत कठिनाई है, इस वजह से मोटर ट्रक्स वगैरह का प्रबन्ध किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि कानपुर के लिए चूंकि सोफ्ट कोक की तुरन्त आवश्यकता है इसलिए क्या आप वैगनों के अतिरिक्त मोटर ट्रक्स का भी प्रबन्ध करने जा रहे हैं या किया गया है, अगर नहीं किया गया है तो क्या आप सम्बद्ध अधिकारियों को सलाह देंगे कि एमरजेंसी को मीट करने के लिए वे ऐसा करें और वहां पर सोफ्ट कोक पहुंचायें ताकि लोगों के घरों में चूल्हे तो जल सके ? जहां तक मिलों को इस्तेमाल के लिए कोयला पहुंचाने का सम्बन्ध है, वह चीज़ थोड़ी देर बेट कर सकती है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : उसूलन मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि वहां पर मोटर-गाड़ियों से कोयला पहुंचाया जाए मगर मैं समझता हूं कि कानपुर कोयला इस तरह से पहुंचाना मुश्किल होगा क्योंकि कोल-फील्ड्स से कानपुर काफी फासले पर है।

†श्री बजराज सिंह (फिरोजाबाद ) : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि ५० लाख टन कोयला पड़ा है और उस के लिए परिवहन की यवस्था नहीं हो सकी । मैं जानना चाहता हूं कि अब इस दिशा में तुरन्त पग उठाये जाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : सारे वक्तव्य में यही बताया गया है कि स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कुछ किया जा रहा है ।

†श्री रंगा (तेनालि ) : माल-डिब्बे देने के बारे में प्राथमिकता देने के संबंध में निर्णय कौन करता है ? माननीय मंत्री का मंत्रालय अथवा रेलवे मंत्रालय ? प्राथमिकताओं का निणय करने में जो कमियां रह गयी हैं, उसका निर्णय कौन करेगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : प्राथमिकता का निर्णय करते समय उपभोक्ता मंत्रालय से परामर्श कर लिया जाता है और परिवहन क्षमता का भी अनुमान लगा लिया जाता

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

है । इस संबंध में किसी समय मैं प्राथमिकताओं की सूची सभा पटल पर रख सकता हूं । यदि माननीय सदस्य का यह सुझाव हो कि इस दिशा में किसी वस्तु को अनुचित प्राथमिकता दी गयी है और किसी की अनुचित तौर पर उपेक्षा की गयी है, तो उस पर विचार किया जा सकता है। सभी प्रकार की औद्योगिक आवश्यकताओं पर विचार कर के ही प्राथमिकताओं का निर्णय किया गया है । इस के लिए रेलवे, सिंचाई तथा विद्युत, निर्माण, आवास और संभरण तथा अन्य मंत्रालयों से भी परामर्श कर लिया गया था ।

---

## समिति के लिये निर्वाचन

### राजघाट समाधि समिति

†निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, १९५१ की धारा ४ की उप-धारा (१) (घ) और (४) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, श्रीमती सुचेता कृपालानी के स्थान पर, जिन्होंने लोक-सभा से त्याग-पत्र दे दिया है, राजघाट समाधि समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुने।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, १९५१ की धारा ४ की उपधारा (१) (घ) और (४) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, श्रीमती सुचेता कृपालानी के स्थान पर, जिन्होंने लोक-सभा से त्याग पत्र दे दिया है, राजघाट समाधि समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

## द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक

†उपाध्यक्ष महोदय : सभा, अब द्विसदस्यीय संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करने और उन के स्थान पर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

†श्री अ० प्र० जैन (सहारनपुर): खंड ३ और ६ पर चर्चा आज के लिये निलम्बित कर दी गयी थी, उन पर मैंने कई संशोधन प्रस्तुत किये थे। उन संशोधनों के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कई सदस्यों ने कुछ शंकायें उठायी हैं, उन्हें देखते हुए मैं उन संशोधनों को वापस लेता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि (मदुरै) : इस संबंध में सरकार की क्या राय है ?

†श्री अ० कु० सेन : सरकार श्री जैन को अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं करेगी।

†उपाध्यक्ष महोदय : इसका तात्पर्य यह है कि इन संशोधनों पर जो संशोधन रखे गये थे वे भी स्वतः ही समाप्त हो गये । इस संबंध में कुछ अन्य संशोधन हैं श्री त्यागी अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं।

†श्री त्यागी (देहरादून) : मैं संशोधन संख्या ५६ प्रस्तुत करता हूं। मेरा संशोधन स्पष्टीकरण के रूप में है इस से चुनाव आयोग और मंत्री महोदय का कार्य आसान हो जायेगा । वस्तुतः जिस समय ये निर्वाचन क्षेत्र बनाये गये थे उस समय मैं परामर्शदातृ बोर्ड में एक सदस्य था, अतः उस समय अपनाये गये सिद्धान्तों के आधार पर मेरी यह राय है कि विभाजन करते समय चुनाव आयुक्त को विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों से किसी प्रकार की छड़ छाड़ नहीं करनी चाहिये, इस के विपरीत उन्हें पांच पांच निर्वाचन क्षेत्र एक ओर रख लेने चाहियें। इस प्रकार यह कार्य आसानी से किया जा सकता है ।

मेरे संशोधन के दूसरे अंश का आशय यह है कि यह वस्तुतः अनुचित बात है कि हम तीन चौथाई नागरिकों को अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, इस से वे अपनी पसंद का उम्मीदवार संसद् के लिये खड़ा करने से बंचित हो जायेंगे, अतः इस से काफी असंतोष पैदा हो सकता है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि उन्हें संसदीय और विधान सभाई दोनों में प्रतिनिधित्व से वंचित न किया जाय, जिस निर्वाचन क्षेत्र में संसद के लिये स्थान सुरक्षित हो वहां से विधान सभा के लिये स्थान सुरक्षित न किये जांय। इस से यह भी लाभ होगा कि वे ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ जो वर्षों से अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं वे यदि संसद से खड़े नही हो सकेंगे तो विधान सभाओं के लिये खड़े हो सकेंगे ।

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं श्री त्यागी का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं। श्री त्यागी के संशोधन का यह प्रभाव होगा कि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के अतिरिक्त और सभी निर्वाचन क्षेत्रों का भी परिसीमन करना होगा । श्री त्यागी यह शर्त रखना चाहते हैं कि किसी द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र को, यदि उस के विभाजन से द्विसदस्यीय विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्रों का भी विभाजन होता हो, विभाजित न किया जाय। वह एक ऐसी स्थिति का अनुमान लगा रहे हैं जहां द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत द्विसदस्यीय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भी हो। अभी तक हमें कोई ऐसा निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला है। यदि कोई ऐसा निर्वाचन क्षेत्र हो तो उस के यह तात्पर्य होंगे कि एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन करने पर हम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन नहीं कर पायेंगे, अथवा एक द्विसदस्यीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन करने पर हम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन नहीं कर सकेंगे। इसका फल यह होगा कि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से छेड़ छाड़ करनी होगी। अतः हमें पुनः सीमांकन करना होगा । मैं वस्तुतः यही बात कहना चाहता था। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अतः इसे आगामी परिसीमन आयोग के लिये छोड़ देना ठीक होगा। स्थानों का संरक्षण वहीं किया जायेगा जहां अनुसूचित जातियो का सर्वाधिक जमाव

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

होगा । यद्यपि पिछले अवसर पर इस बात की सावधानी बरती गयी है कि जहां पर कोई संसदीय स्थान सुरक्षित हो वहीं पर विधान सभा के लिये भी स्थान सुरक्षित न रखा जाय । यदि ऐसा किया भी गया तो वह इस कारण किया गया कि वहां अनुसूचित जातियों का बहुत जमाव था । यदि श्री त्यागी का सूत्र स्वीकार कर लिया जायेगा तो इसका यह तात्पर्य होगा कि संरक्षण ऐसे स्थान में किया जायेगा जहां कोई जमाव नहीं होगा या अपेक्षाकृत कम जमाव होगा । अतः यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

जहां तक संशोधन के पहले अंश का तात्पर्य है, इस बात का उल्लेख खंड तीन में पहले ही कर दिया गया है, वस्तुतः सारी योजना ही इस बात पर आधारित है कि वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं से छेड़छाड़ नहीं की जायेगी ।

खंड तीन में यह स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र यथासंभव भौगोलिक रूप से सम्पूर्ण होगा तथा उनकी सीमांकन के समय भौगोलिक अवस्थाओं, प्रशासन एककों, वर्तमान सीमाओं, संचार सुविधाओं, व जनता की सुविधा पर भी विचार किया जायेगा ।

जहां तक संशोधन ३९ का सम्बन्ध है, मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं, मैं यह कह चुका हूं कि इस कार्य को कुशलता तथा शीघ्रता से करने के लिये परिसीमन आयोग की स्थापना का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है । परिसीमन आयोग इससे अधिक कुछ भी नहीं करेगा जो कुछ मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा किया जा रहा है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव इत्यादि का अधिक महत्वपूर्ण कार्य पहिले परिसीमन आयोग द्वारा कर लिया गया है । उन्होंने संसद और विधान सभा दोनों के लिये निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित कर लिये हैं । परिसीमन आयोग द्वारा जिन निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव किया गया उन्हें हम इस अधिनियम में विहित मापदंडों यथा, भौगोलिक संपूर्णता, संचार साधन तथा अनुसूचित जातियों की संख्या का घनत्व के अनुसार विभाजित कर रहे हैं । प्रश्न मतदाताओं का नहीं, अपितु जनसंख्या का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है ।

†श्री पाणिग्रही (पुरी) : १९५१ की जनगणना के अनुसार हमें निर्वाचन क्षेत्रों के पृथक पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

†श्री अ० कु० सेन : ये आंकड़े मुख्य चुनाव आयुक्त के पास उपलब्ध हैं । संभव है समूचे देश के प्रत्येक थाने के पृथक पृथक आंकड़े प्रकाशित करना सम्भव नहीं हुआ हो । मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि जिन्हें भी चुनाव लड़ने के लिये इन आंकड़ों की आवश्यकता हो उन्हें ये आंकड़े प्राप्त हो जायें । इस सम्बन्ध में मुख्य चुनाव आयुक्त उन सभी आपत्तियों पर गौर करेंगे जो कि उनके समक्ष रखी जायेंगी । अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि इन संशोधनों को अस्वीकृत किया जाय ।

हम श्री अ० प्र० जैन के एक संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं तथापि वे अपने संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आग्रह नहीं कर रहे हैं, अतः हम उस पर विचार नहीं करेंगे ।

†श्री बांगशी ठाकुर (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्या संघ क्षेत्रों में कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा जायेगा, क्योंकि इस खंड में उनका जिक्र नहीं है ?

†श्री अ० कु० सेन : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य क्षेत्रीय परिषदों के बारे में निर्देश कर रहे हैं । अभी हमारा क्षेत्रीय परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन करने का कोई विचार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री अ० प्र० जैन अपने संशोधनों को वापस लेना चाहते हैं, मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत है।

**संशोधन संख्या ४५, ४६, ४७ और ४८ सभा की अनुमति से वापस लिये गये**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या ३९ को मतदान के लिये रखता हूं।

**सभा में मतविभाजन हुआ**

**उपाध्यक्ष महोदय** : घंटी काम नहीं कर रही है अतः जो सदस्य इसके पक्ष में हों वे अपने स्थानों में खड़े हो जांय।

†**श्री महन्ती** (ढेंकनाल) : यह मतविभाजन ठीक से नहीं हुआ है क्योंकि घंटी काम नहीं कर रही है।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : सभा कुछ पृथाओं के अनुसार कार्य करती है उन पृथाओं को अचानक तोड़ देना ठीक नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मत विभाजन १ बजे के पूर्व प्रारम्भ हो गया है। यदि विभाजन का कार्य एक बजे के बाद भी चलता रहा तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इससे इस परम्परा का उल्लंघन होता है कि १ बजे और २,३० बजे के बीच कोई मतविभाजन नहीं हो सकता है। वस्तुतः अपनी विवशता के कारण ही हम परम्परा तोड़ने में विवश हुए हैं।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या घंटी की परीक्षा नहीं की गयी थी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका मतदान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि दोनों पक्षों के बीच मतों में थोड़ा ही अंतर होता तो मैं यह प्रक्रिया नहीं अपनाता, तथापि एक पक्ष में मतों की संख्या बहुत अधिक है।

**संशोधन अस्वीकृत हुआ**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४१, ४२, १८, २१, १०, ११, २४ और ५६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड ३ को विधेयक में जोड़ दिया गया**

**खंड ६ (गुजरात के लिये विशेष व्यवस्था, १९६० के अधिनियम ११ की धारा १९ का संशोधन**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ४९ श्री अ० प्र० जैन का है। मुझे आशा है कि उन्हें उसे वापिस लेने की अपेक्षित अनुमति प्राप्त हो गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**संशोधन संख्या ४९ सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड १ (छोटा नाम)**

**संशोधन किया गया**

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में,

'1960' ['१९६०'] के स्थान पर '1961' [१९६१] अंक रखे जायें ।

**[श्री हजरतवीस]**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड १, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया**

**अधिनियमन सूत्र**

**संशोधन किया गया**

पृष्ठ १, पंक्ति १ में,

'Bleventh year' ['ग्यारहवें वर्ष'] के स्थान पर 'Twelfth year' ['बारहवें वर्ष'] शब्द रखे जायें ।

**[श्री हजरतवीस]**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

†**श्री त्यागी** : यद्यपि सदन ने इस विधेयक को पारित करना स्वीकार कर लिया है तथापि मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे । कई लोग सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से वंचित रह जायेंगे । परस्पर खिचाव इतना न बढ़ जाये कि हम संयुक्त चुनावों से ही

---

†मूल अंग्रेजी में

हाथ धो बठें। अच्छा होता कि इस पर राजनीतिज्ञों की भी राय ली जाती और इसे आगामी चुनाव तक स्थगित कर दिया जाता। चुनाव आयुक्त इस दिशा में बहुत कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरा निवेदन है कि यदि यह विधेयक स्वीकार कर लिया गया इसके बहुत ही व्यापक परिणाम होंगे। इससे अनुसूचित जातियों का किसी भी प्रकार का लाभ न होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना चाहिए। मैं इस विधान का स्वागत करता हूं। इससे जातीय बन्धन समाप्त हो जायेंगे। इस विधेयक में किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया। इस बात का कोई भय नहीं है कि किसी सुरक्षित चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के वास्तविक प्रतिनिधि को डराने के लिए स्वर्ण हिन्दू गुटबन्दी करेंगे।

**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हम को जो बात आज से दस साल पहले करनी चाहिये थी, उस पर खुशकिस्मती से आज इस सदन ने फैसला किया है। हो सकता है कि उस वक्त हम इसे इसलिये नहीं कर सकते थे कि जो साथी त्यागी जी की तरह सोचते थे शायद उन की तादाद हम से ज्यादा थी। मैं तो उस वक्त भी इस चीज के हक में था। यह कोई सही बात नहीं है कि अगर हमें गरीब आदमियों के लिये जगहें रिजर्व करनी हैं तो हम उनके लिये बड़े हलके बनायें ताकि कास्ट हिन्दू भी हर एक जगह से खड़े हो सकें। अगर हरिजनों के लिये रिजर्वेशन है तो एक तरह से सब हरिजनों और शेडयूल्ड कास्ट्स या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के लिये है लेकिन वह एक खास हल्के से ही खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरह से इस के माने यह होते हैं कि जिस हरिजन के हलके में सीट रिजर्व नहीं है वह दूसरे हलके से जा कर खड़ा हो। जब इन लोगों के लिये ऐसा है तो कास्ट हिन्दू को कौन सी आपत्ति हो सकती है, या जो कि नानरिजर्व्ड जाति में आता है, उस के लिये कौन सी आपत्ति हो सकती है, कि वह दूसरे हलके से जा कर खड़ा हो। वह उस गरीब के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। मैं तो पहले भी यही मानता था कि हमें हरिजनों और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये सिंगल हलके रिजर्व करने चाहियें।

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि मैजारिटी किस तरह से हरिजनों के किसी नेता के खिलाफ जा सकती है, और अगर वह जा सकती है, तो आज भी जा सकती है। डबल मेम्बर कांस्टिटुएन्सी से जो वोटर्स हैं उन में हरिजनों की परसेन्टेज में कोई फर्क नहीं आता है। २० या २५ परसेन्ट जो डबल मेम्बर कांस्टिटुएन्सी के लिये है वही सिंगल मेम्बर कांस्टिटुएन्सी के लिये भी है। मैं नहीं मानता कि, जिस तरह से त्यागी जी समझते हैं, सब आदमी मिल कर तय करेंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी को हराना है। हां यह बात जरूर है कि हम जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, जो जात पात से ऊपर हो, जिस में जातिवाद न हो, यह उस की तरफ एक कदम है, और शेड्यूल्ड कास्ट्स वाले अपने आप को इस तरह से अलाहदा नहीं समझेंगे। इस के अलावा गरीबों को भी मौका मिलेगा कि वह अपनी और ज्यादा पर्सनलिटी बना सकें। मैं मजाक के तौर पर कहना चाहता हूं कि एक तरीका हुआ करता था कि खेती में गरीब को साझीदार लगाया जाता था। जमीन का मालिक कोई और होता था और हरिजनों को हम सीरी रखते थे। बदकिस्मती से डबल मेम्बर कांस्टिटुएन्सी का जो सिस्टम था उस में हम ने हरिजनों को राजनीति की खेती में सीरी बना दिया था। यह कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं था। हमारे जैन साहब जो हैं वह हमारे सीरी के खिलाफ हैं लेकिन अपनी सयासत की सीरी के हक में हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। किस तरह से दोनों किस्म की बात चल सकती है। इस तरीके को बदलने की जरूरत है। ताकि गरीब आदमी भी अपनी पर्सनलिटी बना सकें और जिस तरफ हमें जाना है उस की तरफ हमारा कदम उठ सके।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पुन्नूस (अम्बला पुजा) : हम ने इस विचार से ही इस विधेयक का समर्थन किया है कि स से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व विधान मंडलों में काफी हो जायेगा। मेरा मत है कि इस के कारण संसद् और राज्य विधान सभाओं दोनों को उत्साही सदस्य प्राप्त हो सकेंगे। अतः सभी को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

परिसीमन आयोग की स्थापना को स्वीकार नहीं किया गया । अतः चुनाव आयोग को इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि निर्वाचन-क्षेत्रों के दो दः भाग करने का काम उचित और निष्पक्ष ढंग से हो। इस के लिए यह आवश्यक है कि जहां तक हो सभी राजनीतिक दलों का सहयोग चुनाव आयोग को प्राप्त करना चाहिए। अखिल भारतीय स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के इस दिशा में जो दृष्टिकोण है उनका आदर किया जाना चाहिए।

†श्री अ० कु० सेन : बहुत सी बातें जो मुझ से पूछी गयी हैं अच्छा होता कि वे चुनाव आयुक्त से पूछ ली जातीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह उनका समुचित उत्तर देते। श्री त्यागी की बातों का तो श्री शर्मा और चौधरी रणवीर सिंह ने ही ठीक ढंग से उत्तर दे दिया है मुझे उन में जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे केवल यह निवेदन करना है कि जो यह काम चुनाव आयुक्त को सौंपा गया है, मुझे इस में कोई संदेह नहीं है कि वह इस के पूरी तरह योग्य है। वह पूरी तरह सब के सुझावों और आपत्तियों को सुनेंगे और समुचित कार्यवाही करेंगे।

यदि किसी परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाय और उस से थोड़े से समय के भीतर ही अपना कार्य पूरा कर लेने के लिए कहा जाय तो वह उस कार्य से अधिक कुछ नहीं कर पायेगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे। चुनाव क्षेत्रों का भागों में बांटने का कार्य एक प्रकार से प्रशासनिक कार्य है और मुख्य चुनाव आयुक्त इसे भली भांति कर लेंगे। उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा तथ्य दिये जा रहे हैं, क्योंकि आखिर तथ्य तो स्थानीय अधिकारियों द्वारा ही दिये जायेंगे।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे अपने लिए बड़े सम्मान और गौरव की बात समझता हूं कि मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर निम्न लिखित धन्यबाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है।

उस प्रस्ताव की भाषा इस प्रकार है :

"इस अधिवेशन में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति महोदय के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने १४ फरवरी, १९६१ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की थी, उन के प्रति अत्यन्त आभारी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमन्, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से मुझे दो बातें स्पष्ट दिखायी पड़ती हैं। इस अभिभाषण में राष्ट्रपति जी की सौजन्यता, उनकी शालीनता, उनकी विनम्रता, उनकी उदारता और उनकी महानता की स्पष्ट छाप दिखायी देती है। दूसरी ओर इस अभिभाषण में प्रधान मंत्री जी की ओजस्विता, उनकी कर्मठता, उन के आत्मविश्वास और उन के आदर्शवाद का पुट दिखायी पड़ता है, । इन दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों का सुन्दर समन्वय वह चीज है जिस से हमारा भारत आज इतना महान् है, और जिसकी वजह से भारत ने इतने कम समय में इतनी प्रगति की है।

श्रीमन्, इस अभिभाषण में पिछले वर्ष की घटनाओं का सिंहावलोकन किया गया है, व आगामी वर्ष के कार्यक्रम की रूपरेखा दी गयी है। इस में बहुत ही नपे तुले और चुने हुए शब्दों का उपयोग किया गया है। इस में न तो हमें कहीं अतिशयोक्ति-पूर्ण आशावाद दिखायी देता है और न व्यर्थ के निराशावाद की झलक दिखती है, बल्कि अपनी कठिनाइयों और कमजोरियों को समझते हुए भी हमको और हमारे देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ताकि हम अपने देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सकें।

यह भारत का सौभाग्य है कि हमारे देश के जिन सेनानियों ने राष्ट्र पिता जी के नेतृत्व में देश के स्वाधीनता संग्राम का संचालन किया था, उन्हीं के द्वारा अब तक इस देश के शासन का सूत्र संभाला गया है और आगे भी संभाले जाने की आशा है। यही कारण है कि जहां हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं वहां हमारे पड़ोसी के देशों में लोकतंत्र का ढांचा भी समाप्त हुआ जा रहा है। हमारे देश में तो, हमारे विरोधी दलों के लोग भी स्वीकार करेंगे कि, लोकतंत्र की विजय यात्रा जारी है। हमारे देश में दो आम निर्वाचन बड़ी शांति और सफलता के साथ सम्पन्न हो चुके हैं और तीसरे आम निर्वाचन की तैयारियां हो रही हैं, और मुझे आशा है कि तीसरे आम निर्वाचन की अग्नि परीक्षाओं में भी हमारा देश सोने की तरह खरा उतरेगा।

इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान शासन सूत्रधारों के कारण हमारे देश को एक स्थिरता का वरदान मिला है। कांगो की ताजा स्थिति इस बात की साक्षी है। अगर हमारे देश के नेता बुद्धिमता व दूरदर्शिता से कार्य न करते तो हमारे देश में कांगो से भी बदतर हालत हो सकती थी और हम गृह युद्ध के दलदल में अभी तक फंसे रह सकते थे।

इस अवसर पर, यदि यह मेरी अनधिकार चेष्टा न समझी जाए, तो मैं ब्रिटिश जाति की सद्भावना और बुद्धिमता के प्रति भी साधुवाद अंकित करने का मोह संवरण नहीं कर सकता, क्योंकि वे भी यहां पर बेलजियनों का पार्ट अदा कर सकते थे। इसी कारण तो आज देश में जहां कहीं भी ब्रिटिश महारानी का आगमन हो रहा है, उनका बहुत ही अभूतपूर्व, हार्दिक और उत्साहपूर्ण स्वागत किया जा रहा है।

इस सदन में भी तथा इस सदन के बाहर भी बहुत से लोगों ने इस बात पर आपत्ति की है कि इस पर क्यों इतनी फिजूलखर्ची की जा रही है, बल्कि कुछ सज्जनों ने तो इसको गांधीवादी विचारधारा के प्रतिकूल भी माना है, लेकिन मेरी तो सम्मति है कि यदि सरकार ब्रिटिश महारानी के स्वागत के लिए इतनी उचित और अच्छी व्यवस्था न करती तो जनमत का पूरी तरह से आदर नहीं किया जा सकता था। मेरा अपना तो यह अनुभव है कि जो लोग ब्रिटिश महारानी के स्वागत का सैद्धान्तिक रूप में विरोध कर रहे थे, उन्हें भी मैं ने रामलीला ग्राउंड में

[श्री भक्त दर्शन]

सब से आगे बैठे हुए पाया और उन के स्वागत समारोहों में वे ज्यादा उत्साह दिखाते पाए गए। म यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन स्वागत समारोहों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि जो देश गांधी वादी तरीके से स्वतंत्र होते हैं उन के और भूतपूर्व शासकों के बीच मित्रता की कैसी भावना पैदा होती है, और हमने इसका इस प्रकार एक ज्वलन्त उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया है ।

श्रीमन्, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अनेक बातों का उल्लेख किया, लेकिन सर्व प्रथम उन्होंने चीनी आक्रमण और अतिक्रमण का जिक्र किया जो कि बहुत ही आवश्यकीय था। आज सारे देश की नजर देश की उत्तरी सीमा पर लगी हुई है, और वह इस कारण से कि हम ने जिसको अपना सब से बड़ा मित्र माना था, जिस के लिये हम अपने साथियों से लड़े और झगड़े, उसी ने हमारी पीठ पर छुरा भोंकने की उक्ति चरितार्थ की और अगर इस वजह से आज देश के कोने कोने में रोष और असंतोष की लहर फैली हुई है तो यह बहुत ही स्वाभाविक है ।

श्रीमन्, राष्ट्रपति जी ने चीन के प्रति हमारी जो नीति है उसको दो शब्दों में व्यक्त कर दिया है, शांतिपूर्ण और दृढ़। शान्तिपूर्णता और दृढ़ता, यही हमारी नीति की आधार शिलाएं हैं। इस से अच्छी हमारी नीति की दूसरी व्याख्या नहीं हो सकती। इस में भारतीय जनता की भावनाओं का वास्तविक प्रतिबिम्ब है।

कई लोग आज देश के विभिन्न भागों से यह मांग कर रहे हैं और इस धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो संशोधन आए हैं उन में भी कुछ सज्जनों ने इस बात की सूचना दी है कि हमें जिस भूमि पर चीन ने कब्जा कर रखा है, फौजी कार्रवाई के द्वारा पुनः अधिकार कर लेना चाहिए। इस सबंध में मैं अपने उन उत्साही साथियों के साहस और वीरता की तो प्रशंसा करता हूं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी की सराहना नहीं कर सकता। क्योंकि जिन हमारे जनप्रतिनिधियों के कंधों पर इतना गहरा उत्तरदायित्व है वह बहुत सोच समझ कर कोई कदम उठाते हैं, बहुत सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री महोदय और भारत सरकार के कंधों पर एक बड़ा नाजुक गुरुतर भार है। वे जनता की निराशा और क्रोध की भावना से पूर्णतया परिचित हैं लेकिन वे इस बात को भी जानते हैं कि एक विशाल और नशे में चूर देश के साथ युद्ध छेड़ने जैसी कोई चीज शुरू करने से पहले हमें बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आम जनता की तौर पर हमारे नेताओं के हृदय में क्रोध आना स्वाभाविक है लेकिन जिस तरीके से शंकर ने विषपान किया था उसी तरीके से हमारे नेताओं को भी हमारे सूत्रधारों को भी विष का घूंट पीना पड़ रहा है । लेकिन मुझे विश्वास है और मैं सदन के उन सदस्यों को अपनी अन्तरआत्मा की आवाज से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह शिव का तीसरा नेत्र खुलने के बाद सब भस्म हो गया था तो वह शंकर का तीसरा नेत्र खुलने का अवसर समीप आ रहा है और उस के लिए हमें अपने नेताओं पर विश्वास करना पड़ेगा । किस किस्म की और क्या कार्यवाही की जाय, किस प्रकार और कौन से अस्त्रों का प्रयोग किया जाय, कब समझौते की वार्ता हो और कब युद्ध हो इस के लिए हमें अपने नेताओं पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्रीमन्, इस बीच भारत और चीन की सीमाओं के सम्बन्ध में हमारे दोनों देशों के अधिकारियों के बीच जो वार्तालाप चल रहा था उस की विस्तृत रिपोर्ट भी सदन् के पटल पर रख दी गई है और सारे देश की जनता ने उसे देख दिया है । मैं उन सदस्यों में से था जो प्रारम्भ में इस वार्तालाप की उपयोगिता को नहीं समझ रहे थे और मेरे विचार में यह बेकार की बातचीत थी क्योंकि जब चीन का शासक दल इतने तर्कहीन ढंग से अपनी बातों पर जिद्द कर रहा है तो इस प्रकार के लम्बे वार्तालाप का अधिकारी स्तर पर चलाना बेकार सा दिखाई देता था । लेकिन अब जब कि दोनों देशों के अधिकारियों की वार्तालाप सम्बन्धी रिपोर्ट निकल चुकी है तो मुझे उस निर्णय की प्रशंसा करनी पड़ रही है जो कि भारत सरकार ने इस वार्तालाप में अपने अधिकारियों को शरीक होने का किया था । इस रिपोर्ट ने सूर्य के प्रकाश की तरह से यह सिद्ध कर दिया है कि चीन की वर्तमान सरकार के कैसे विस्तारवादी मंसूबे हैं जिनका कि कोई सार और सिर पैर नहीं है । उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भारत में कश्मीर के विलय को अस्वीकार कर दिया है । भूटान और सिक्किम में भारत की जो विशेष स्थिति है उस को भी अमान्य कर दिया । चीन ने पहले से भी अधिक २००० वर्ग मील भूमि पर अपना दावा बढ़ा लिया है । मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात आप जानते हैं कि बड़ाहोती सांग्चामल्ला, और लापथ्यल यह तीन स्थान ऐसे थे जिन के बारे में कुछ वर्ग मीलों के बारे में यह माना जाता था कि उन पर उस का दावा है लेकिन अब चीनी और भारतीय अधिकारियों के बीच में जो वार्ता हुई उस में उन्होंने उस में सारे क्षेत्र को मिला कर ३०० वर्ग मील का और दावा कर दिया । उन के मंसूबे और उन के दावे निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सब से बड़ा लाभ यह हुआ है कि आज सारे संसार के जनमत को सूर्य के प्रकाश की तरह से मालूम पड़ गया है कि भारत का पक्ष तथ्यों, संधियों, रीति रिवाजों और व्यवहारों सभी दृष्टियों से सत्य और पुष्ट है ।

श्रीमन्, इस अवसर पर जो हमारे अपने अधिकारी हैं, वैसे अधिकारियों की प्रशंसा करने की आदत तो मुझे नहीं है लेकिन इस अवसर पर मैं यह उपयुक्त समझता हूं कि संसद् की कार्यवाही में इसका उल्लेख आ जाना उचित होगा कि हमारे वैदेशिक मंत्रालय के उन अधिकारियों ने उस लम्बी और थका देने वाली वार्ता के अन्दर अत्यन्त योग्यता और अच्छी सूझ बूझ का परिचय दिया है । उन्होंने स्वयं चीनी प्रमाणों के द्वारा भारतीय तथ्यों को सत्य सिद्ध करने में सफलता पाई है और उस के लिए हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए ।

एक सब से बड़ा लाभ इस का हम यह देख रहे हैं कि जब से यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है हमारे देश का एक वर्ग जोकि चीन को आक्रमणकारी ही नहीं मानता था और पिछले अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने जो विश्वासघात ( ब्रीच औफ फंथ ) शब्द का प्रयोग किया था उस से भी वह तिलमिला उठा था, उस वर्ग के लोगों की बुद्धि शायद कुछ ठिकाने पर और सही रास्ते पर आ गई मालूम पड़ती है ।

**एक माननीय सदस्य** : शायद ।

**श्री भक्त दर्शन** : कम्युनिस्ट दल के एक प्रवक्ता श्री गोविंद नैय्यर ने अभी दो दिन पहले राज्य सभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण सम्बन्धी वादविवाद में जो अपने विचार प्रकट किए हैं उन से मालूम पड़ता है कि वे भारत सरकार की चीन सम्बन्धी नीति को सही समझते हैं और उस के तथ्य को वह समझ गये हैं और उन के राज्य सभा में दिये गये

[श्री भक्त दर्शन]

भाषण से ऐसा आभास मिलता है कि वे सही रास्ते पर आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि लोक सभा में भी अब जो यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विवाद प्रारम्भ हो रहा है तो हमारे साम्यवादी साथी अपने उस बदले हुए रुख का परिचय देने की कृपा करेंगे।

यहां पर यदि असंगत न हो तो मैं चलते चलाते इस ओर भी सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अक्सर बावैला मचाया जा रहा है कि सीमान्त क्षेत्रों में साम्यवादी कार्यकर्ताओं की हलचलें बहुत बढ़ रही हैं और उस की वजह से जनता में वहां बड़ा विक्षोभ है और सुरक्षा-व्यवस्था में अड़चन पड़ रही है, मैं उस इलाके का एक छोटा सा प्रतिनिधि होने के नाते थोड़ासा इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी को हमारे और अधिकारियों को अपने गुप्तचरों की रिपोर्टों से थोड़ा बहुत चिंतित तो होना चाहिए लेकिन अधिक उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मैं उस इलाके का एक सेवक होने के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साम्यवाद और साम्यवादी दल का इस इलाके में कोई प्रभाव नहीं है लगभग शून्य सा है। लेकिन समाचारपत्रों में जो बड़ी-बड़ी रिपोर्टें निकलती हैं और स्वयं प्रधान मंत्री जी के भाषण में उनका उल्लेख किया जाता है तो उन्हें अनावश्यक महत्व मिल जाता है और लोगों को खोजना पड़ता है कि वे साम्यवादी लोग कहां पर हैं जिनका कि प्रभाव कहा जाता है। मैं प्रधान मंत्री जी को और अन्य माननीय सदस्यों को यहां पर उस इलाके का एक सेवक होने के नाते यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश और अल्मोड़ा आदि के निवासियों ने न केवल सदैव कांग्रेस का दृढ़ और प्रबल समर्थन किया है बल्कि भविष्य में जब कभी भी इसका अवसर आयेगा तब वहां का बच्चा बच्चा अपने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते बलिदान हो जायगा। इसलिए आज भी यद्यपि वहां पर चीनी वायुयान उड़ते दिखाई देते हैं और जैसा कि स्वयं हमारे रक्षा मंत्री जी ने परसों यहां स्वीकार किया कि ये ऊखीमठ और बद्रीनाथ के इलाके में गत दिसम्बर, के महीने में विदेशी वायुयान दिखलाई पड़े थे लेकिन उस के कारण वहां की जनता में कोई आतंक नहीं है, कोई विक्षोभ नहीं है और वे शान्तिपूर्वक अपने दैनिक कार्यों को चला रहे हैं।

श्रीमन्, इसी सिलसिले में मैं चलते चलाते यह उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारी सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों की जनता के सामने अगर कोई अभिशाप है अगर कोई अड़चन है तो वह वहां की गरीबी और बेरोजगारी है। यही एक अभिशाप है। यदि किसी समय हमारी रक्षा पंक्ति में कोई दरार आ सकती है तो वह इसी कारण आ सकती है। इसलिये मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि केन्द्र और राज्य सरकारों का ध्यान उस ओर कुछ गया है लेकिन जैसे कि मैं ने एक बार कहा था। "देर आयद दुरुस्त आयद" देर में ही सही मगर यह बात सरकार के ध्यान में तो आई।

मैं इस अवसर पर विस्तार के साथ नहीं जाऊंगा लेकिन इतना अवश्य उल्लेख कर देना चाहता हूं कि यह विकास का कार्यक्रम जो चल रहा है उस में और तेजी लाने की आवश्यकता है। सारे पर्वतीय क्षेत्र को एक यूनिट एक ईकाई मान कर आगे चलने की आवश्यकता है। वहां के संचार साधनों में बड़ी तेजी से प्रसार करने की आवश्यकता है और उससे भी अधिक आवश्यकता है वहां की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की। इस बारे में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं।

एक तो यह कि अभी भी कहीं कहीं पर केवल पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग कराई जाती है। जो हमारा मिडिल सेक्टर है सैंट्रल हिमालियाज का जहां तक मेरी जानकारी है वहां पर केवल

आपने पुलिस के सैनिक अपने सीमा चौकियों में रखे गये हैं। हो सकता है कि हमारी सेना के अधिकारियों के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था यथेष्ट हो लेकिन आम जनता में इससे विश्वास पैदा नहीं होता है और अच्छा हो कि इस बात पर पुनर्विचार किया जाय और हमारी फौज के सशस्त्र सनिक वहां नियुक्त किये जायें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारी जो सीमा चौकियां अभी तक सीमान्त क्षेत्र में हैं, उनमें से बहुत सी सीमा से बहुत पीछे हैं। अभी तक, क्षमा करें, हमारे अधिकारियों को यह भी पता नहीं है कि चीनी सेनाएं कहां तक आगे बढ़ गयी हैं। पहले कहा गया था कि ११००० वर्ग मील का इलाका उनके हाथ में है और अब कहा जा रहा है कि १२००० वर्ग मील उनके हाथ में है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी सीमा चौकियां आगे से आगे बढ़ कर स्थापित की जायें और जहां पर कि चीनी लोगों ने कब्जा कर लिया है करीब करीब वहां तक हमारी चौकियां स्थापित होनी चाहिएं।

श्रीमन्, चीन से तो हम निबट ही लेंगे, कांगो और लाओस में भी कभी न कभी शांति स्थापित होगी ही और पराधीन देशों को स्वतंत्र करने का हमारा प्रयत्न भी जारी रहेगा लेकिन हमारी वास्तविक सफलता और असफलता का आधार तो हमारे देश के योजनाबद्ध आर्थिक विकास पर ही निर्भर है और इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में तीसरी पंचवर्षीय योजना का भी कहीं उल्लेख किया है।

अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा हम ने द्वितीय विश्व महायुद्ध के धक्कों से जर्जरित अपनी अर्थ व्यवस्था को कुछ स्थिरता प्रदान करने का प्रयत्न किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम ने अपने देश में कतिपय बुनियादी उद्योगों की आधार-शिला रखी है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में, प्लानिंग की शब्दावली में जिसे सल्फ़-जेनीरेटिंग इकौनोमी, स्वत: सृजनकारिणी अर्थ-व्यवस्था, कहा जाता है, उस की स्थापना हम करने जा रहे हैं, ताकि अगले कुछ वर्षों में स्वयं अपने साधनों के द्वारा हम अपने देश का विकास कर सकें और हमें इस सम्बन्ध में दूसरे देशों का मुंह न ताकना पड़े।

इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है, जो बुनियादी तौर पर और सैद्धान्तिक रूप से योजनाओं के ही विरुद्ध है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जिन को शिकायत है कि दो योजनायें आईं और चली गईं, किन्तु हमारा देश उन्नति और विकास नहीं कर पाया है और लोगों के जीवन-स्तर में कोई अन्तर नहीं हो पाया है। यह आम आलोचना की जाती है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि हम ने इस अवधि में अपनी आशाओं के अनुकूल प्रगति नहीं की है और जितना हम को आगे बढ़ना चाहिए था, उतना हम नहीं बढ़ पाये हैं, लेकिन मैं यह स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि हमारा देश वहीं है, जहां वह पहिले था। जिन की आंखें हैं, वे देखें और आंखों वाले देख भी रहे हैं--जिन्होंने जान-बूझ कर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और जो वास्तविकता को जान-बूझ कर नहीं देख रहे हैं, उन से किसी प्रकार का तर्क करना बेकार है---कि देश आगे बढ़ा है और आने वाले वर्षों में उस को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जायगा।

मैं इस सम्बन्ध में बड़ी विनम्रता के साथ सोवियत रूस और संयुक्त राष्ट्र अमरीका की ओर, जो संसार के सब से बलशाली और समृद्धिशाली राष्ट्र हैं, इशारा करना चाहता हूं। सोवियत रूस के बारे में हम जानते हैं कि उस ने कृत्रिम उपग्रह और आई० सी० बी० एम०---अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र---इत्यादि का निर्माण कर के अपनी आश्चर्यजनक प्रगति से सारे संसार को चकाचौंध कर दिया है। किन्तु जो लोग उस देश का भ्रमण कर के आये हैं, उन का कहना है कि पिछले चालीस वर्षों के अनवरत् प्रयत्नों के बाद और कई योजनाओं को कार्यान्वित करने के बावजूद भी वहां की

[श्री भक्त दर्शन]

आम जनता का जीवन-स्तर इतना ऊंचा नहीं हो सका है, जितना कि पश्चिमी देशों की जनता का है ।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र अमरीका का सम्बन्ध है, वहां की अर्थ-व्यवस्था से वहां के अर्थ-शास्त्री बहुत चिन्तित हैं । अभी कुछ दिन पहले मुझे मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के अर्थ-शास्त्र के प्रोफ़ेसर, डा० वाल्टर एडम्ज़, के एक लेख को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उसमें भी उन्होंने इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हम चाहे कितनी भी प्रगति करें, हम को उस से संतोष नहीं हो सकता है । जब संसार के सब से समृद्ध और सम्पन्न देशों की यह अवस्था है, तो फिर वर्तमान सरकार ने कुछ ही वर्षों में इस देश में जो प्रगति की है, उस से निराश और असंतुष्ट होने की कोई गुंजायश नहीं है, बल्कि हमें उस पर गौरव और अभिमान होना चाहिए ।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ ३० में हिन्दी का ज़िक्र करते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया है :

> "प्रशासन में हिन्दी को स्थान देने की दिशा में उन्नति हुई है । हिन्दी के विकास और प्रचार के सम्बन्ध में सरकारी निर्णयों को कार्य रूप देने के लिये एक केन्द्रीय हिन्दी विभाग की स्थापना की गई है ।"

राज-भाषा आयोग की रिपोर्ट पर जब संसदीय समिति ने अपनी सम्मतियां दी थीं, उस के बाद राष्ट्रपति ने अपने निर्देश प्रचारित किये थे । उन के सम्बन्ध में मैं अपनी प्रसन्नता तो प्रकट करता हूं, लेकिन पूरा संतोष प्रकट नहीं कर सकता । इस का कारण यह है कि कई वर्षों के विचार-विमर्ष के बाद लगभग सर्व-सम्मति से द्विभाषी फ़ार्मूला—बाईलिंगुअल फ़ार्मूला—स्वीकार किया गया था । मद्रास और बंगाल के प्रतिनिधि, साम्यवादी दल की ओर से श्री डांगे और श्री मुकर्जी, तथा श्री मुदलितैयार उस कमेटी में थे । उन्होंने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया था और इस प्रकार इस विषय में लगभग एक सर्वसम्मत निर्णय हो गया था । इस सम्बन्ध में मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि जब कमेटी की रिपोर्ट निकली थी, तो अहिन्दी-भाषी लोगों ने तो संतोष प्रकट किया था और हिन्दी-भाषी लोगों ने उस पर अपना असंतोष प्रकट किया था । लेकिन उस लगभग सर्वसम्मत निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए जैसी तेज़ी और उत्साह प्रकट किया जाना चाहिए था, यदि अब भी उन का अभाव पाया जाता है, तो हिन्दी और कांग्रेस का एक सेवक होने के नाते मेरे हृदय में कुछ दुख होना अनिवार्य है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करने सम्बन्धी आयोग को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है । केन्द्रीय कानूनों का अनुवाद करने सम्बन्धी आयोग अभी तक विचाराधीन बताया जाता है । इस के अतिरिक्त हिन्दी को राज-भाषा बनाने के सम्बन्ध में जो समय-तालिका, टाइम शिड्यूल, बनाई जानी चाहिए थी—जिस को होम मिनिस्ट्री ने बनाना था—वह भी अभी तक नहीं बन पाई है । उधर हमारे देश के बहुत प्रभावशाली क्षेत्रों से सम्बन्धित बद्धमूल स्वार्थी, वेस्टिड इन्स्ट्रेस्ट्स, में एक सन्धि, एक कांस्पीरेसी, हो गई है । एक ओर हम ने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि संघीय लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ने अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में—आल-इंडिया सर्विसिज़ में—हिन्दी को आल्टरनेटिव मीडियम (वैकल्पिक माध्यम), बनाना अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने यह कारण उपस्थित किया है कि यह व्यावहारिक नहीं है, जब कि कमेटी ने यह सुझाव दिया था और राष्ट्रपति जी के निर्देश में इस का उल्लेख था । दूसरी ओर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि वे अंग्रेज़ी के शैदाई हैं और वे नहीं चाहते कि भारतीय भाषायें विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हों। यही नहीं, उन्होंने अब एक नई वकालत शुरू की है कि भारतीय भाषाओं को भी रोमन लिपि में लिखा जाये। रोमन अंकों के प्रयोग के बारे में तो समझौता हो गया और अब उन का व्यवहार हो रहा है। किन्तु अब तो भारतीय भाषाओं को भी रोमन लिपि में लिखने का सुझाव दिया जा रहा है।

अतः मैं प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री महोदय से, जिन के नेतृत्व में उस कमेटी ने निर्णय किये थे, पुरज़ोर अपील करना चाहता हूं कि वे इस अवसर पर दृढ़ता से काम लें। जहां मैं उन लोगों की नीति का विरोध करता हूं, जो उत्साह के अतिरेक में हिंदी को शीघ्र से शीघ्र लागू करना चाहते हैं—मैं उन फैनैटिक्स का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हूं—वहां मैं उन लोगों का भी विरोध करता हूं, जो कि अंग्रेज़ी को एक नया जीवन देना चाहते हैं और दासता की कड़ियों को और मज़बूत करना चाहते हैं। उनके प्रति हम को दृढ़ रुख़ अपनाना चाहिए।

**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोजाबाद) : वे दृढ़ नहीं हो सकेंगे।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन् राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ ३८ में एक बहुत ही अच्छे विषय की ओर सदन और देश का ध्यान खींचा है। उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है—

> "मेरी सरकार बराबर ऐसी एक योजना को चलाने और प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करती रहेगी, जिससे कि उसके नीति सम्बन्धी निर्णयों के निर्माण और उन पर अमल के बीच कम से कम समय लगे।"

मेरी राय में हमारे शासन की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह रही है कि हमारी बड़ी बड़ी योजनायें बड़े सुन्दर शब्दों में बड़े सुन्दर काग़ज़ पर छापी जाती हैं, लेकिन उन पर व्यवहार करने का अवसर आता है, तो हम यह देखते हैं कि जब वे दिल्ली से लखनऊ, या किसी अन्य राज्य के हैडक्वार्टर में पहुंचती है तो उन का स्वरूप ही बदल जाता है। वहां से जब वे जिले के हैडक्वार्टर में पहुंचती हैं, तो उनमें और परिवर्तन हो जाता है। ब्लाक के हैडक्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते उनमें और नमक-मिर्च लग जाता है, उनका रूपांतर हो जाता है, फिर गांव तक जाते जाते, और एक औसत दर्जे के नागरिक तक पहुंचते पहुंचते, या तो वे समाप्त हो जाती हैं, या उनकी शक्ल ही बदल जाती है। इस प्रकार यह एक बड़ी भारी समस्या है और जब राष्ट्रपति जी ने स्वयं अपने भाषण में इस ओर ध्यान दिलाया है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अधिकारी और शासन-संचालक इस ओर सतर्क हैं और जागरूक हैं और मुझे पूरी आशा है कि वे इस सम्बन्ध में पूरे उत्साह से कार्य करेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं केवल एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहले इस सदन ने जीवन-बीमा व्यवसाय का निगम स्थापित किया था, लाइफ इन्शोरेंस कार्पोरेशन की स्थापना की थी और हमने उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की ओर एक बड़ा दृढ़ कदम माना था। लोगों को भी इससे बड़ी आशायें बंधी थीं। यह आशा की गई थी कि इस कदम से बीमा व्यवसाय के कर्मचारियों और पालिसी होल्डर्ज़ का बहुत फायदा होगा। लेकिन मुझे शिकायतें मिल रही हैं, जो अन्य सदस्यों को भी मिली होंगी, कि फील्ड वर्कर्ज़ अलग परेशान हैं और हालत यह है कि बहुत सी जगह पालिसी-होल्डर्ज़ को बीमे की किश्तों की रसीदें तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसी लिए एक साहब ने कहा कि यह "कार्पोरेशन" नहीं है, बल्कि "कर परेशान" है, जिसका काम ही लोगों को परेशान करना है। यह उदाहरण है इस बात का कि हमारी अच्छी से अच्छी नीतियों का, अच्छे से अच्छे कार्यक्रमों का अन्त में जाकर किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। मैं अपने शासनाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रपति जी ने जो इस ओर इशारा किया है, वह बहुत उचित है और बड़ा समयानुकूल है

[श्री भक्त दर्शन]

और आज आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र और राज्यों के शासन जो भी निर्णय करें, उन पर सुचारु रूप से अमल हो। इसी पर हमारी सारी योजनाओं की सफलता और हमारा सारा भविष्य निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय, आपका अधिक समय न लेकर अन्त में मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने हम सब सदस्यों से आशा प्रकट की है कि सन्मति, सहिष्णुता और सामूहिक प्रयत्न की भावना हमारा पथ-प्रदर्शन करेगी, और मुझे आशा है कि जिस वाद-विवाद को प्रारम्भ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें जो सदस्यगण भाग लेंगे, वे इसी भावना से अनुप्राणित होकर अपने विचारों को प्रकट करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि इसको सहर्ष और सर्व-सम्मति से स्वीकार कर लिया जायगा।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् (कुम्बकोणम्): हमारा गत वर्ष काफी कठिनाई का था। परन्तु यह प्रसन्नता की बात है कि हम अपनी मूलभूत नीति पर दृढ़ रहे। हमें अपने सिद्धान्त के प्रति किसी प्रकार का संशय नहीं हुआ। भारत की भूमि पर चीन ने घुस आने की अनधिकार चेष्टा की भारत जिस शान्तिपूर्ण एवं दृढ़ नीति का अनुसरण कर रहा है, उसकी प्रशंसा सारे संसार ने की है। भारत चीन द्वारा किये गये निश्चयों अथवा किसी एक पक्षीय कार्य के परिणामों को स्वीकार नहीं कर सकता। हजारों वर्षों से चीन के साथ भारत के जो बहुत अच्छे व मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं, उनको बिगाड़ने के लिए चीन के वर्तमान शासक ही उत्तरदायी है। इस मामले पर जो श्वेत पत्र हमारी सरकार ने जारी किये हैं और भारतीय पदाधिकारियों की जो रिपोर्ट है उससे संसार को पता लग जायेगा कि चीन ने हमारे राज्य क्षेत्र में कितने क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। यह बात भी स्पष्ट हो जायेगी। कि इस दिशा में भारत का पक्ष कितना ठोस है। संसार के जनमत के समक्ष चीन अपराधी सिद्ध हो चुका है। आज के संसार में विजयी लोगों का कोई स्थान नहीं। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों ने पहाड़ों की ढाल वाले सिद्धान्त को न्यायोचित माना है। राष्ट्रपति ने यह ठीक ही कहा कि भारत की सीमायें करारों और परम्पराओं के आधार पर बहुत भली प्रकार से निर्धारित हैं। जिन सिद्धांतों पर चीन बर्मा से सीमा समझौता करता है उन्ही सिद्धान्तों पर भारत से समझौता करने में पता नहीं उसे संकोच क्यों हो रहा है। आज वह भारत के २४,००० वर्गमील पर दावा कर रहा है। उसने भारतवासियों का विश्वास खो दिया है।

आज के समय में यह भी आश्चर्य की ही बात है कि सबसे बड़ा उपनिवेशवाद पुर्तगाल द्वारा स्थापित किया जा रहा है। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि उपनिवेशवाद के अभ्युदय में ही उसकी तबाही के बीज होते हैं। अतः यह निश्चित की पुर्तगाली अत्याचारों का भी अन्त होगा और गोवा की समस्या निस्सन्देह शीघ्र ही हल हो जायेगी।

इसी प्रकार कांगो का मामला है। श्री लुमुम्बा की हत्य एक बड़ा निंदनीय कार्य है और इससे यह ज्ञात होता है कि कांगो में साम्राज्यवादी शक्तियां किस प्रकार का आचरण कर रही हैं। श्वेत लोग काले लोगों पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विभिन्न कबीलों को परस्पर लड़ा कर अपना निहित हित को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इस बात पर जोर दिया है कि वहां संविधानिक सत्ता स्थापित होनी चाहिये। यदि ऐसा न हुआ तो हो सकता है कि यह चिंगारी विश्व युद्ध का भीषण

†मूल अंग्रेजी में

रूप धारण कर ले । अतः स्थिति को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि बेलजियन अधिकारियों को जबरदस्ती कांगों से बाहर निकाला जाना चाहिए ।

अफ्रीका में भी एक चिंगारी सुलग रही है । वहां भी कई प्रकार की समस्यायें उभर रही हैं । दक्षिण अफ्रीका की सरकार जो अश्वेत लोगों से कर रही है हमने उसकी भी निन्दा की है । वहां हजारों अश्वेत लोगों को बिना दोष जेलों में डाला जा रहा है हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उसका उल्लेख भी अपने अभिभाषण में किया है । यह भी स्पष्ट है कि अफ्रीका के अधिकांश स्वतन्त्र देशों ने भारत की किसी गुट में सम्मिलित न होने की नीति का समर्थन किया है । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अन्त में राष्ट्रपति जी ने कहा है कि युद्ध की नौबत तक न जाकर सभी राष्ट्रों को परस्पर बातचीत से अपने मतभेदों को दूर करना चाहिए । उन्होंने निश्शस्त्रीकरण पर भी जोर दिया है । आश्चर्य की बात है कि आज का विज्ञान तबाही ला देने वाले अणु शस्त्रों का आविष्कार कर रहा है । युद्ध की अवस्था में सारे विश्व को तबाह किया जा सकता है ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश में विभिन्न दिशाओं में हुए विकास का भी उल्लेख किया है । तीसरी योजना में एक सुनियोजित अर्थ व्यवस्था की नींव डाल दी गयी है । राष्ट्र की स्थिति में सामूहिक रूप से काफी सुधार हुआ है । हम प्रगति की ओर बढ़े हैं । हमारी राष्ट्रीय आय में काफी वृद्धि हुई है । कृषि के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं । चालू वर्ष की फसलों से लोगों में काफी विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा भविष्य शानदार है इस वर्ष उत्पादन देशनांक १६७ है जबकि गतवर्ष १४६ था ।

इस बात का भी हमें काफी हर्ष है कि पंचायत राज्य का उल्लेख भी किया गया है । यह बड़ी उत्तम बात है इससे ग्रामवासियों की हीनता की भावना को समाप्त किया जा सकेगा और कृषि उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया जा सकेगा । गत दस वर्षों में औद्योगिक दिशा में भी हमारी प्रगति महत्वपूर्ण है । गत पचास वर्षों में भी इस दिशा में इतनी प्रगति नहीं हुई थी जितनी कि इन दस वर्षों में हुई । औद्योगिक उत्पादन ६६ प्रतिशत बढ़ा है और राष्ट्रीय आय की वृद्धि ४० प्रतिशत हुई है । कृषि उत्पादन ४० प्रतिशत और देश की विद्युत क्षमता की १५० प्रतिशत वद्धि हुई है । राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में १०,००० करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोजन हुआ है ।

नदी घाटी योजनाओं का भी राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख किया गया है । इन परियोजनाओं द्वारा न केवल हमारी परिवहन समस्या ही हल होगी प्रत्युत हमारी रोजगार देने की क्षमता में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हो जायगी । दंडकारण्य परियोजना भी सफल हो रही है और यह क्षेत्र पुनः हरा भरा हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी प्रगति हुई है । मद्रास में तो अब प्रत्येक गांव में एक स्कूल हो गया है । इसके अतिरिक्त औद्योगिक मशीनों के उत्पादन में भी बड़ी उत्साहवर्द्धक प्रगति हुई है । हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही हमारे देश में समृद्धि का साम्राज्य स्थापित होगा । इस आशावाद से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

माननीय सदस्यगण अपने-अपने संशोधन पन्द्रह मिनट के अन्दर दे दें । यदि वे नियमानुकूल होंगे तो मैं उनको प्रस्तुत मान लूंगा ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर—मध्य) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में सब से अधिक संतोषजनक बात है भारत की वैदेशिक नीति का निरूपण । भारत की वैदेशिक नीति प्रगतिशील है और सभी को उसका समर्थन करना चाहिये । इसका ही उदाहरण है भारत का वह रुख जो उसने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्री० अ० डांगे]

संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद के विरोधी प्रस्ताव के बारे में अपनाया है । वह हमारे देश की वैदेशिक नीति की परम्पराओं के अनुकूल है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की एक सब से बड़ी घटना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया गया है---कांगो के प्रधान मंत्री की नृशंस हत्या की ओर । प्रधान मंत्री ने उसके सम्बन्ध में जो उद्गार प्रकट किये हैं, वे सारे देश के उद्गार हैं । संयुक्तराष्ट्र संघ ने कांगो के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की जो नीति अपनाई है उसी का लाजिमी नतीजा यह हुआ है । श्री लुमुम्बा की हत्या इसीलिये संभव हुई कि कांगो की जनता अपने प्रधान मंत्री को बचाने में असमर्थ थी और संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उनको बचाने की कोशिश नही की । बाद में इसकी चर्चा के समय, हम जानना चाहेंगे श्री राजेश्वरदयाल उस समय क्या कर रहे थे ।

हमारे देश की समूची जनता ने उस हत्या के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट किया है । उसने प्रदर्शनों और जलूसों के जरिये अपना क्रोध प्रकट किया है । आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध जितनी कड़ाई दिखाई है, उतना गुस्सा श्री लुमुम्बा की नृशंस हत्या के विरुद्ध नहीं दिखाया । बम्बई में ५० प्रदर्शनकारियों को चोटें लगी थीं, जिनमें विधान सभा के दो सदस्य भी थे । उनमें से कुछ को तो इतनी गहरी चोटें आई थीं कि डाक्टरों को आपरेशन करने पड़े । यह विरोधाभास क्यों ? यह हमारी वैदेशिक नीति पर एक कलंक तो है ही ।

अपनी वैदेशिक नीति के अनुसार, हमारी सरकार अल्जीरिया के स्वातंत्र्य संग्राम का समर्थन तो करती रही है, लेकिन उसने अन्य सरकारों की भांति अल्जीरिया की अस्थायी सरकार को मान्यता नहीं दी है । लाओस में हम शान्ति और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति रख रहे हैं । यह बड़ी अच्छी चीज है ।

लेकिन हमने अभी तक गोआ के बारे में कोई नीति निश्चित नहीं की । अंगोला के क्रांतिकारी विद्रोह की ध्वजा फहरा रहेहैं । अब हमें कम से कम गोआ के देश भक्तों की सहायता और उनका समर्थन तो करना चाहिये । हमारी तटस्थता ऐसी तो न हो कि उससे पुर्तगाल के शासकों को शह मिले । हमें इस पर विचार करना चाहिये । कम से कम कोई ऐसी कार्यवाही तो करनी चाहिये, जिससे पुर्तागली शासक गोआ की समस्या पर फिर से विचार करने पर विवश हो जायें ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत-चीन सीमा के प्रश्न के बारे में भारतीय अधिकारी दल द्वारा प्रस्तुत किये ये प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है । मेरा ख्याल है कि भारतीय अधिकारियों ने अपना काम बड़े सराहनीय ढंग से किया है । उन्होंने भारत के दृष्टिकोण को बड़े अच्छे तरीके से रखा है । उसके बारे में कोई अस्पष्टता नहीं रहने दी है ।

अधिकारियों का काम इतना ही था । वे अपनी ओर से कोई समझौता तो कर नहीं सकते थे । समस्या का हल तो दोनों रसरकारें ही कर सकती हैं । चीनियों ने हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया है । ऐसी आशा भी नहीं थी कि वे हमारे नक्शों को देखते ही मान जायेंगे । चीनियों ने अपने नक्शे और अपना दृष्टिकोण पेश किया है । अब भारत सरकार को राजनीतिक स्तर पर वह प्रश्न उठाना चाहिये ।

यदि बरमा और चीन की समस्या का हल निकल सकता है, तो यह समस्या भी हल हो सकती है । मैं अपने उन माननीय मित्रों की बात से सहमत नहीं कि इस समस्या का हल फौजी कार्यवाहियों या प्रदर्शन बढ़ा कर किया जा सकता है । अब उसका जमाना लद चुका है । और हमारा देश तो

पाकिस्तान जैसे देश के साथ भी समस्याओं का हल करने के लिये वह तरीका नहीं अपनाता । हमने पिछले दस साल से उसके ख़िलाफ़ अपनी फौजी ताक़त का इस्तेमाल नहीं किया । गोआ के लिये भी हमने वह तरीका नहीं अपनाया। हम भी नहीं चाहते कि गोआ की समस्या के हल के लिये वहये तरीका अपनाया जाय । लेकिन कुछ लोग हैं, जो चाहते हैं कि चीन के साथ वह तरीका अपनाया जाय ।

पाकिस्तान को काश्मीर की सीमाओं के सम्बन्ध में चीन के साथ वार्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं । उसके बारे में अखबारों में जो समाचार आये थे, उनकी पुष्टि हमारे प्रधान मंत्री ने नहीं की । मैं भी यह बात मानने को तैयार नहीं कि चीन ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से बातचीत शुरू की है । इसलिये मैं इस पर अकारण ही उत्तेजित नहीं होना चाहता । वैसे इसके बारे में मेरे विचार स्पष्ट हैं । चूंकि काश्मीर हमारे ही देश का एक अंग है, इसलिये उसके बारे में पाकिस्तान को चीन से नहीं, किसी भी दूसरे देश से बातचीत करने का रत्ती भर अधिकार नहीं । और यदि कोई दूसरा देश, या चीन, काश्मीर की सीमाओं के बारे में पाकिस्तान से बातचीत करता है, तो वह नैतिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से ग़लत होगा ।

और जहां तक मैं समझा हूं उन्होंने इस प्रश्न पर भारत से बात करने से इन्कार नहीं किया है । शायद इतना ही कहा है कि अभी उसकी वार्ता के लिये उपयुक्त समय नहीं है । मेरी तो यही राय है कि हमें अभी उस प्रश्न को न लेकर, अन्य क्षेत्रों की सीमायें निरूपित करने का काम जारी रखना चाहिये । वास्तव में, पिछले पांच-छः वर्षों से भारत की वैदेशिक नीति साम्राज्यवादी साजिशों का विरोध करने की ही रही है । मैं केवल इतना चाहता हूं कि उसका पालन अधिक दृढ़ता के साथ किया जाये । हमें संयुक्त राष्ट्र संघ का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिये, जैसा कि कांगों में हुआ है । सुरक्षा परिषद् के महामंत्री श्री हैमरशोल्ड साम्राज्यवादियों की सलाह पर ही ज्यादा कान दिया है । इतनी सावधानी हमें रखनी चाहिय । वैसे हमारी वैदेशिक नीति हमारे लिये गर्व की वस्तु है । और ज्यादा अच्छा होता कि अभिभाषण की भाषा कुछ अधिक प्रेरणादायक होती, इस तरह एक सूची सी पेश न की गई होती ।

जहां तक गृह-कार्य सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, अब हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूरी हो रही है और तृतीय योजना आरम्भ होने वाली है । हमने अपनी योजनाओं के काल में प्रगति अवश्य की है । उद्योग के क्षेत्र में हमने काफी सफलता प्राप्त की है । पिछले पांच वर्ष में हमने अपने देश में कुछ भारी उद्योगों की नींव डाल दी है । यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि साम्राज्यवादी देश तो प्रथम योजना काल से ही हमें उपदेश देते आ रहे थे कि भारत को कृषि की ओर ही सारा ध्यान लगाना चाहिये । अच्छा हुआ कि हमारे द्वितीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया । यह सही है कि उद्योगों के क्षेत्र में अभी तक जितनी प्रगति हुई है, वह देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए अधिक नहीं है । यदि हम ४० लाख टन इस्पात का भी उत्पादन करने लगें, तो उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी । चैकोस्लावाकिया को एक करोड़ बीस लाख आदमी ६० लाख टन इस्पात का उत्पादन करते हैं । लक्ज़म्बर्ग जैसे छोटे देश में, जिसकी जनसंख्या दस लाख के लगभग है ३० लाख टन इस्पात का उत्पादन किया । इसलिये हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए तो वह बहुत ही कम है ।

लेकिन सब से बड़ी बात तो यह है कि हमने अपने देश में भारी उद्योगों की स्थापना की है । कुछ बड़े-बड़े उद्योगपति चौथे इस्पात कारखाने की स्थापना पर आपत्ति कर रहे हैं । उनकी आपत्ति राष्ट्र-विरोधी है । हमारे देश में काफी तैल क्षेत्र निकल आये हैं । इससे साम्राज्यवादियों में बड़ी हड़कम्प मची हुई है, इसलिये कि उनका एकाधिकार ख़त्म हो जायगा । इस सम्बन्ध में सरकार की नीति सही रही है ।

[श्री श्री० अ० डांगे]

हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तेल के मामले में देश को आत्म-निर्भर नहीं देखना चाहते। उन्होंने सोवियत यूनियन से मिलने वाले तेल के प्रस्ताव की राह में हर तरह के रोड़े अटकाये हैं, हर तरह की चालबाजियां की हैं। मैं जानना चाहूंगा कि उसके सम्बन्ध में हम क्या करने जा रहे हैं। जो भी हो, कुल मिला कर हमने अपने देश में भारी उद्योगों, तेल-उद्योग और लोहा तथा इस्पात उद्योग की नींव डाल दी है। इसका मतलब है कि हमने द्वितीय योजना काल में साम्राज्य-वादी घेरे को तोड़ दिया है।

साम्राज्यवादी देशों ने हमें इन उद्योगों की स्थापना में तभी सहायता देनी शुरू की है, जब हमने यह सही निर्णय किया कि हम समाजवादी देशों से भी सहायता लेंगे। फिर भी, साम्राज्वयवादी देश आज भी इसी कोशिश में लगे हैं कि हमारा देश एक खास क्षेत्र में विकास न कर पाये।

हम योजना का समर्थन करते हैं। लेकिन हम योजना के केवल उस भाग का समर्थन करते हैं जो हमारे देश को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिये है। योजना का जो भाग पूरे देश के हित में है, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो भाग देश के एक खास वर्ग के हितों के लिये है, उसका हम समर्थन नहीं करते। हम उस वर्ग का समर्थन नहीं करते जो योजना से प्राप्त सारा मुनाफा अपनी ही थैलियों में बन्द करना चाहता है, जो विदेशी मुद्रा की चोरी करता है और जो सरकारी क्षेत्र को खतम कराना चाहता है।

कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खास-खास उद्योगों को सरकारी क्षेत्र से निकाल कर निजी क्षेत्र को दे दिया जाये। वह देश के लिये घातक होगा।

एक कोशिश यह भी चल रही है कि जनता से वसूल किये गये टैक्सों के धन से सरकारी क्षेत्र में खड़े किये गये उद्योगों को निजी उद्योगपतियों को बेच दिया जाये। यह नीति देश के लिये घातक होगी। सभा को उसकी निन्दा करनी चाहिये। जनता के धन से खड़े किये गये सरकारी उद्योगों से निजी उद्योगपतियों को मुनाफे नहीं कमाने देना चाहिये। सभा को ऐसी कोशिशें नाकाम कर देनी चाहिये। 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' जैसे कारखाने को भी .....

†एक माननीय सदस्य : वह सिर्फ अफवाह है।

†श्री तंगामणि : मजूमदार समिति का प्रतिवेदन मौजूद है।

†श्री श्री० अ०डांगे : इस पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है, जिसका सचिव एक सरकारी अधिकारी है।

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ऐसी कोई भी समिति नियुक्त नहीं हुई है।

†श्री श्री०अ० डांगे : मैं माने लेता हूं कि ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैं इसे आश्वासन के रूप में माने लेता हूं कि सरकारी क्षेत्र का कोई भी कारखाना किसी निजी व्यावसायिक संस्था को नहीं बेचा जायेगा।

†श्री मोरारजी देसाई : जब कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो फिर आश्वासन का प्रश्न ही नहीं उठता।

†अध्यक्ष महोदय : क्या मजूमदार समिति नियुक्त की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): समिति तो है। लेकिन उसमें यह विचार नहीं किया जा रहा है कि सरकारी कारखानों को निजी उद्योगपतियों को बेच दिया जाये। समिति अभी केवल सैद्धांतिक रूप में इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि सरकारी क्षेत्र में कोई नया कारखाना खड़ा करने के लिये उसके १०–१५ प्रतिशत शेयर जनता को भी दिये जाने चाहिये या नहीं। यदि ५१ प्रतिशत तक शेयर सरकार के नहीं रहेंगे तो वह सरकारी उपक्रम रहेगा ही नहीं।

और, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को बेचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वह तो हमारा सबसे अच्छा सरकारी उपक्रम है।

†श्री श्री० अ० डांगे : बड़ी प्रसन्नता की बात है। अच्छा हुआ कि स्पष्टीकरण हो गया है कि इतनी अच्छी सरकारी परियोजनाओं को निजी उद्योगपतियों के हाथ बेचने का कोई खतरा नहीं है।

सरकार को सरकारी क्षेत्र के बारे में यह सावधानी रखनी चाहिये। सरकार का चाहे मंशा न भी हो, पर निजी उद्योगपति तो ऐसी कोशिशें कर ही रहे हैं। उनकी नज़रें जीवन बीमा निगम, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और सिन्दरी कारखाने पर भी लगी हुई हैं। उद्योग-पत्रिकाओं में इन प्रश्नों पर चर्चायें चल रही हैं। इसलिये सावधानी रखना जरूरी है।

मैं यह नहीं कहता सभी उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में ले लिया जाये। मध्यम और छोटे उद्योगों को अभी सरकारी क्षेत्र में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारी मशीनों और कोयले के उद्योगों को, महत्वपूर्ण उद्योगों को तो सरकारी क्षेत्र में रखना ही चाहिये।

अब प्रश्न है कि हमारे इतने सारे विकास का कुल परिणाम क्या निकला है? हम कृषि क्षेत्र में पिछड़ गये हैं। कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार है कृषीय उत्पादन में ४० प्रतिशत वृद्धि तो हुई है। लेकिन इतनी वृद्धि का आधार भूमि-सुधार नहीं हैं। इसलिये यह जरूरी नहीं है कि निरन्तर ही वृद्धि होती रहेगी। हमें अन्न के मामले में दूसरे देशों का मोहताज रहना पड़ता है। इसका कारण यही है कि सरकार भूमि-सुधारों के सम्बन्ध में कोई एक निश्चितनीति नहीं अपना रही है। अभी भी किसानों की बेदखलियां चल रही हैं।

इतने बड़े-बड़े फार्म बनाने के बाद भी, हमारा कृषि-क्षेत्र प्रगति नहीं कर पा रहा है। केवल बड़े-बड़े यंत्रीकृत फार्म बना कर कृषीय प्रगति नहीं की जा सकती। कृषीय समस्या का हल तभी होगा जब कांग्रेस के नागपुर प्रस्ताव की नीति को अमल में लाया जाये। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही है।

अब प्रश्न है कि इतने सारे विकास से लाभ किसे पहुंचा है? इसका लाभ थैलीशाहों को ही पहुंचा है। गरीबों की गरीबी ज्यों की त्यों है। इसलिये कि सरकारी क्षेत्र पर पूंजीवादी प्रभाव काफी है।

मजूरी का यह हाल है कि मजूरी-बोर्डों के प्रतिवेदन पहले तो तैयार ही एक-दो साल में हो पाते हैं और फिर उसके बाद भी उनकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया जाता। श्रमिकों से सम्बन्धित हर सिफारिश का यही हाल होता है।

सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में भी यही हो रहा है। कर्मचारियों को अब तक शिकार बनाया जा रहा है। हर मन्त्रालय का यही हाल है। कुछ लोगों का ख्याल है कि श्री कृष्ण मेनन कम्युनिस्ट हैं। अगर हैं, तो फिर प्रतिरक्षा मन्त्रालय में कर्मचारियों को शिकार क्यों बनाया जा रहा है? कर्मचारियों को शिकार बनाने के प्रश्न पर, हर मन्त्रालय प्रतिक्रियावादी बन जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : क्या रूस में हड़ताल करने की आजादी है ?

†**श्री श्री० अ० डांगे** : सोवियत यूनियन की चर्चा करने से क्या फायदा ? वहां सर्दी बढ़ने के कारण लोगों की मौत नहीं होती, जैसे कि हमारे यहां मोकामेह में हुआ है।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : होती हैं, लेकिन उसकी खबर यहां नहीं आने दी जाती।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : मैं तो चाहता हूं कि आप सब खुद वहां जाकर देखें।

मजदूरों की तनखाहों के बारे में योजना का काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। मजदूरों के अधिकारों और आम जनता को राहत देने के बारे में भी योजना का काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। मजूरी बोर्डों की नियुक्ति से भी कोई लाभ नहीं होता। मूल्य इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अगर मजूरी में कोई वृद्धि होती भी है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। इसीलिये 'आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' ने नारा बुलन्द किया है कि मजूरी को महंगाई भत्ते के साथ बढ़ना चाहिये। सबसे अच्छा तरीका यही है कि मजूरी को निर्वाह-लागत के साथ साथ बढ़ाया जाये।

सरकारी नीति मजदूरों और किसानों के पक्ष में नहीं है। पूंजीपति लोग योजना का इस्तमाल अपने हितों के लिये कर रहे हैं। योजना की प्रगति तो सारी जनता के खून-पसीने के बल पर होती है, लेकिन उसका फायदा केवल पूंजीपति वर्ग को होता है।

इसीलिये जनता में निराशा बढ़ती जा रही है। और, देश के प्रति क्रियावादी तत्व इस निराशा का फायदा उठाते हैं।

आज देश में इतने अधिक दंगे-फसाद होते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम देश की जनता के दिलों में विकास की महत्वाकांक्षा पैदा नहीं कर पाये हैं; और यह कि विकास से आम जनता को कोई लाभ नहीं होता। इसीलिये हमारे यहां असामाजिक तत्व बढ़ते चले जा रहे हैं। जबलपुर के दंगे इसके साक्षी हैं। इसे रोकने के लिये सारे समाज को, समाज के सभी वर्गों को, एक साथ प्रयास करना पड़ेगा। सभी दलों को मिल कर सम्प्रदायवाद को दबाने, खत्म करने के लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये। साथ ही यह भी जरूरी है कि जनता में यह भावना पैदा की जाये कि देश उनका है। चन्द पूंजीपतियों का नहीं। यह तभी होगा जब देश की प्रगति और विकास का लाभ देश के सभी वर्गों को पहुंचे। तभी भावी विकास सम्भव होगा।

†**श्री अशोक मेहता** : माननीय सदस्य क्षेत्रीय अखण्डता और सीमा सम्बन्धी अतिक्रमण के बारे में श्री डांगे के विचार सुनने को बहुत उत्सुक हैं। इसीका यह परिणाम है कि आज इतनी देर पश्चात् भी सभा में काफी उपस्थिति है। तथापि डांगे ने इस सम्बन्ध में अपनी कोई स्पष्ट राय जाहिर नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पदाधिकारियों का प्रतिवेदन ध्यान से नहीं पढ़ा है प्रतिवेदन में पहिले ही पृष्ठ पर स्पष्ट कहा गया है कि चीन, काश्मीर के भारत में विलय को मान्यता नहीं देता है। उसने भारत के साथ भोटान और सिक्किम के सम्बन्धों को भी मानने से इंकार कर दिया है। इस पर श्री डांगे की क्या राय है। दुख की बात है कि श्री डांगे एक ऐसे दल के नेता हैं जिनके कार्यों को देख कर हमारा हृदय ग्लानि से भर जाता है।

अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेता हूं। मुझे इस अभिभाषण से बड़ी निराशा हुई है, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया जा रहा है, हम पर पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से आक्रमण हो रहे हैं, हमारे आक्रमण कारी मिल कर हमें पृथक् करने की नीति अपना रहे हैं, ऐसे समय यह दुख की बात है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि इस अभिभाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि जनता में विश्वास और प्रेरणा पैदा हो। यह हमारे बौद्धिक दिवालियेपन का प्रमाण है।

अभिभाषणों में सामान्यता प्रतिरक्षा का कोई जिक्र नहीं रहता है, यह दुख की बात है क्योंकि अब समय बदल गया है और अर्थशास्त्र की तरह प्रतिरक्षा भी आम जनता का विषय बन गया है। अत: यह आवश्यक है कि हमारी जनता की दिलचस्पी और बुद्धि का उपयोग प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्याओं के सुलझाने में किया जाय, यह स्मरण रखना चाहिये कि वही सामरिक नीति सही मानों में सफल हो सकती है जिसमें जनता दिलचस्पी रखती हो। अत: मैं प्रधान मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे बजट प्रतिवेदन की तरह एक प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन भी प्रकाशित करें इससे जनता में प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में दिलचस्पी बढ़ेगी।

पिछले वर्ष अभिभाषण के दौरान भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये एक न्यायाधिकरण बनाने की मांग रखी गयी थी। मैं उस मांग को पुन: दुहराता हूं। जब लंका जैसे छोटे से देश ने अपने देश में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये न्यायाधिकरण नियुक्त किया है तो हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिये।

आज की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है हमारे सीमान्त पर आक्रमण। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि सीमा विवाद सम्बन्धी सरकारी अधिकारियों के दल ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है, उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पड़ौसी राष्ट्र ऐसे समय जबकि चीन हमें अन्य देशों से पृथक् करना चाहता है चीन से सन्धि करने का अच्छा अवसर समझ रहे हैं, उन्हें यह ज्ञान हो जाना चाहिये कि ऐसी परिस्थिति में की गयी संधियों का कोई मूल्य नहीं होगा। उन्हें यह ज्ञात हो जाना चाहिये कि भारत न केवल अपनी प्रादेशिक अखण्डता के लिये संघर्ष कर रहा है अपितु वह अपने पड़ौसी राष्ट्रों के हित में भी चीन की आक्रमणकारी नीयत का विरोध कर रहा है। ऐसे समय चीन से सन्धि करना उनके हित में नहीं होगा। उन्हें हमारे अनुभव से लाभ उठाना चाहिये, अन्यथा उन्हें भी वैसा ही कड़ुवा अनुभव होगा जैसा कि हमें हुआ है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम में १२,००० मील पर क्या अभी भी उनका अधिकार है। क्या इस क्षेत्र पर एक झारगी ही अधिकार कर लिया गया या धीरे-धीरे अधिकार किया गया। इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री तथा उनकी सरकार ने अभी भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। श्री डांगे यद्यपि मैकमोहन लाइन को स्वीकार करते हैं तथापि लद्दाख के सम्बन्ध में वह भी चुप हैं। वस्तुत: सरकार ने इस सम्बन्ध में संसद् को जानकारी नहीं दी है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि १८६५ में भी अकसाई चीन में तत्कालीन काश्मीर सरकार ने वहां अपनी चौकियां कायम की थीं, तब क्या कारण है कि १९५५ में वहां कोई चौकी कायम नहीं की गयी क्या हम इतने नाजुक हो गये हैं कि वहां की कठिन जलवायु सहन नहीं कर सकते हैं ? अपने पक्ष के समर्थन में चीन सरकार ने १९५० के पूर्व प्रकाशित एक भी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया। इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख कर देना चाहता हूं कि आचार्य कृपालानी ने बहुत पहिले ही हमें चेतावनी दे दी थी कि मानचित्रों में इस प्रकार सीमाओं का अतिक्रमण करना भूमि पर अतिक्रमण करने की भूमिका है लेकिन हमारे प्रधान मन्त्री ने इसपर कोई विचार नहीं किया। अत: मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मानचित्रों में इस प्रकार की भूलों का तत्काल सुधार किया जाय अन्यथा हमें इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमारे सीमान्त पर चीन का जो दबाव पड़ रहा है वह जारी रहेगा, अत: हमें यह आवश्यकता है कि हम इसका दृढ़ता से मुकाबला करें, तथापि दुख का विषय यह है कि इस ओर सन्तोषजनक ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

[श्री अशोक मेहता]

दुख का विषय है कि देश में कुछ ऐसे तत्वों का जन्म हो रहा है जो देश में उपद्रव पैदा करने को उत्सुक हैं, इसमें पहिला तत्व है सामन्तशाही वर्ग; जो धीरे धीरे पुनः उभड़ रहा है, मेरे सहयोगी श्री रंगा और मसानी इसी वर्ग को उभाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरा वर्ग है सम्प्रदायवादी; जबलपुर में इन सम्प्रदायवादी तत्वों ने यह स्थिति पैदा कर दी कि धर्मनिरपेक्ष तत्व जड़ हो गये। इस सम्बन्ध में राज्य सभा के दो संसद् सदस्यों श्री फरीद अंसारी और श्री निरंजन सिंह ने दंगों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उससे ज्ञात होता है कि दुर्भाग्य से वहां के सभी अधिकारी नये थे। नगर के साम्प्रदायिक सम्वेदना सम्बन्धी कोई ऐसा नकशा उनके पास नहीं था जिससे वे कुछ विशेष मोहल्लों के बचाव के लिये वे प्रयत्न करते। तीसरे समाचार पत्रों ने आत्म संयम से काम नहीं लिया। आज की स्थिति में समाचार पत्रों का साम्प्रदायिक तत्वों का खिलबाड़ बन जाना बहुत दुःख और लज्जा की बात है।

तीसरा तत्व साम्यवादी तत्व है। इन्होंने अपने संकल्प में चीन का नाम भी नहीं लिया अतः उसमें सीमा अतिक्रमण का कोई उल्लेख ही नहीं है।

हमें उक्त तीनों तत्वों का सामना करना है, और मैं सभा से यह अनुरोध करता हूं कि हमें इस प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देना चाहिये।

अब मैं योजना का प्रश्न लेता हूं। यह दुख की बात है कि दो योजनाओं के पश्चात् भी हमारे दृष्टिकोण में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया है।

उदाहरण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से २० प्रतिशत व्यय कम हुआ है। दूसरी गम्भीर कमी यह रही है कि हम देश में बचत की राशि बढ़ाने में समर्थ नहीं हुए हैं। यह कमी हम विदेशी सहायता लेकर पूरा करना चाहते हैं, राष्ट्रीय बचत की कमी को पूरा करने के लिये विदेशी सहायता लेना एक अक्षम्य अपराध है। तीसरी कमी जैसा कि विश्व की विख्यात अर्थशास्त्री श्रीमती जैकसन ने कहा है यह है कि योजना की प्रगति को आंकने के लिये मन्त्रिमण्डल की कोई उपसमिति नहीं है, वस्तुतः एक ऐसी उपसमिति होनी चाहिये जो कि योजना के अधीन ठोस प्रगति का हिसाब रखे और जब तक व्यय पूरा न हो किसी प्रकार की कसर न छोड़े।

यह कहा गया है कि पिछले दस वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय में २० प्रतिशत और उपभोग में १६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तथापि अग्रेतर विश्लेषण से यह ज्ञात होगा कि उत्पादन में केवल २८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मुख्यतः सरकारी सेवाओं से ४७.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में जो १७०० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, उसमें से ६०० करोड़ रुपये उन कृषकों को गये हैं जो बड़े उत्पादक हैं। इसी प्रकार उद्योग के क्षेत्र में पांच बड़ी औद्योगिक कम्पनियां इस समय ५४० कम्पनियों को, जिनकी पूंजी ८११ करोड़ है संचालित कर रही हैं। अतः स्पष्ट है कि इन्हीं कारणों से जनता में असन्तोष है और इस अवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार पर है।

"लन्दन इकोनोमिस्ट" ने अभी हाल अपने एक प्रतिवेदन में भारत के भावी पांच वर्षों की आर्थिक स्थिति का निरूपण किया है, तथा उसने यह आशा प्रगट की है कि भारत का भविष्य सुरक्षित है। हम भी आशा करते हैं कि भारत का आर्थिक भविष्य पूर्णतः सुदृढ़ हो, हम आशा करते हैं कि सभा इस ओर संगठित प्रयत्न करेगी।

**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रेज़ीडेण्ट साहब के भाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करती हूं। प्रेज़िडेण्ट महोदय ने अपने एड्रेस में जो तस्वीर रखी है, वह तस्वीर प्रगति की है। उसके साथ साथ उस भाषण में आत्म विश्वास की एक झलक है। साथ ही उसमें हमारी कठिनाइयों को छोटा करने और हमारे खतरों को कुछ नज़र-अन्दाज़ करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। तो भी उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि इन खतरों का हम सामना कर सकते हैं, कर रहे हैं और करेंगे।

श्री अशोक मेहता ने कहा है कि अगर कहीं पर कोई नक्शे में हमारे ऊपर एग्रेशन करता है, नक्शे में हमारे इलाके को अपना इलाका बताता है, तो उसको हमें फौरन दुरुस्त करना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि श्री अशोक मेहता कैसे दूसरे मुल्कों में जाकर उनके नक्शे दुरुस्त कर सकते हैं। हम अपने नक्शे दुरुस्त रख सकते हैं, यह सही बात है। हम दुनिया को कह सकते हैं कि हमारा नक्शा यह है, हमारी हदबन्दी यह है यह सही बात है। लेकिन अपने घर बैठ कर कोई अपना नक्शा बना ले तो दूसरे मुल्क में जाकर हम उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं यह बात कुछ समझ में नहीं आती। हां यह सही है कि हमें अपनी हद की रक्षा करनी है अपने इलाके की रक्षा करनी है। उसके लिए पैट्रोल पार्टीज़ चाहिए सिपाही रखने चाहिए या सुरक्षा का कोई दूसरा इन्तज़ाम करना चाहिए। वह होना चाहिए और वह नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है।

श्री अशोक मेहता का कहना है कि एड्रेस की भाषा बहुत बढ़िया नहीं है और बहत बढिया भाषा होनी चाहिए। मैं यह जानना चाहती हूं कि जिसको फ्लावरी भाषा कहते हैं, ऐसी भाषा से एक अच्छा एड्रेस या भाषण दिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है। प्रेजिडेण्ट महोदय के एड्रेस की भाषा में एक तरह की शान्ति है, रेस्ट्रेंट है और उसके साथ ही शक्ति और स्ट्रेंग्थ है।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : स्फूर्ति नहीं है।

**डा० सुशीला नायर** : श्री नाथ पाई को ऐसा लगता है कि उसमें स्फूर्ति नहीं है, लेकिन स्फूर्ति करते करते नीचे से जो बुनियाद खोखली रह जाय, उसकी चिन्तायें लोग नहीं करते। दुनिया में सिर्फ़ स्फूर्ति ही चीज़ नहीं होती है। उसके साथ गहराई होनी चाहिए, मज़बूती होनी चाहिए और प्रेज़िडेंट के एड्रेस में गहराई है और मज़बूती है और स्पष्टता है। प्रेज़िडेण्ट महोदय ने कहा है—

> "रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की ओर वह निरन्तर ध्यान दे रही है, और साथ ही संचार के साधनों द्वारा सम्पर्क स्थापित करके उन स्थानों का विकास कर रही है।"

**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : उन्होंने हिन्दी में भाषण दिया है।

**डा० सुशीला नायर** : क्या वे डिफेन्सिव अरेन्जमेंट्स की सारी की सारी फ़िगर्ज़ और डीटेल्ज़ चाहते हैं, जिन को प्रेजिडेंट महोदय इस हाउस के सामने रख दें ? यह एक अजीब बात है।

**श्री नाथ पाई** : किस ने यह कहा है? यह कहा है कि रूप-रेखा रखी जाये, तस्वीर रखी जाये। डीटेल्ज़ नहीं मांगी हैं।

**डा० सुशीला नायर** : डिफेन्स की रूप-रेखा इन दो चार शब्दों में होती है। तीन तरह से सुरक्षा हो रही है और होनी चाहिये। परन्तु क्या वह डिफेंस के अरेंजमेंट्स की डिटेल्ज़ और रूप-रेखा के अन्तर्गत यह जानना चाहते हैं कि फलां जगह पर इतने सिपाही हैं, इतने हवाई जहाज़ हैं, इतनी फ़ौज है, इतनी तोपें हैं ? मैं समझती हूं कि ऐसी मांग करना बिल्कुल बचपने की बात है। जब मैं अक्सर इस सदन में किये जा रहे सवाल और भाषण सुनती हूं, तो मुझे आश्चर्य होता है। ऐसी ऐसी बातें पूछी

[डा० सुशीला नायर]

जाती हैं कि जिनका जवाब अगर सरकार दे, तो देश के लिए अच्छा नहीं और अगर न दे, तो उसमें से लोग जो नतीजे निकालेंगे, वह भी देश के लिए अच्छा नहीं। हमारे सदस्यों को यह समझना चाहिए कि कौनसी बातें पब्लिक में करने लायक होती हैं और कौनसी नहीं होती हैं और वे बातें करनी ही नहीं चाहिए। हमारे प्रेज़िडेण्ट महोदय ने बताया कि हम सुरक्षा का पूरा इन्तज़ाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक तरफ़ तो वहां डिफ़ेन्स का अरेंजमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ़ सड़कें वगैरह बना कर वहां पहुंचने का इन्तज़ाम हो रहा है और तीसरी तरफ़ वहां के विकास, डेवेलपमेंट, की तरफ़ भी तवज्जह दी जा रही है। हमें ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक तेज़ी के साथ ये तीनों काम किये जा रहे हैं और किये जायेंगे, क्योंकि उनके बग़ैर हमारे बार्डर्ज़ की रक्षा नहीं हो सकती।

ज़ाहिर है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन चीन के कब्ज़े में है वह ज़मीन खाली हो, चीन का एग्रेशन यहां से निकले, लेकिन चीन के एग्रेशन को निकालने के लिये सब से पहली बात हमें स्वीकार कर लेनी चाहिये और वह की भी गई है और वह यह है कि हमने चीन पर इतना विश्वास रखा था, उसमें दग़ा, धोखा हुआ, हम सोते थे और सोते हुए पकड़ गये और हमारी कुछ ज़मीन पर चीन का कब्ज़ा हुआ। लेकिन अब हम जाग्रत हैं और अपने बार्डर्ज़ की रक्षा कर रहे हैं। अब आगे कोई आ नहीं सकता और आयगा नहीं। जिन एरियाज़ में वे आ गये हैं, वहां से उनको हटाना होगा, और वे अवश्य हटेंगे, यह हमारा दृढ़ निश्चय है। लेकिन उसको हासिल करने के लिये जो तरीके हमने आज तक अपनायें हैं, उन्हीं तरीकों से हम काम चला सकते हैं--दूसरी तरह से नहीं चला सकते। वह हमारे लिये मुनासिब भी नहीं होगा।

श्री डांगे बहुत ज़ोरों से कह रहे थे कि यू० एन० में हमारी भाषा में फ़र्मनेस होनी चाहिए। लेकिन चीन के साथ बात करते हुए उनकी अपनी ज़बान में फ़र्मनेस नहीं है। वह गोल-गोल बातें करते हैं। वह कहते हैं कि हमारे आफ़िसर्स ने हमारा बड़ा स्ट्रांग केस बनाया। सही बात है। हमारा केस बड़ा स्ट्रांग और बढ़िया है। हमारे मन में इस बारे में शंका नहीं हुई थी। डांगे साहब के मन में होगी। उसका निवारण हुआ, तो यह खुशी की बात है। लेकिन यह कहते हुए साथ ही वह कहते हैं, "मगर चीन वालों ने अपने नक्शे बताये, अपना केस बताया," इत्यादि इत्यादि। जैसा कि अभी श्री अशोक मेहता ने कहा है, १९५० से पहले चीन के पास कोई नक्शा नहीं था, जिसमें उनका कोई केस बनता हो। अब उनका केस बनने लगा है और उन्होंने नक्शे बना लिये हैं। घर बैठ कर नक्शे बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हमारे कम्यूनिस्ट भाई इस तरह एक क्षण के लिये भी ध्यान दे सकते हैं कि चीन का इसमें कोई केस है। ज़ाहिर बात है कि बिल्कुल बेकार जो दावे वह करे उनके बारे में ही उठ कर घर में कोई कहे कि हां भाई वह भी ध्यान देने की बात है, तो यह चीज़ बिल्कुल मेरी भी समझ में नहीं आती है। यह तो एक प्रकार से उदारता दिखाने वाली बात है और उदारता है या देश के प्रति यह द्रोह है, इसका आप निश्चय करें।

प्रेज़ीडेंट महोदय ने अपने एड्रेस में कहा है कि हम शान्ति के साथ रहना चाहते हैं, पीसफ़ुल को-एग्ज़िस्टेंस और गुड-नेबरलीनेस, चाहते हैं मगर उसके साथ ही साथ जागृत रह कर हमें अपनी रक्षा करनी है। बाइबिल में कहा गया है :—

"मेमनों की तरह भोला लेकिन सांप की तरह चतुर होना चाहिये।"

हमारा देश शान्तिप्रिय देश है, हम शान्ति रखना चाहते हैं, बुद्ध और गांधी की शिक्षा को अमल में लाना चाहते हैं। मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम दूसरों के सामने किसी तरह से द ़ने के लिये तैयार हैं या हम दब जायेंग या अपने हकों को किसी को छीनने की इजाज़त देंगे। प्रेज़ी ़डेंट

महोदय ने अपने भाषण में कहा भी है कि हम ज़रूर अपनी टेरिटरी को फारेन एग्रेशन से खाली करायेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उसको खाली करवाने में सफल होंगे और वह खाली होकर रहेगी। आज दुनिया में भी इस चीज़ की कद्र हो रही है और दुनिया में भी पब्लिक ओपीनियन इस चीज़ की तरफ बढ़ती जा रही है कि हिन्दुस्तान का जो रवैया है, हिन्दुस्तान का जो स्टैंडर्ड है, यह बहुत मुनासिब है, बहुत मजबूत है। यह जो वर्ल्ड ओपीनियन में परिवर्तन आ रहा है इसको चीन को भी देखना होगा और उन्हें यहां से भागना होगा। आखिर पाप का घड़ा कहां तक भरता रहेगा ? वह बहुत भर चुका है। अगर वह अपने आप पीछे नहीं हटेगा तो कोई न कोई ऐसा तरीका निकल आयगा जिससे वह मजबूर हो जायगा पीछे हटने को। इसके बारे में मेरे मन में कोई सन्देह नहीं है, कोई शक नहीं है। कैसे यह चीज़ होगी, और क्या होगा, इस डिटेल में जाना न मेरे बस की बात है और न ही यह मुनासिब ही है।

आज दुनिया मुसीबत में पड़ी हुई है, बरबादी की अनी पर खड़ी हुई है। इस मुसीबत के वक्त यह जरूरी है कि दुनिया में कोई तो हिस्सा ऐसा हो जिसमें सैनिटी हो, जो पागलपन से बचा हुआ हो, शान्ति की खातिर मजबूती से खड़ा हुआ हो और आज हिन्दुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया के मुल्कों पर अपने विचारों का कुछ असर डाल रहा है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में कहा भी है कि यू० एन० में हमने अपनी आवाज़ बुलन्द की है कि युद्ध हमेशा के लिये आउट ला कर दिया जाए तथा समस्याओं का शान्ति के साथ समाधान होना चाहिए। इस चीज़ पर हमारा ज़ोर बराबर रहा है और इसी पर हम जोर देते रहेंगे। आज अफ्रीका के देशों में जो कुछ हो रहा है तथा उसको देखने की कितनी जरूरत है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अफ्रीका के देशों को स्वतंत्र कराने के लिए लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। लेकिन एक खतरे की की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। लुमुम्बा का कत्ल ऐसा खतरा है जिसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। क्या यह दुनिया में स्वतंत्रता को ही कत्ल कर देने वाली चीज़ तो नहीं बन जायेगी, ? क्या मनुष्य जाति को ही बरबाद कर देने वाली चीज़ तो नहीं बन जायेगी ? यह ऐसी चीज़ बन सकती है क्योंकि ज्वाला भड़क रही है अफ्रीका में आज और उस ज्वाला को शान्त करने के लिये मनुष्य को बहुत बड़ा प्रयत्न और बहुत बड़ी तपश्चर्या करनी होगी। हमें अपना हिस्सा अदा करना है। हम आशा रखते हैं कि यू० एन० में भी इसका ज्यादा से ज्यादा असर हो रहा है और होगा और वहां की जो फिज़ा है वह बदलेगी और नई पालिसीज़ वहां सामने आयेंगी जिन पर अमल करके कि आज के खतरों से हम बच सकें।

अभी हाल में यहां पर एक सैमीनार हुआ था अफ्रीका के प्राबलैम्स के बारे में। बहुत सी चीज़ें वहां पर आई थीं और डिसकस हुई थीं। एक चीज़ विशेष तौर पर आई थी और वह काले-गोरे के बारे में थी। यह भयानक सवाल है। इसी को लेकर दुनिया में खलबलाहट मची हुई है और खतरा पैदा हो गया है कि कहीं कोई एटम बम न फट जाए और अगर ऐसा होता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सारी दुनिया को, यू० एन० को और खास करके साउथ अफ्रीका वालों को भी इस चीज़ को देखना है। अगर वह चाहता है कि उसकी रक्षा हो, दुनिया की रक्षा हो, दुनिया में शान्ति बनी रहे तो इस काले और गोरे की अलहदी की नीति को साउथ अफ्रीका को बदलना होगा।

जब हम शान्ति के लिए इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं तो एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती है। हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक, हमारे भाभा साहब बार बार कहते हैं कि दो साल में हम एटम बम बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। इस तरह की वे शेखी बघारते फिरते हैं कि हम दो साल में बना सकते हैं, एक साल में बना सकते हैं। आपने तय कर रखा है कि एटम बम आपको बनाना ही नहीं है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरह की शेखी बघारने की क्या आवश्यकता है कि

[डा० सुशीला नायर]

हम बना सकते हैं। आपकी इस तरह की बात को सुनकर पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हिन्दुस्तान के पास ताकत आ गई है और उसे भी बनाना चाहिये। वह बनाने बैठेगा। हम जानते हैं कि अगर हम बनाने की स्थिति में होंगे भी तो भी नहीं बनायेंगे तो फिर खाम-ख्वाह मुसीबत में हम क्यों पड़ते हैं। शेखी बघारने की जो कुछ लोगों की आदत है वह नुक्सान की चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है और हमें इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहियें, ऐसा मेरा मन्तव्य है।

तीसरे प्लान की रूपरेखा बनगई है, और यह बहुत अच्छी बात है। उसकी डिटेल्ज़ अभी हमारे सामने नहीं है। लेकिन मैं आशा करती हूं कि उसमें अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक ध्यान, अधिक से अधिक तवज्जह बोर्डर एरियाज़ पर दी जायेगी। यह चीज़ हमारी सुरक्षा के लिये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ मैं समझती हूं कि जब हम प्लान करते हैं तो चन्द एक बेसिक प्राबलैम्स को लेकर हमें उनको पूरा कर लेना चाहिये। मिसाल के तौर पर योजना की रूपरेखा को हम लोगों ने देखा है, तीसरे प्लान में भी सबको पीने के लिये पानी की व्यवस्था की जा रही हो, ऐसी बात हमें नज़र नहीं आई। पीने का पानी तो लाजिमी चीज़ है। पीने के पानी की सब के लिये हम व्यवस्था कर दें और इस योजना को पूरा कर दें, जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, तब तो बात चल सकती है, नहीं तो नहीं चल सकती है।

मैं बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहती हूं कि प्लानिंग का आज कुछ इस तरह का अर्थ लगाया जाता है कि रुपये पैसे इतने आने वाले हैं, इतने रिसोर्सिस हैं इनका बंटवारा करना है और इस विभाग को इतने दे दो उस विभाग को इतने दे दो, इसको इतने दे दो और उसको इतने दे दो। मैं कहना चाहती हूं कि यह प्लानिंग नहीं है, यह तो बही खाता है। प्लानिंग तब है जब आप प्रयोरिटीज़ दे चुकने के बाद एक एक प्राजैक्ट को शुरू से लेकर आखिर तक कम्पलीट करें, कम्पलीट प्लानिंग आप करें, कम्पलीट इम्प्लेमेंटेशन करें और जो चीज़ है, वह पूरी हो जाए, इसको आप देखें। अगर ऐसा हो सके तब तो प्लानिंग है वर्ना अगर आप पैसा बांटने की बात ही करना चाहते हैं तो वह प्लानिंग नहीं है। मैं चाहती हूं कि इस ओर आपका विशेष तौर से ध्यान जाये।

प्रेजीडेंट महोदय ने कहा है कि फूड की समस्या सुधर रही है, इस साल हमारी फसल अच्छी हो रही है। मगर इससे हमें निश्चिन्त होकर बैठ नहीं जाना चाहिये। यहां पर अभी दो चार दिन पहले एक सवाल आया था और कहा गया था कि देश के कुछ हिस्सों में अन्न सड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें देखना है कि हमारा अन्न का जो स्टोरेज हो, वह ठीक हो अन्न बरबाद न हो, अन्न वेस्ट न हो। उसके साथ ही साथ हम देखें कि प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हम यह भी देखें कि उसका इस्तेमाल ठीक हो और अगर हम यह नहीं कर पाते हैं और अन्न को बरबाद होने देते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। देश में न्यूट्रिशन का स्तर भी बहुत नीचा है, लोगों का स्वास्थ्य गिरा हुआ है और उसमें आधे से ज्यादा कारण हमारे पूअर न्यूट्रिशन के हैं। अगर उसको सुधारना है तो फूड के सवाल को बहुत आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। खाली कैलोरीज़ हमें पूरी नहीं करनी हैं लेकिन जो प्रोटैक्टिव फूड्स कही जाती हैं, उनको भी हमें बढ़ाना है जैसे दूध है और इसी प्रकार की दूसरी चीजें हैं। अगर ऐसा किया गया तो देश का स्वास्थ्य अच्छा हो सकेगा और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो काम आगे बढ़ सकेगा नहीं तो कैसे बढ़ सकेगा।

एड्रेस में बहुत सी और भी बातें कही गई हैं। हाइड्रो-इलैक्ट्रिक वर्क्स का भी जिक्र किया गया है। भाखड़ा में ६०,००० किलोवाट के दो यूनिट काम करने लगे हैं और चम्बल में क्या प्राग्रेस हुई है, उसका भी जिक्र किया गया है। यहां पर भी प्लानिंग की बात आती है। क्या सब जगह पर

हमारी जो छोटी वाटर चैनल्ज हैं, वे बन गई हैं और क्या पानी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। मैं जानती हूं कि बहुत सी जगहों पर नहीं हो रहा है। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि किसी जगह स्टेट गवर्नमेंट्स ने यह काम नहीं किया और किसी जगह गांव वालों ने यह नहीं किया या किसी दूसरे ने नहीं किया। प्लानिंक कमिशन को देखना चाहिये कि हर एक प्राजैक्ट एक सिरें से दूसरे सिरे तक पूरा हो और समय पर पूरा हो ताकि पूरा लाभ हमारे देश को मिल सके।

कहने को तो और भी कुछ बातें थीं लेकिन चूंकि समय नहीं है, इस वास्ते मैं अब कहना नहीं चाहती हूं और किसी दूसरे मौके पर मैं उनको कहने का प्रयत्न करूंगी।

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (अम्बाला): अध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित किया गया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं।

राष्ट्रपति जी ने कई बातें अपने एड्रेस में कही हैं। माननीय सदस्यों ने उनमें से कई का जिक्र अपने भाषणों में किया है। हमारी हुकूमत की जो पालिसी रही है, जो रुख उस ने यू० एन० में अख्तियार किया है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं और मैं समझती हूं कि सदन के तकरीबन सभी मैम्बर सहमत होंगे कि वह सही था। फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगी कि हालांकि मैं यह नहीं बता सकती हूं कि हमें और क्या करना चाहिये था लेकिन फिर भी मैं महसूस करती हूं कि यू० एन० को जिस मजबूती से काम करना चाहिये था उस मजबूती से काम वह नहीं कर सका है। खास कर कांगो में जिस तरह से यूनाइटेड नेशन्स के लोग रहे, जितनी भी हुकूमतों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज थे, चाहे वे किसी भी मुल्क के रहे हों, उनके लिये यह एक बहुत अफसोस और शर्म की बात रही। जो लोग वहां पर विक्टिम्स बने, जिन लोगों का कत्ल हुआ, उनकी यूनाइटेड नेशन्स ने क्या मदद की? जिस तरह से वे वहां पर लाचार हो कर कमजोरी से बैठें रहे उससे मुझे याद आता है कि कभी कभी जब फसाद होते हैं, तो जहां अफसर अच्छे नहीं होते हैं और जहां कभी कभी कर्फ्यू लगा दिया जाता है, वहां उस कर्फ्यू की शक्ल यह बनती है कि जो कत्ल करने वाले होते हैं उनको खुली छट होती है और जो उसके विक्टिम्स होते हैं वह उनके ही विरुद्ध बैठता है। कांगो में भी इसी तरह से हुआ कि जो लोग यूनाइटेड नेशन्स को बुला कर ले गये थे, और जिन की उसे मदद करनी चाहिये थी, वह उनको बचा नहीं सके। दूसरे लोगों को रोके रक्खा और उन्होंने जो चाहा किया। फिर भी मुझे उम्मीद है, जैसा कि हमारे प्रधान मन्त्री ने और राष्ट्रपति जी ने कहा, हम लोग खास तौर से इसके लिये और अच्छी तरह से कारवाई कर सकेंगे।

मैं एक और बात का जिक्र करना चाहती हूं, पर मैं सोचती हूं कि कहीं कोई गलतफहमी न हो जाय मेरे कहने से, इसलिये थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहना चाहती हूं। हमारे राष्ट्रपति के एड्रेस में उन विजिटर्स का भी जिक्र हुआ जो हमारे यहां बाहर से आते हैं। मैं सफाई से कहना चाहती हूं कि किसी भी हुकूमत का आदमी हो या किसी देश का आदमी हो, जो यहां बाहर से आता है, उसके लिये मेरे दिल में उतना ही आदर है जितना किसी मुल्क के आदमी के दिल में होना चाहिये। फिर भी मैं अर्ज करना चाहती हूं, और मैं चाहता हूं कि हुकूमत इस बात को देखे, कि जब हमारे विजिटर्स बाहर से आते हैं उस वक्त हमारे ट्रैफिक का जो इन्तजाम होता है, कभी अच्छा और कभी बुरा, तो रास्ते उससे अचानक बन्द हो जाते हैं। दिल्ली वालों के लिये किसी भी जगह समय से पहुंचना मुश्किल हो जाता है, चाहे वह कारोबारी हो, चाहे वह बीमार हो चाहे वह मरता हुआ ही आदमी क्यों न हो। कुछ पता नहीं रहता कि कहां पर सिपाही खड़ा हो और जाने से रोक दे और किधर से जाना पड़े १ रु० टैक्सी से लेकर तो ४ रु० का बिल बैठता है। कितना भी उपाय कीजिये, यह होता रहता है, रोज रोज का काम हो गया है। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि रास्ते कम से कम रुकें, नहीं तो हमारा जोश और उत्साह इस तरह से ठंडा होने लगता है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

एक विजिटर के लिये मैं खास तौर पर कहना चाहती हूं। इंग्लैण्ड की महारानी के आने से और उनके स्वागत से हमारे देश के सभी लोग बहुत खुश थे। हम दिल से उनका आदर करते हैं, और मैं सफाई से इस बात को कहना चाहती हूं, क्योंकि हम को अपनी जमात के अन्दर अपने नेताओं की ट्रेनिंग मिली है। जब अंग्रेज हुकूमत हिन्दुस्तान में थी, जिसको हम बदलना चाहते थे, उस वक्त भी हम को यही शिक्षा दी गई थी कि हम अंग्रेजों से नफरत नहीं करते। हम चाहते थे कि उनकी हुकूमत चली जाय लेकिन उन से दिल से नफरत नहीं करते थे। जो लोग पुराने नेतृत्व के नीचे काम कर चुके हैं उनके दिल में हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद अंग्रेजों के प्रति कोई नफरत या नाराजगी नहीं है। पर हमारे यहां महारानी एलिजाबेथ के आने के बाद का जो प्रोग्राम रक्खा गया, मुझे शुबहा है कि उसके बनाने में कोई बड़ा भारी घपला हुआ। मैं जानना चाहूंगी कि जयपुर में जो दरबार लगने की कहानी सुनी, वह दरबार कैसे होल्ड किया गया। अखबारों में उस दरबार के होल्ड करने की कहानी निकली कि उसमें पुराने राजे बुलाये जायेंगे, पुराने जागीरदार बुलाये जायेंगे, लेकिन उस दरबार में जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले जाने से इंकार कर दिया था, फिर शायद गये। वहां के गवर्नर साहब के साथ भी वहां कुछ कंट्रोवर्सी हुई, जो कि महारानी के हिन्दुस्तान में होने के बाद नहीं होनी चाहिये थी। यह बात अच्छी नहीं हुई, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम बना। यहां भी अखबारों में पढ़ा कि २६ जनवरी को पार्लियामेंट के मेम्बरों की सीट बहुत पीछे लगाई गई, थीं, जो कि नहीं लगनी चाहियें थीं। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि अगर राजस्थान में महारानी स्टेट गैस्ट नहीं थीं तो उनको महराजा का गेस्ट होने की इजाजत कैसे मिली। बाहर से जो विजिटर आया करेंगे या क्या वे किसी बहाने से, किसी भी रिश्ते से, प्राइवेट मेहमान बना करेंगे? आपने कंट्रोवर्सी उठाई कि चीफ मिनिस्टर का क्या स्टेटस है और गवर्नर का क्या स्टेटस है, महाराजा का क्या स्टेट्स है। इस तरह से जो यह प्रोग्राम बना, उससे मेरे दिल में यह शुबहा हुआ कि क्या अब भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन के दिल में एक छिपा हुआ दुःख है कि अंग्रेज लोग यहां से क्यों चले गये। मुझ को ऐसा लगा कि इस तरह के प्रोग्राम के बनने से उन लोगों को फायदा पहुंचा जो आज भी हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों का राज्य पसन्द नहीं करते। यह दरबार का किस्सा हुआ, किसी बहाने से वह सब राजे महाराजे इकट्ठे हुए, तो भी दरबार अगर किया गया तो महारानी प्राइवेट मेहमान कैसे बनीं। यह बात सिर्फ हमारे सामने ही नहीं, हिन्दुस्तान के तमाम लोगों के लिये साफ होनी चाहिये।

मैंने अखबारों में यह भी पढ़ा कि इंग्लिश पेपर्स में यह कमेण्ट निकला कि उनकी महारानी जर्मन कार मर्सिडीज में बैठीं। उनकी देशभक्ति तो देखिये कि वहां के अखबारों ने हल्ला मचाया कि उनकी महारानी जर्मन कार में क्यों बैठीं, वे ब्रिटिश कार में क्यों नहीं बैठीं, रोल्स रायस में क्यों नहीं बैठीं? वे हमारी मेहमान थीं, हमने रोल्स रायस नहीं मंगाई, जर्मन कार मर्सिडीज में उनको बिठलाया, लेकिन क्या इस को छोड़ कर कोई और कार नहीं थी हमारे यहां की जिसमें वह बैठ सकें? इसलिये मैं चाहती हूं कि हम उनका दिल से आदर करते हैं, फिर भी इन बातों का हम ख्याल रक्खें।

एक और बात बड़ी अनप्लेजेन्ट हुई, जो कि नहीं होनी चाहिये थी। महारानी की मेहमानदारी के दिनों में उन के ऊपर किये जाने वाले खर्च के बारे में बड़ा भारी कंफ्यूजन हुआ। हमने अखबारों में पढ़ा कि कारपोरेशन ने कहा कि उनको प्राइम मिनिस्टर के कहने से इतना खर्च करना पड़ा, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि खुद इतना खर्च नहीं करना चाहते थे। जब कोई आदरणीय मेहमान हमारे देश में हो, उसके प्रोग्रामों पर अगर कोई खर्च हो, और सूरतें इस किस्म की बनें तो इससे आने वाले की भी बदनामी होती है और हमारी बदनामी तो होती ही है। इसलिये मझे निवेदन करना है कि हमें सब बातों को सोच कर सब चीजें प्लैन करना चाहिये।

हमारा जो प्रेजिडेंशल एड्रेस है उसके अन्दर बड़ी भारी कंट्रोवर्सी की चीजें हमारे सामने आती हैं, और मैं उनका भी जिक्र करना चाहती हूं। हमारे यहां लैण्ड पर सीलिंग लगाने की पालिसी बहुत अर्से से बन चुकी है, लेकिन उसका इस एड्रेस में कोई जिक्र नहीं है कि वह कब इम्पिलमेंट की जायेगी। हमें इस बात की खुशी है कि पब्लिक सेक्टर में बहुत तरक्की हुई है, लेकिन हालांकि प्रेजिडेण्ट के एड्रेस में इस बात की नोटिस लीं गई है, फिर भी डिफेन्स फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हुआ है और जो नई-नई चीजें बनीं उनका उसमें जिक्र नहीं है। जहां पर पब्लिक सेक्टर की दूसरी चीजों, जैसे मशीन टूल्स या दूसरी चीजों का जिक्र होना चाहिये था वहां इस बात का भी जिक्र होना चाहिये था कि डिफेन्स फैक्ट्रीज में क्या प्रोडक्शन हुआ है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बड़ा भारी निशाना उन पर लगाया जाता है और उनका क्रिटिसिज्म किया जाता है, उनको घटा कर दिखलाने की कोशिश की जाती है।

हमारे प्रेजिडेंट्स एड्रेस में मजदूरों के बारे में कहा गया, वह भी एक मुबारकबादी की चीज है। मैं अपने लेबर मिनिस्टर को मुबारकबाद देती हूं कि उन्होंने कोड आफ डिसिप्लिन जैसी चीज बना कर हिन्दुस्तान में मजदूर भाइयों के लिये बहुत कुछ करने की कोशिश की और उनके लिये बहुत सी स्कीमें बनाईं। लेकिन इतना मैं और निवेदन करना चाहती हूं कि कोड आफ डिसिप्लिन पर मालिकों की तरफ से भी अमल होना चाहिये। इसके लिये अभी कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। जितने भी हमारे कानून बनते हैं और मालिक उन को नहीं मानते हैं। तो उनके विरुद्ध मजदूरों के केसेज सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, और सात- सात और आठ आठ बरस तक उनके केसेज लटकते रहते हैं। बहुत जरूरी है कि इसके लिये भी कदम उठाये जायें और मजदूरों के लिये जो स्टेट पालिसी बनती है उसको इम्प्लीमेंट करने के वास्ते मजबूत कदम हुकूमत उठाये।

मुझे इस बात की भी मुबारकबाद देनी है कि हमारे राष्ट्रपति के एड्रेस में यह लिखा गया है कि कोआपरेटिव्स की बहुत तरक्की हुई है। मुझे अदब से इतना अर्ज करना है कि हमें इसमें एक खतरे की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों को और जिन इंटरेस्ट्स को हटाने के लिए हम कोआपरेटिव्स बनाते हैं वह खुद ही जाकर कोआपरेटिव्स बना लेते हैं। यह जिक्र हुआ कि कई करोड़ का लोन डिसबर्स हुआ है। लेकिन देखने की बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट का उस पर सुपरवीजन है या नहीं क्योंकि इसमें एक कंट्रोवर्सी की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का सुपरवीजन कम होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि ज्यादा होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा छूट मिलनी चाहिए। मैं अदब से अर्ज करना चाहती हूं कि हमने यह पौधा नया लगाया है और इसके जरिए हम यहां के आर्थिक हालात को बदलना चाहते हैं। अगर इस पर हुकूमत का सुपरवीजन न हुआ तो खतरा यह है कि जिन लोगों से हम इसको बचाना चाहते हैं उनके ही हाथों में यह चली जाएगी। जो लोन दिए जाते हैं अगर आप उनका ब्रेक अप निकालें तो आपको पता चलेगा कि जो लोग लाखों के लोन लेते हैं उनकी बड़ी भारी तादाद निकलेगी और जिसको हजार, दो हजार या पांच हजार का लोन लेना होता है, मेरा अपना अनुभव है कि, उसको छः छः और आठ आठ महीने धक्के खाने पड़ते हैं। तो यह निहायत जरूरी है कि जब हुकूमत इतने उत्साह के साथ इस चीज पर चल रही है तो वह इस बात का ध्यान रखे।

आखिर में मैं एक बात ही और कहना चाहती हूं। बाहर से जो हमारे देश की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, उसके बारे में राष्ट्रपति ने कहा है कि हुकूमत उसके बारे में बहुत सतर्क है और हुकूमत इस बात का इन्तिजाम कर रही है कि हम जहां तक हो सके अमन और शान्ति से उसका मुकाबला करें और उसका हल निकालें। पर मैं हुकूमत से इतना कहना चाहती हूं कि जितना हमारी फौजों का जमा होना और जितना हमारी फैक्टरियों और इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना बाहर के मुकाबले के लिए

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

जरूरी है. उससे भी ज्यादा जरूरी हिन्दुस्तान के लोगों को मिला कर रखना है। हम देखते हैं कि देश में इधर उधर चुट पुट राइट हो जाते हैं, कभी फिरकापरस्ती के नाम से, कभी जाति के नाम से, कभी धर्म के नाम से और कभी जबान के नाम से। हमारी हुकूमत को उनको भी रोकना चाहिये। लेकिन मुश्किल यह हो जाती है कि इन बातों को स्टेट सबजैक्ट मान कर सेंटर की तरफ से बहुत अरसे तक इनमें दखल नहीं दिया जाता। पर यह चीज हिन्दुस्तान के लोगों को एक रखने से सम्बन्ध रखती है। इसलिए इसमें इस पार्लियामेंट को और सेंटर की हुकूमत को, हमारे प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए जिससे कि लोग एक होकर कहें। इस पर तवज्जह देने में देरी होने की वजह से यह चीज हिन्दुस्तान के दूसरे कोनों में भी फैलती है। मैं चाहती हूं कि कोई ऐसा मूव हो कि जिससे इस तरह की चीज जहां पैदा हो वहीं इसको रोक दिया जाए।

इतना कह कर मैं यह कहना चाहती हूं कि जो चीजें इस एड्रेस में रखी गयी हैं मैं उनका स्वागत करती हैं और उम्मीद करती हूं कि हुकूमत उन सब को बहुत जल्द इम्प्लीमेंट करने की चेष्टा करेंगी।

†**श्री कर्णी सिंह जी** (बीकानेर) : भारत चीन सीमा विवाद के संबंध में भारतीय विशेषज्ञों का जो दल चीन गया उसने प्रशंसनीय कार्य किया है अतः वे बधाई के पात्र हैं।

अभिभाषण में यह कहा गया है कि मेरी सरकार को आशा है कि चीन की वर्तमान अनिच्छा अथवा दुराग्रह के बावजूद शीघ्र ही उन सीमाओं के बारे में, जो हमारे और उसके बीच सांझी हैं, हमारे देश के साथ सन्तोषजनक समझौता करने के लिये तैयार हो जायेगा इसमें सन्देह नहीं कि हमारे प्रधान मंत्री की कूटनीति साधारण संसद् सदस्य के पल्ले नहीं पड़ती है तथापि यह बात समझ में नहीं आती कि चीन जैसा दुराग्रही राष्ट्र किस प्रकार स्वतः ही अतिक्रमण किये गये क्षेत्र को छोड़ने की तैयार हो जायगा।

वस्तुतः यह हमारी अस्थिरता का ही प्रमाण है कि नैपाल, सिक्किम और भूटान को भी हम पर विश्वास नहीं रहा है, दुर्भाग्य से संसद् के बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी प्रधान मन्त्री अतिक्रमण किये गये भूभाग को वापस लेने के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं बता सके हैं।

चीन का रवैया देख कर हिटलर की याद आती है जिसने इसी तरह पड़ौसी देशों की भमि हड़पने की नीति अपनायी थी, एक वर्ष पूर्व भी मेरा यही विचार था कि विशेषज्ञों के दलों को भेजने की बात केवल बहाना मात्र है और इस प्रकार चीन विलम्ब करके अपना अधिकार और मजबूत करना चाहता है, अब हमने देख लिया कि ठीक यही हुआ भी। अब चीन काश्मीर का भारत में विलय मानने को तैयार नहीं है।

प्रधान मन्त्री की तटस्थ वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में हम बहुत सुन चुके हैं तथापि यह सोचना है कि क्या यह नीति वर्तमान स्थितियों में भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतः हमें यह सोचना है कि क्या हम विश्व के अन्य लोकतन्त्रात्मक राष्ट्रों से सहायता लें या इस आशा से सौ वर्ष तक बैठे रहें कि चीन स्वयं ही वह क्षेत्र खाली कर देगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में जो उत्तर दिये हैं वह भी टालने वाले ही हैं । अतः जब हमारे गांव के आदमी इस सम्बन्ध में कुछ पूछते तो हमें भी उसी प्रकार के उत्तर देने होते हैं, मैं नहीं चाहता कि प्रधान मन्त्री हमें कोई गोपनीय सूचना देवें तथापि उन्हें निश्चित नीति अवश्य बतलानी चाहिये ।

प्रधान मन्त्री को चाहिये कि ऐसे कठिन समय में प्रतिरक्षा मन्त्री का पद किसी नवयुवक को दिया जाना चाहिये ।

इस बीच राजस्थान की नहरों में पानी बहुत कम हो गया है, लोगों का यह विचार है कि इसका कारण नहरी पानी समझौता है, मैंने इस सम्बन्ध में सिंचाई विद्युत मन्त्री से बातचीत की उनका कहना है कि ऐसा नदियों में पानी कम होने के कारण हुआ है । मैं आशा करता कि मन्त्री महोदय इस आश्वासन का पालन करेंगे कि पंजाब और राजस्थान के विशेषज्ञों को एक साथ बिठला कर इस पर विचार किया जायेगा कि राजस्थान को कम पानी क्यों मिल रहा है ।

अन्त में मैं संसद् के सभी सम्मानीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि देश में लोकतन्त्र तब तक कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता है जब तक देश में एक संगठित विरोधी दल न हो, अतः सभी विरोधी दलों को संगठित होकर एक संगठन कायम करना चाहिये तभी हम देश के सीमान्त से चीन को बाहर निकाल सकते हैं । श्री कैनेडी ने अपने उदाहरण से दिखला दिया है कि नवयुवकों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, मैं आशा करता हूं कि प्रधान मन्त्री इस दिशा की ओर निश्चित कदम उठायेंगे और अपने मन्त्रियों का चुनाव नयी पीढ़ी में से करेंगे ।

†स्वामी रामानन्द तीर्थ (औरंगाबाद) : माननीय सदस्यों ने भारत चीन सीमा विवाद के सम्बन्ध में इतना कुछ कहा है कि अन्य चीजें गौण हो गयी हैं । निस्सन्देह यदि हम चाहते हैं कि चीन हमारे देश के साथ समझौता करने को तैयार हो जाय तो इसके लिये हमें यह चाहिये कि विश्व के लोकतन्त्रात्मक देशों में ऐसा लोकमत तैयार किया जाय कि चीन को विवश होकर यह प्रदेश छोड़ना पड़े । यदि प्रधान मन्त्री इसके सम्बध में कोई गोपनीय जानकारी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इतनी तो जानकारी अवश्य देवें कि किस विशेष तारीख के बाद वहां अधिक अतिक्रमण नहीं हुआ और क्या वहां हमारी सेनाएं इतनी संख्या में हैं कि किसी प्रकार के अतिक्रमण को रोक लेवें ।

इस सम्बन्ध में साम्यवादी दल का दृष्टिकोण बहुत विचित्र है । उन्होंने सदैव इस सम्बन्ध में अपनी द्विविधापूर्ण राय जाहिर की है । इसी कारण देश के अन्य राजनैतिक दलों को उनका विश्वास नहीं है उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि देश में लोकतन्त्रात्मक शक्तियां मजबूत होती जा रही हैं अतः ऐसी विखण्डनात्मक शक्तियों के पनपने की यहां कोई गुंजायश नहीं है ।

वाह्य विपत्तियों के अलावा देश में कई ऐसे तत्व भी पैदा हो रहे हैं जिनकी ओर सरकार को सतर्क रहना चाहिये । अभी कुछ दिन पूर्व बीदर में एक जलूस निकाला गया, जो पाकिस्तानी झण्डा लहरा रहे थे और भारत विरोधी नारे लगा रहे थे । दुख की बात यह है कि स्थानीय अधिकारी केवल इतना ही कर सके कि उन्होंने झण्डा हटा दिया तथापि उन लोगों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी । मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इस मामले पर गम्भीर ध्यान देगी ।

प्रेसीडेंट अय्यूबखां ने ढाका में जो कुछ कहा है, हो सकता है कि उसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो लेकिन फिर भी विनम्रतापूर्वक उन्हें यह बता देना चाहिये कि उनके इस प्रकार के भाषण से भारत-विरोधी भावनायें बढ़ रही हैं जो राष्ट्रीय, राजनयिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से गलत हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[स्वामी रामा नन्द तीर्थ]

अभी हाल में महाराष्ट्र के मिराज नामक स्थान पर कुछ मुसलमान एकत्रित हुए थे और उन्होंने वहां राष्ट्र विरोधी भावनाएं प्रकट की थीं। इस प्रकार की भावनाओं को हतोत्साहित करना है। इस प्रकार की भावनाओं को जाग्रत करने का दायित्व किसी व्यक्ति अथवा दल पर नहीं है बल्कि हमारा राष्ट्र साम्प्रदायिक और जातीय भावनाओं को समाप्त करने में सक्षम नहीं हो सका है।

एक दूसरी बात भी है। उत्तर में पंजाबी सूबा के नाम पर सिख साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। अगर यह मांग वास्तव में भाषा के आधार पर होती तो जनमत का समर्थन इसे प्राप्त हो जाता। और यह बात भी समझ में आ जाती। अभी जबलपुर में भी साम्प्रदायिकता को लेकर काफी झगड़ा हुआ है। इन परिस्थितियों में इस बात की आवश्यकता है हमें अपना राष्ट्रीय संगठन मजबूत करना चाहिये और एक स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करना चाहिये ताकि हमारी दिमागी अस्थिरता न बिगड़े।

भाषायी अल्पसंख्यकों से मेरा निवेदन है कि वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों पर ही संतोष करें। यह बात तो ठीक है कि यह मामला भावुकतापूर्ण है। और इन समस्याओं को अभी हल करना भी है। यदि हम अधिक सावधानी और अधिक ध्यानपूर्वक इनको हल करें तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। प्रधान मंत्री ने अपने भाषणों में कई बार इस बात का उल्लेख किया है है कि राष्ट्रीय एकता बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि राष्ट्रीय एकता रहने में योजनायें बाधक होती हैं तो वे उनकी अवहेलना करेंगे। राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में यह आशा प्रकट की है कि लोग समाजवादी समाज के लिये कार्य करेंगे। लेकिन अगर साम्प्रदायिकता बढ़ती रही और उसे प्रभावी रूप से नहीं दबाया गया तो इस उद्देश्य की पूर्ति होना संभव नहीं है।

**श्री रामसिंह भाई वर्मा** (निमाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर काफी प्रकाश डाला है। माननीय सदस्यों ने भी इस पर काफी अपने विचार प्रकट किये हैं। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब से हम आजाद हुए हैं, तब से हमारी समस्यायें कम होने के बजाय बढ़ी हैं। हमारे सामने पहले काश्मीर का सवाल था और पाकिस्तान का झगड़ा था। हमारे सामने गोआ का सवाल था, पुर्तगाल से झगड़ा था। इन समस्याओं को हम हल नहीं कर पाये हैं। उसके बाद चीन के साथ खाम-ख्वाह से झगड़ा हो गया और वह घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। रोज़-ब-रोज़ हम देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी समस्यायें कम होने के बजाय बराबर बढ़ती जा रही हैं।

**श्री बजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : उन्नति हो रही है।

**श्री रामसिंह भाई वर्मा** : आपकी सलाह की जरूरत नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये सारी परिस्थितियां हैं तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा घटने के बजाय बढ़ी है। इतना ही नहीं बड़े बड़े राष्ट्र भी हमारी तरफ देखते हैं और हमेशा यह आशा लगाये बैठे रहते हैं कि हिन्दुस्तान की अमुक विषय में क्या आवाज़ है और जब कभी हम अपनी राय किसी विषय में देते हैं तो उसको वे काफी वजन देते हैं और काफी महत्व का स्थान उसको मिलता है।

जहां तक माननीय सदस्य डांगे का सवाल है, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, वे दिन में तीन दफ़ा रंग बदलते हैं। उनकी बात का मैं नोट नहीं भी लेना चाहता क्योंकि सन् १९६२ बहुत नजदीक आरहा है और इसलिये उन्हें न मालूम कितने रुप धारण करने होंगे। उनका शरीर आत्मा

के साथ नहीं है, उनके हृदय और मगज़ का भी साथ नहीं है। जब ऐसी बात है तो फिर ज़बानी बात का, ज़बान हिला देने भर की बात का कहां तक विश्वास किया जाए, यह एक कठिन सवाल है।

अशोक मेहता जी भी बोले और दूसरे माननीय सदस्य भी बोले और उन्होंने भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे जो सवाल हैं, उनका जिक्र किया है। मैं मानता हूं कि जो नीति हिन्दुस्तान ने अपनाई है, उसके सिवाय दूसरा चारा नहीं है। जो कुछ विरोधी पार्टी वालों ने कहा है, चीन के बारे में या अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में, मैं समझता हूं कि अगर उनकी बुद्धि से काम लिया जाता तो हिन्दुस्तान कभी का खत्म भी हो गया होता।

केवल कहने की बात नहीं है, करने की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जबान हिलाने वाले क्या बाडर पर गये हैं और क्या उन्होंने यह कहा है कि चूंकि गवनमेंट की पालिसी नाकामयाब साबित हुई है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, हम जाकर वहां लड़ेंगे, मरेंगे। मरने की बात तो दूर, मैं समझता हूं उन्होंने तीन बार खाया होगा दिन में।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में केवल बातों से काम नहीं चलता है बल्कि सवाल ये है कि घर में हम कितने मजबूत हैं, हम में कितनी एकता है। मैं मानता हूं कि चीन एक मिनट में हट सकता है अगर आपने यह महसूस किया होता कि हमारा देश मजबूत बनना चाहिये और उसको मजबूत बनाने के लिए आपने प्रयास किया होता। यह बात नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सोचा है कि पंजाब में क्या हो रहा है, जबलपुर में क्या हुआ है, बस्तर के महाराजा क्या कर रहे थे? इन सारी चीजों को आपको समझने की जरूरत है। विरोधी पार्टियों के सामने केवल जबान हिलाने के सिवाय मगज़ को हिलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। (अन्तर्बाधा) इस पहलू पर विचार करने को जरूरत है, सोचने की जरूरत है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यहां तो झगड़ा नहीं है, यहां तो सब ने जबान ही हिलानी है।

**श्री रामसिंह भाई वर्मा :** आप जानते ही हैं कि अमरीका और रूस दो बड़ी शक्तियां हैं। इनके पास बड़े बड़े साधन हैं। स्पूतनिक ये छोड़ रही हैं, मंगल और शुक्र तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनमें से आज किसी की भी यह हिम्मत नहीं है, किसी में भी ताकत नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ चक्कू तो क्या, एक पिन भी उठा सकें। मैं तो मानता हूं कि आर्थिक दृष्टि से जो देश मजबूत है वह देश सब तरह से मजबूत है। मैं लेबर का आदमी हूं और आंकड़ों को ज्यादा समझता नहीं हूं, लेकिन जितना भी समझने की कोशिश करता हूं उससे पता चलता है कि इस दिशा में हिन्दुस्तान बराबर आगे बढ़ रहा है। किसी भी देश का इतिहास उठा कर देखिये। रूस का इतिहास उठाकर देखिये, युगोस्लाविया अभी थोड़े दिनों से आजाद हुआ है, उसका इतिहास उठा कर देखिये, चाइना, जो पिछले साल तक लम्बी जबान निकाल कर बातें करता था, उसको देख लीजिये। यहां पर खबरें पहुंच रही हैं कि उनकी हालत आज क्या हुई है। वहां पर क्यू लगते हैं जैसे कि हिन्दुस्तान में सन् १९४३ और १९४४ में लगा करते थे। पाकिस्तान हमारे पड़ोस में है, उसकी हालत क्या है। हम आर्थिक दृष्टि से बराबर आगे बढ़ रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर, हम काफी आगे बढ़े। तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या होगा यह हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाय तो हमारी प्रगति बहुत काफी हुई है। जब हम आजाद हुये थे तब जो हमारा उत्पादन था, अब उससे डबल उत्पादन हो गया है। मैं इस सम्बन्ध में थोड़े आंकड़े रखना चाहता हूं। जब सन् १९५० में हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई उस समय के आंकड़ों को लेते हुए, अगर उनको हम १०० मान लें, तो सन् १९५९ में हमारा प्रोडक्शन ९२ परसेन्ट बढ़ा है। एक सवाल पैदा होता है, आप अपनी जरूरतें कैसी पूरी करेंगे, और विरोधी पार्टियां क्या कहना चाहती हैं। आज मैं इस चीज

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

को बतलाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे रोज़ाना फील्ड के अन्दर अनुभव होता है, कि उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने की जगह उसे घटाने की कोशिश की है ।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल गलत है ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से देश में हम जितना आगे बढ़े हैं और गरीबों को उसमें जितना फायदा पहुंचना चाहिये था उतना उन को नहीं मिला, इस में कोई शंका की बात नहीं है । जब हम फिगर्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा उत्पादन बढ़ा । अगर हम सन् १९५० के आंकड़ों को १०० मान लें तो सन् १९५९ में प्रोडक्शन १९२ हुआ है, अर्थात् ९२ परसेंट बढ़ा । लेकिन इम्प्लायमेंट कितना बढ़ा है ? एम्प्लायमेंट मुश्किल से २४ परसेंट बढ़ा है । अगर सन् १९५० में यह १०० था तो आज केवल १२४ हुआ है । अगर प्रोडक्टिविटी को हम सन् १९५० में १०० मान लें तो सन् १९५९ में वह बढ़ कर १५५ हुई है, यानी ५५ परसेंट बढ़ी है । अगर हम सन् १९५८ में के आंकड़ों को लें तो उस समय जितना हमारा एम्प्लायमेंट था उससे केवल साढ़े ६ परसेंट बढ़ा है जब कि उत्पादन लगभग साढ़े सोलह परसेंट बढ़ा है । एक वर्ष के अन्दर प्रोडक्टिविटी ५.२ परसेंट बढ़ी है ।

दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टैक्सेशन का बोझा गरीब लोगों पर ही बढ़ा है । अमीर लोग टैक्स से बचे हुए हैं और गरीब लोगों को इन्डाइरेक्ट टैक्स देना पड़ रहा है । प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन हम एम्प्लायमेंट नहीं दे रहे हैं उस हिसाब से, इसका मतलब यह है कि गरीबों को रोजगार नहीं मिला लेकिन अमीरों को प्राफिट मिल रहा है । अगर हम इनकमटैक्स को लें तो पायेंगे कि सन् १९४८ में जो टैक्सेशन था उसमें और आज के टैक्सेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है । दो, चार करोड़ इधर या दो, चार करोड़ उधर । लेकिन एक्साइज ड्यूटी जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, लेकिन आज चार सौ करोड़ रु० की एक्साइज ड्यूटी हम लोग दे रहे हैं और यह एक्साइज ड्यूटी गरीब और जो बेकार लोग हैं उन पर भी पड़ती है उन्हें भी देनी पड़ती है । इसलिये जो बजट आ रहा है, उसके अन्दर यह देखने की जरूरत है कि गरीबों के ऊपर इनडाइरेक्ट टैक्सेशन न बढ़े । इस पर बहुत गौर से सोचने की जरूरत है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोड आफ डिसिप्लिन का भी जिक्र है । यह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कोड आफ डिसिप्लिन किस के लिये है । क्या यह मालिकों अर्थात् एम्प्लायर के लिये भी है ? यह केवल मजदूरों के लिये है कि गो स्लो नहीं होना चाहिये, उनको गैर हाजिर नहीं रहना चाहिये, हड़ताल नहीं होनी चाहिये, कोई झगड़े का मौका नहीं आना चाहिये । चारों तरफ से मजदूर को बांध कर रखा गया है, लेकिन जो सरकारी कारखाने हैं, उनके अधिकारी जो हैं, वे कोड आफ डिसिप्लिन का कहां तक पालन करते हैं ? एक भी सरकारी कारखाना नहीं है, जिसमें कोड आफ डिसिप्लिन का पालन होता हो । तमाम अधिकारी मनमानी करते हैं, जिसको चाहा निकाल दिया, जिसको चाहा ले लिया, जिसको जो चाहें लें या दें, कारखाने के अन्दर उनकी पूरी मनमानी चलती है । इसी तरह से दूसरे एम्प्लायर भी मनमानी करते हैं । प्राइवेट सेक्टर में कोड आफ डिसिप्लिन सिफ मजदूर के लिये होता है जिस में वह चाहे तो सुप्रीम कोर्ट तक जाय । मजदूर तो कम से कम सुप्रीम कोट तक जा नहीं सकता, हां एम्प्लायर भले ही चला जाय । उसका आखिर जाता भी क्या है ? पैसा सारा कारखाने का लगे गा मामले को चलाने के लिये । मजदूर को पता भी नहीं लगेगा कि किस कारखा ने से दिया गया ।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । थोड़े दिन पहले इंडियन लेबर कांफरेंस में एक राय से यह निर्णय हुआ कि बोनस कमिशन मुकर्रर किया जाय ताकि यह सोचा जाय कि बोनस किस आधार पर दिया जाय । निर्णय हो गया, गवर्नमेंट आफ इडिया की तरफ से बोनस कमिशन नियुक्त किया गया । केवल एक मिल ओनर ने कहा, जिसका किसी यूनियन से झगड़ा चला था कि उसे यह चेअरमैन नहीं चाहिये । हमेशा जो ट्राइब्यूनल के चेअरमैन रहे हैं या इंडस्ट्रीयल कोर्ट के चेअरमन रहे हैं उन्हें ऐसे कमिशन या बोर्ड का चेअरमैन बनाया जा रहा है । ट्राइब्यूनल से तो झगड़ा पैदा नही हो सकता । अगर मिल मालिक यह कहता है कि फलां जज को चेअरमैन न बनाया जाय या मेम्बर न बनाया जाय तो कैसे काम चल सकता है । अगर मजदूर भी इसी तरह से कहने लगें तो मैं समझता हूं कि कोई मामला हल ही नहीं हो सकता है । हाई कोट के एक जज ने कोई फैसला दिया, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया । अब अगर कोई मालिक यह कहे कि हाईकोट के जज को डिसमिस कर देना चाहिये, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई । एम्प्लायर लोग इस बात के लिये कि प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेबर मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि गवनमेंट आफ इंडिया के अन्दर यह नहीं होना चाहिये । इस आधार पर प्राइम मिनिस्टर किसी भी एम्प्लायर से बात करने के लिये तैयार न हों, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर एक मजदूर यह मांग करना चाहे कि फलां जज नहीं होना चाहिये, या फलां मेम्बर नहीं होना चाहिये, तो यह कहां तक ठीक है । मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हुं कि यह एक बड़े सोचने की बात है ।

इसके साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया की फूड पालिसी के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं । हमारे देश के अन्दर किसी प्रदेश में कितना उत्पादन बढ़ रहा है कितना नहीं, इस को देख कर गवर्नमेंट आफ इंडिया को विचार करना चाहिये कि कोई हिस्सा देश का ऐसा न हो जहां पर लोगों को भर पेट खाना न मिलता हो । एक जगह अनाज सड़ा करता हो और दूसरी जगह लोग भूखे मरें, फिर गवनमेंट आफ इंडिया की तरफ से हाउस में यह जवाब दिया जाय कि फलां सरकार की गलती थी, इसका क्या मतलब है ? मैं जानता हूं कि इसमें कठिनाई किस लिये है । वह इसीलिये है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर गलती करती है तो उसको चैक नहीं किया जाता है । अगर कोई स्टेट गलत काम करती है तो उसे वह गलती न करने दी जाय । मध्य प्रदेश के अन्दर सरकार ने गेहूं खरीदा और वह सड़ गया, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया उस में कुछ नहीं कर सकी । यहां यह बात कही जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती है और स्टेट गवर्नमेंट की ओरसे ये कहा जाता है कि हमारा प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात के साथ रीजन बनाने को तैयार नहीं हुआ, इसलिये केन्द्र ने हमें दबाया । अगर केन्द्र ने कुछ नहीं किया तो हम महाराष्ट्र और गुजरात को अनाज नहीं उठाने दिया । मेरी समझ में नहीं आता कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह कहा जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दूसरी बात कही जाती है । एक तरफ अनाज सड़ता है और दूसरी तरफ हम विदेशों से अनाज मंगा कर लोगों को खिलाने की कोशिश करते हैं । इससे लोगों को कंफ्यूजन होता है । मध्य प्रदेश में गेहूं सड़ रहा है, पंजाब से गेहूं उठाया नहीं जा रहा है और अमरीका से गेहूं लाकर बम्बई आदि को खिलाया जा रहा है । यह नीति है या अनीति यह मेरी समझ में नहीं आता ।

दूसरी तरफ हर राज्य यह कोशिश कर रहा है कि हमारे प्रदेश के अन्दर औद्योगिक कारखाने डाले जायें । राजस्थान के रेगिस्तान में कारखाने डाले जा रहे हैं, महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, गुजरात आगे बढ़ रहा है । लेकिन मैं अपने प्रदेश की बात कहना चाहता हूं । मेरे प्रदेश की गवनमेंट की औद्योगिक नीति क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता । मध्य प्रदेश के अन्दर उद्योगों की यह हालत है कि जो हैं वे भी खत्म होते जा रहे हैं, और जब मिनिस्टर साहब से पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमारी पालिसी है । उनके पास एक फाइल है उसमें उद्योग नीति है वह कहते हैं कि हमारी पालिसी

[श्री राम सिंह भाई वर्मा]

इस फाइल में है। हम उस फाइल का क्या करें। हमारे पास इतनी अगरबत्ती भी तो नहीं कि हम उसे जला जला कर उस फाइल को धूप दिया करें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें तो मैं भी मेम्बर साहब की कोई मदद नहीं कर सकता।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : गवनमेंट को देखना चाहिये कि कौन सा राज्य गवर्नमेंट आफ इंडिया की औद्योगिक नीति के अनुसार चल रहा है। खास कर मेरे प्रदेश पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये यह मेरा निवेदन है।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने प्रमुखतया तीन समस्यायें हैं। प्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दोनों शक्ति गुटों से अलग रहने की कोशि विदेश नीति पर दृढ़ रहते हुए हम अपनी सीमाओं की रक्षा किस प्रकार करें। दूसरी अवस्था यह है कि राज्य के असाम्प्रदायिक स्वरूप को काय म रखते हुए, भाषा, पन्थ, और मजहब की विविधताओं को विकसित होने का पूरा अवसर देते हुए, हम राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार बद्धमूल करें, और तीसरी समस्या यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रेरणा को बनाये रखते हुए हम राष्ट्र में आर्थिक समता और आर्थिक वैभव किस प्रकार स्थापित करें।

इन समस्याओं के अन्तर्गत राष्ट्र जीवन के जो भी प्रश्न हैं उनका समावेश हो जाता है, और उनके प्रकाश में यदि हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पढ़ें तो इन समस्याओं का कोई स्पष्ट और समाधानकारक उत्तर हमें नहीं मिलता।

पहले भारत की सीमाओं पर विदेशी आक्रमण से जो संकट उत्पन्न हो गया है हम उसका विचार करें। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह आशा प्रकट की है कि देर से नहीं तो जल्दी ही चीन अपनी हठवादिता की नीति को छोड़ेगा। संसद के सदस्य और देश की जनता सरकार से यह जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो यह आशा प्रकट की गयी है उस का आधार क्या है? कौन से ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे हम समझें कि चीन अपनी हठवादिता की नीति को छोड़ देगा, भारत की सीमा पर से अपने आक्रमण को हटा लेगा और भारत के साथ फिर से, भारत की सार्वभौम सत्ता का सम्मान करते हुए, बराबर के सम्बन्ध स्थापित करेगा? पिछले कुछ महीनों की घटनायें और चीन के साथ अधिकारियों के स्तर पर हुई वार्ता इस प्रकार की आशा के लिये कोई आधार नहीं देतीं। इस वार्ता के द्वारा एक बार फिर से यह प्रकट हो गया है कि चीन भारत के साथ मित्रता नहीं चाहता, क्योंकि मित्रता एक ही आधार पर हो सकती है कि भारत की भूमि पर जो चीन का आक्रमण है उसे चीन हटा ले, मगर आक्रमण को हटाना तो दूर रहा, हमारी भूमि पर चीन अपने दावे को बढ़ा रहा है। भूटान और सिक्किम में हमारे सम्बन्धों को अमान्य कर रहा है। जम्मू और काश्मीर के भारत में सम्मिलिन को चुनौती दे रहा है। सीटो और सेंटो के सदस्य पाकिस्तान से हाथ मिलाने के लिये तैयार हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें एकाकी करने जा रहा है। दोनों अधिकारियोंकी रिपोट से यह स्पष्ट हो गया है कि चीन के इरादे अच्छे नहीं हैं।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह आशा प्रकट की थी कि जब सम्भव हो हम शान्तिपूर्ण समझौते द्वारा इस समस्या को हल करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि समझौते के लिये गुंजाइश कहां है? चीन अपनी जगह पर दृढ़ है। वह हमसे अपने आक्रमण को मनवाना चाहता है, हमें दबाना चाहता है। हमारी सार्वभौम सत्ता के लिये चीन ने जो चुनौती दी है, हम या तो उस चुनौती का दृढ़ता से सामना करें या फिर हम झुक जाएं, बीच का कोई रास्ता नहीं है।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार की नीति शान्तिपूर्ण किन्तु दृढ़ है। मैं चाहूंगा कि इसकी थोड़ी सी व्याख्या की जाए। देश शासन से इस प्रश्न का उत्तर चाहता है कि चीन के अधिकार में भारत की जो भूमि चली गई है वह कैसे वापस आयेगी, इसके सम्बन्ध में हमारी क्या नीति है? क्या अभी भी हम यह आशा करते हैं कि प्रेमपूर्ण वार्ता द्वारा चीन अपने आक्रमण को हटा लेगा। और अगर हम यह आशा करते हैं तो इस आशा का आधार क्या है?

कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि शायद युद्ध का तरीका ठीक नहीं है। वे सिद्धान्ततः युद्ध के विरोधी हैं। मैं शासन से इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हम आज युद्ध न करें, हम आज युद्ध की स्थिति में न हों, युद्ध करना हमारे लिये उपयोगी न हो, यह चीज़ तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन यह कहा जाए कि हम किसी भी प्रश्न पर युद्ध नहीं करेंगे, तब फिर युद्ध न करना एक सिद्धान्त बन जाता है। युद्ध न करना हमारी नीति है या सिद्धान्त है? और अगर यह सिद्धान्त के रूप में हम स्वीकार करते हैं तो फिर इतनी बड़ी सेना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो आचार्य विनोबा भावे की शान्ति सेना का संगठन होना चाहिये।

मगर मुझे इस सम्बन्ध में भी शक है। शान्तिपूर्ण तरीके से गोआ की मुक्ति के लिये जो जन आन्दोलन किया गया जिसे आपने बन्द कर दिया। आप गोआ में सैनिक बल प्रयोग भी नहीं करेंगे, आप गोआ में शान्तिपूर्ण सत्याग्रह भी नहीं होने देंगे और फिर भी आशा करेंगे कि गोआ मुक्त हो जाए। इस विचित्र नीति को समझने में मैं असमथ हूं।

*उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल जारी रखना चाहेंगे?

**श्री वाजपेयी** : जरूर जरूर।

†उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक सूचना देनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा १२३ संशोधन प्रस्तुत करने के लिये चुन लिये गये हैं। अब उन्हें प्रस्तुत किया जाये। चुने हुए संशोधनों की सूची आज रात को सदस्यों को परिचालित कर दी जायेगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :—

| संशोधन | प्रस्तावक का नाम | संक्षिप्त विषय |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १ | श्री सरजू पांडेय | द्वितीय पंचवर्षीय योजना जन साधारण के जीवन स्तर में प्रशंसनीय सुधार करने में असफल रही है का उल्लेख न किया जाना। |
| २ | श्री सरजू पांडेय | देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता का उल्लेख न किया जाना। |
| ३ | श्री सरजू पांडेय | सरकार खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकी है तथा कोई निश्चित मूल्य सम्बन्धी नीति निर्धारित नहीं कर सकी है, का उल्लेख न किया जाना। |

†मूल अंग्रेजी में

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ४ | श्री सरजू पांडेय | देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई भतीजा-वाद का उल्लेख न किया जाना । |
| ५ | श्री सरजू पांडेय | निरन्तर बढ़ती हुई नौकरशाही का उल्लेख न किया जाना । |
| ६ | श्री सरजू पांडेय | उर्दू भाषा के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख न किया जाना । |
| १२ | श्री ब्रजराज सिंह | कोयला खदानों से उपभोक्ता केन्द्रों तक कोयला लाने के लिए यातायात की रुकावटों को हल करने के लिए किन्हीं विशेष योजना का जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन बन्द हो गया है और जब से कोयला खानों में कोयला की खुदाई का काम भी मजबूरी में बन्द करना पड़ा है तथा कोयले के उत्पादन के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| १३ | श्री ब्रजराजसिंह | चीनी आक्रमण एवं उनके द्वारा अवैध रूप से जो क्षेत्र अधिकार में कर लिये गये हैं उनके खाली कराने के बारे में किसी विशेष योजना का उल्लेख न किया जाना । |
| १४ | श्री ब्रजराजसिंह | हमारी उत्तर सीमा की सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में किसी कठोर उपबन्ध का उल्लेख न किया जाना । |
| १५ | श्री ब्रजराजसिंह | कृषि उत्पादों के मूल्यों के गिरने की प्रवृति से किसान को होने वाले लाभ से बचाने के लिये कृषि उत्पाद मूल्य निर्धारण बोर्ड की नियुक्ति करने के बारे में सरकार के विचार का उल्लेख न किया जाना । |
| १६ | श्री ब्रजराजसिंह | देश में छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के अच्छे प्रबन्ध तथा विकास के बारे में और विशेष रूप से कच्चे माल जैसे कोयला, इस्पात आदि, के बारे में किसी विशेष योजना का उल्लेख न किया जाना । |
| १७ | श्री ब्रजराजसिंह | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्यापकों के साथ हुए उत्पीड़न के आधार पर जो अन्याय हुआ है उसे दूर करने के बारे में किसी कार्यवाही का कोई उल्लेख न किया जाना । |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| १८ | श्री ब्रजराज सिंह | खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिये कृषि योग्य बेकार भूमि को पुनः प्राप्त करने तथा बेरोजगारों को काम देने के बारे में किसी विशेष योजना का उल्लेख न किया जाना । |
| १९ | श्री ब्रजराज सिंह | अनार्थिक भूमिधरों को आर्थिक विनाश से बचाने के लिये अनार्थिक भूमि जोतों को निःशुल्क लगान करने के बारे में किसी विशेष योजना का कोई उल्लेख न किया जाना । |
| २० | श्री ब्रजराज सिंह | संघ की सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को रखने के बारे में सरकार को जो कार्यवाही करनी चाहिये उन कार्यवाहियों का उल्लेख न किया जाना । |
| २१ | श्री ब्रजराज सिंह | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्तावित निर्णयों को दृष्टि में रखकर कि कालिजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रविष्टि पर प्रतिबंध लगाया जाये, कालिजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का सुनिश्चियन करने वाली कार्यवाहियों का कोई उल्लेख न किया जाना । |
| २२ | श्री ब्रजराज सिंह | कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मंजूरी की व्यवस्था करने वाली कार्यवाहियों का उल्लेख न किया जाना । |
| २३ | श्री ब्रजराज सिंह | विशेषतः अस्थायी तौर पर एक व्यक्ति की प्रतिमास न्यूनतम आय १०० रुपये और अधिकतम आय १००० रुपये निर्धारित करके आय की असमानताओं को किस प्रकार दूर किया जायेगा इस बारे में किसी योजना का उल्लेख नहीं किया जाना । |
| २४ | श्री ब्रजराज सिंह | केन्द्रीय कर्मचारियों को जिन्होंने कर्मचारियों की गत साधारण हड़ताल में भाग लिया था किसी उत्पीड़न का शिकार बनाया जायेगा और जहां कहीं भी उत्पीड़न हुआ है उन कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर वापस ले लिया जायेगा इस बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |

| १ | २ | ४ |
|---|---|---|
| २५ | श्री ब्रजराज सिंह | तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कोई उल्लेख नहीं किया जाना । |
| २६ | श्री ब्रजराज सिंह | हमारे देश में विनियोजित पूंजी जिस पर अब तक उतना ही अथवा उससे अधिक लाभ हो चुका है राज्य द्वारा कोई प्रतिकर दिये बिना ही लेने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया जाना । |
| २७ | श्री ब्रजराज सिंह | विश्व में शांति बनाये रखने और जिन देशों को अभी तक स्वतन्त्रता नहीं मिली है उन्हें स्वतंत्रता दिलाने के लिये विश्व के राष्ट्रों का तीसरा गुट बनाने के सम्बन्ध में सरकारी प्रयत्नों का उल्लेख न किया जाना । |
| २८ | श्री ब्रजराज सिंह | देश के केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में, विशेष रूप से मनीपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में उत्तरदायी सरकार बनाने और वहां फिर से निर्वाचित विधान सभाएं बनाये जाने के बारे में उल्लेख न किया जाना । |
| २९ | श्री ब्रजराज सिंह | गोआ को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने एवं उसके विलय तथा दादर और नगर हवेली को भारत संघ में मिलाने के बारे में किसी विशेष योजना का उल्लेख न किया जाना । |
| ३० | श्री ब्रजराज सिंह | देश में बढ़ती हुई अराजकता और उसे रोकने के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ३१ | श्री ब्रजराज सिंह | गन्ना उत्पादकों को दिये जाने वाला गन्ने का मूल्य प्रतिमन २ रुपये और चीनी का कारखाना-मूल्य ३२ रुपये प्रतिमन निर्धारित किया जायेगा इसका कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ३२ | श्री तंगामणि | मद्रास राज्य की जनता की इच्छा के बावजूद भी मद्रास राज्य का नाम तामिलनाद रखने का कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ३३ | श्री तंगामणि | पांडिचेरी तथा अन्य दूसरे भूतपूर्व फ्रांसीसी क्षेत्रों का हस्तांतरण करने के बारे में किसी निश्चित तिथि का उल्लेख न किया जाना । |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ६० | श्री स० मो० बनर्जी | जिन केन्द्रीय कर्मचारियों ने जुलाई १९६० की हड़ताल में भाग लिया था उनको पुर:स्थापन करने के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ६१ | श्री स० मो० बनर्जी | केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के उन संघों एवं फैडरेशनों को फिर से मान्यता दिलाने के बारे में जो जुलाई १९६० की हड़ताल के बाद से छीन ली गई थी कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ६२ | श्री स० मो० बनर्जी | देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और सरकार द्वारा उसे हल करने के बारे में संभावित उपायों के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ६३ | श्री स० मो० बनर्जी | बेरूबाड़ी की जनता के पूर्व परामर्श के बिना उसे पाकिस्तान को हस्तांतरण करने के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ६४ | श्री स० मो० बनर्जी | देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और उसे समाप्त करने के बारे में संभावित उपायों के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ६५ | श्री स० मो० बनर्जी | तृतीय पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये राष्ट्रीय एकता हो इस बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ६६ | श्री स० मो० बनर्जी | वेतन आयोग की सिफारिशों के छपने के १।। वर्ष बाद भी उनकी कुछ अच्छी सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ६७ | श्री स० मो० बनर्जी | सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में कर्मचारियों के वास्तविक मजूरी की सुरक्षा करने के बारे में सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ६८ | श्री स० मो० बनर्जी | उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी और कुछ परि-योजनाओं को शीघ्र ही सरकार द्वारा पूरा करने के लिये संभावित उपायों का कोई उल्लेख न किया जाना । |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ६९ | श्री स० मो० बनर्जी | उत्तर प्रदेश में औद्योगिक तथा घरेलू प्रयोजन के लिये कोयले की अत्यन्त कमी, जिस के फलस्वरूप औद्योगिक इकाइयां बंद हुई तथा जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ७० | श्री स० मो० बनर्जी | सभी राज्यों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुविधाओं की सुरक्षा के लिये कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ७१ | श्री स० मो० बनर्जी | भूमिहीन किसानों को भूमि बांटने के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ७२ | श्री स० मो० बनर्जी | अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़े वर्गों के सुधार के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ७३ | श्री जगदीश अवस्थी | सार्वजनिक स्थानों तथा सरकारी काम में भविष्य में अंग्रेजी का प्रयोग कम करने के बारे में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ७४ | श्री जगदीश अवस्थी | प्रतिरक्षा और असैनिक सेवाओं में देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़े वर्गों को जिनमें हरिजन, शूद्र, मुसलमान तथा ईसाई भी सम्मिलित है, ६० प्रतिशत नौकरियां दिलाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ७५ | श्री जगदीश अवस्थी | मशीनों और कारखानों द्वारा निर्मित वस्तुएं तथा कृषि उत्पादों और खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने, और ऐसी मूल्य नीति निर्धारित करने जिसमें खाद्यान्नों का मूल्य वर्ष में एक आना प्रति सेर से अधिक तथा कारखानों एवं मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं का मूल्य उत्पादन मूल्य से १$^{1}/_{2}$ गुने से अधिक न हो, के बारे में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख न किया जाना । |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ७६ | श्री जगदीश अवस्थी | अलाभकारी जोतों को लगान कर से मुक्त करने के लिये कोई नीति निर्धारण करने के बारे में सरकार की असफलता का उल्लेख न किया जाना । |
| ७७ | श्री जगदीश अवस्थी | केमीकल (रासायनिक) लोहा, और चमड़ा उद्योगों के श्रमिकों के लिये वेतन आयोग की नियुक्ति करने के बारे में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ७८ | श्री जगदीश अवस्थी | उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों में आई बाढ़ के परिणामस्वरूप बहुत से प्रभावित भागों के परिवारों को पर्याप्त सहायता की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ७९ | श्री जगदीश अवस्थी | जिन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवाएं हड़ताल में भाग लेने के कारण समाप्त कर दी गई थी उनका पुनः स्थापन अथवा वैकल्पिक व्यवसाय की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ८० | श्री जगदीश अवस्थी | उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यापकों को पुनः स्थापित कराने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ८१ | श्री जगदीश अवस्थी | उच्च कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपात को समाप्त करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ८२ | श्री जगदीश अवस्थी | चीन द्वारा बलपूर्वक हथियाये गये भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया जाना । |
| ८३ | श्री जगदीश अवस्थी | गोआ को स्वतंत्र कराने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ८४ | श्री जगदीश अवस्थी | लंका में भारतीयों को नागरिकता के अधिकार दिलाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख न किया जाना । |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| ८५ | श्री जगदीश अवस्थी | अफ्रीका में भारतीयों के प्रति अपनाई गई रंगभेद की नीति के बारे में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ८६ | श्री जगदीश अवस्थी | सरकार की विदेश नीति की असफलता के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना । |
| ८७ | श्री जगदीश अवस्थी | देश में व्याप्त भुखमरी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर करने में सरकार की असफलता का उल्लेख न किया जाना । |
| ८८ | श्री जगदीश अवस्थी | अधिकतम तथा न्यूनतम आय में १० से १ का अनुपात रखने में सरकार की असफलता का उल्लेख न किया जाना । |
| ९४ | श्री अरविंद घोषाल | हाल की आसाम की घटनाओं का उल्लेख न किया जाना । |
| ९५ | श्री अरविंद घोषाल | आसाम की घटनाओं के शरणार्थियों का पुनर्वास करने के बारे में की गई कार्यवाहियों का उल्लेख न किया जाना । |
| ९६ | श्री अरविंद घोषाल | बेरूबाड़ी संघ के आधे भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का उल्लेख न किया जाना । |
| ९७ | श्री अरविंद घोषाल | चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए प्रदेशों को वापस लेने के बारे में सरकार की असफलता का उल्लेख न किया जाना । |
| ९८ | श्री अरविंद घोषाल | विदेशी सत्ता से गोआ को छुड़ाने के बारे में ठोस कदम उठाने का उल्लेख न किया जाना । |
| ९९ | श्री अरविंद घोषाल | केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के सिलसिले में की गई कठोर कार्यवाही का उल्लेख न किया जाना । |
| १०० | श्री अरविंद घोषाल | दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों का उल्लेख न किया जाना । |
| १०१ | श्री अरविंद घोषाल | भारत में लगभग सभी राज्यों में मुस्लिम लीग के समान साम्प्रदायिक संस्था की पुनः स्थापना का उल्लेख न किया जाना । |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| १०२ | श्री अरविंद घोषाल | देश के विभिन्न भागों में हुए साम्प्रदायिक दंगों का उल्लेख न किया जाना । |
| १०३ | श्री अरविंद घोषाल | भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का उल्लेख न किया जाना । |
| १०४ | श्री अरविंद घोषाल | राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने तथा उनको पुनर्वासित करने का उल्लेख न किया जाना । |
| ११३ | श्री तंगामणि | पांडिचेरी तथा अन्य भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों में औद्योगिक विधियां तथा अन्य विधियां लागू करने के बारे में, उच्चतम न्यायालय में वहां के मुकदमों की अपील करने के बारे में तथा पांडिचेरी के कपड़ा मिलों में कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति न करने के बारे में उल्लेख न किया जाना । |
| ११४ | श्री तंगामणि | छूट के सप्ताहों को बढ़ा कर हथकरघा बुनकरों को सहायता देने के बारे में तथा सरकारी संस्थाओं के द्वारा कृत्रिम रेशम का निर्यात करने के बारे में उल्लेख न किया जाना । |
| ११५ | श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | उड़ीसा तथा बिहार के सीमा विवाद को पूर्व खण्ड परिषद द्वारा हल न किए जाने पर जनता के असंतोष का उल्लेख न किया जाना । |
| ११६ | श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | बिहार के सराईकेला तथा खरसवां की उड़िया भाषा भाषी जनता के भाषाई तथा सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा के बारे में सरकार की असफलता का उल्लेख न किया जाना । |
| ११७ | श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | आयोजना के दस वर्ष के बाद भी देश में बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में सरकार की असफलता का उल्लेख न किया जाना । |
| ११८ | श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | कृषि श्रम जांच समिति के दूसरे प्रतिवेदन में बताये गये अनुसार देहाती जनता को ऋण देने में सहकारी ऋण आन्दोलन की असफलता का उल्लेख न किया जाना । |
| ११९ | श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | पंचायतों तथा जिला परिषदों के हाथों में वास्तविक सत्ता न होने का उल्लेख न किया जाना । |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| १२० | श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | आयोजना के दस वर्ष बाद के भी देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी रोकने में सरकार की असफलता का उल्लेख न किया जाना । |
| १२१ | श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | भूमिहीन किसानों को भूमि दिलाने तथा काश्तकारों के बेदखल करने से रोकने की नीति की असफलता का उल्लेख न किया जाना । |
| १२२ | श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | भारत के बहुत से भागों में सांविधानिक व्यवस्था भंग होने के बारे में तथा शांति से अपनी मांगें पूरी कराने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल समेत, भारत की जनता के आन्दोलनों को पुलिस तथा सेना द्वारा दबाये जाने का उल्लेख न किया जाना । |
| १२३ | श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | देश के पुनर्निर्माण में युवकों के महत्व का उल्लेख न किया जाना तथा युवक कल्याण कार्यों की क्रियान्विति के लिए तीसरी योजना में अधिक धन के आवंटन का सुझाव न दिया जाना । |
| १३८ | श्री वाजपेयी | शांति वार्ता के द्वारा चीन से समझौता करने के सरकार के प्रयत्नों के असफल हो जाने का उल्लेख न किया जाना और इस आशा में कि चीन कुछ समय बाद आक्रमणों को बन्द कर देगा, चीन के खतरे को कम समझना। |
| १३९ | श्री वाजपेयी | चीन द्वारा हस्तगत १२००० वर्ग मील भारतीय प्रदेश का उल्लेख न किया जाना और इस प्रकार इसका कोई आभास नहीं दिया जाना इन क्षेत्रों को सरकार किस प्रकार वापस लेने का विचार करती है । |
| १४० | श्री वाजपेयी | भारत के साथ मैत्री के संबंध रखने वाले राष्ट्रों के गुप्तचरों द्वारा भारत में कार्यों का उल्लेख न किया जाना । |
| १४१ | श्री वाजपेयी | गोआ को स्वतंत्र कराने के बारे में दिए गए वचन को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों का उल्लेख न किया जाना । |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| १४२ | श्री वाजपेयी | साम्प्रदायिकता के पुनः जागरण के कारण राष्ट्रीय एकता को धक्का पहुंचाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाना । |
| १४३ | श्री वाजपेयी | घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण, मुद्रास्फीति के कारण, बढ़ते हुए विदेशी ऋण के कारण, तीसरी योजना में परिवर्तन की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाना । |
| १४४ | श्री महन्ती | चीनी आक्रमण से भारतीय प्रदेशों को बचाने के लिए राष्ट्र की इच्छा को न समझना । |
| १४५ | श्री महन्ती | पुर्तगीज उपनिवेशवाद से सामान्य रूप में ही गोआ को स्वतंत्र करने की अब भी आशा रखना । |
| १४६ | श्री महन्ती | राजनैतिक विरोधियों के रूप में हत्यारों के हाथों से श्री लुमुम्बा और उनके साथियों को बचाने के लिए कांगो में संयुक्त राष्ट्र की असफलताओं का उल्लेख न किया जाना । |
| १४७ | श्री महन्ती | देश में बढ़ते हुये मतभेदों को दूर करने के लिये कार्यवाहियों का उल्लेख न किया जाना । |
| १४८ | श्री महन्ती | बढ़ते हुए मूल्यों की ओर ध्यान न देना और इनको रोकने के उपायों का सुझाव न देना । |
| १४९ | श्री महन्ती | निश्चित आश्वासनों के होने पर भी निर्यात व्यापार को बढ़ाने की ओर और विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण उद्योगों को होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान न दिया जाना तथा इस सम्बन्ध में कोई उचित सुझाव भी नहीं दिया जाना । |
| १५० | श्री महन्ती | भाषायी अल्पसंख्यकों को होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया जाना । |
| १५१ | श्री महन्ती | विशेषतया बिहार और उड़ीसा के बीच सराहकेला तथा खरसवां के सीमा विवाद तथा सामान्यतया अन्य राज्यों के भी सीमा विवाद के शीघ्रता से दूर करने का उल्लेख न किया जाना । |
| १५२ | श्री अ० क० गोपालन | साम्राज्यवादियों के पिट्ठुओं द्वारा कांगो के प्रधान मंत्री श्री पैट्रिस लुमुम्बा की निर्मम हत्या आदि के बारे में कांगो की नवीनतम घटनाओं का उल्लेख न किया जाना । |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| १५३ | श्री अ० क० गोपालन | कांगो में भारत द्वारा की जाने वाली नई, ठोस तथा प्रभावोत्पादक कार्यवाहियों का उल्लेख न किया जाना । |
| १५४ | श्री अ० क० गोपालन | कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके महा सचिव द्वारा शांति व्यवस्था स्थपित करने में असफलता का उल्लेख न किया जाना । |
| १५५ | श्री अ० क० गोपालन | कांगो के स्टैनलेंविले में श्री गिज़ेन्गा की सरकार को मान्यता न देने का उल्लेख न किया जाना । |
| १५६ | श्री अ० क० गोपालन | अल्जीरिया में श्री फरहत अब्बास की अस्थाई सरकार को मान्यता न देने का उल्लेख न किया जाना । |
| १५७ | श्री अ० क० गोपालन | गोआ से पुर्तगाली तानाशाहों को निकालने के लिये नये तरीकों का उल्लेख न किया जाना |
| १५८ | श्री अ० क० गोपालन | राष्ट्रीय आय में जो भी वृद्धि हुई है उसका उपयोग धनी वर्ग ने उठाया है, इसकी ओर ध्यान न दिया जाना । |
| १५९ | श्री अ० क० गोपालन | कृषि मज़दूर तथा अन्य निर्धन जनता को कम आय के कारण अधिक कठिनाइयों का उल्लेख न किया जाना । |
| १६० | श्री अ० क० गोपालन | राज्यों में अधिकतम सीमा के कानून बनाने में धीमी गति की ओर ध्यान न दिया जान, । |
| १६१ | श्री अ० क० गोपालन | दस वर्ष के आयोजित विकास के कारण भी आर्थिक विकास में प्रादेशिक विषमता बढ़ी है । |
| १६२ | श्री अ० क० गोपालन | भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या की ओर ध्यान न दिया जाना । |
| ६३ | श्री अ० क० गोपालन | देश में बेरोज़गारी की समस्या का उल्लेख न किया जाना । |
| १६४ | श्री अ० क० गोपालन | विदेशी पूंजी का हमारी अर्थ-व्यवस्था में आने का उल्लेख न किया जाना । |
| १६५ | श्री अ० क० गोपालन | स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सम्पत्ति के एकत्रीकरण तथा आर्थिक एकाधिकार का खतरनाक अनुपात होने का उल्लेख न किया जाना । |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| १६६ | श्री अ० क० गोपालन | केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आलोक तंत्रीय तरीके अपनाना तथा साम्यवादी दल तथा प्रगतिशील जनता के प्रति भेदभाव रखना। |
| १६७ | श्री अ० क० गोपालन | राजकीय कारखानों में जनता के भाग लेने के नाम पर बड़े बड़े धनी व्यक्तियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में धन लगवाया जाना। |
| १६८ | श्री अ० क० गोपालन | जीवन निर्वाह व्यय को कम करने के बारे में ठोस कार्यवाही का न किया जाना। |
| १६९ | श्री अ० क० गोपालन | साम्राज्यवादी देशों के बढ़ते हुये ऋणों के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था और देश की राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए खतरों पर ध्यान न दिया जाना। |
| १७० | श्री अ० क० गोपालन | क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो द्वारा की गई क्रान्ति की सराहना न करना। |
| १७१ | श्री भा० कृ० गायकवाड़ | दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, सट्ठेबाजी, अधिक लाभ उठाने, तथा चोर बाजारी को रोकने के लिए किए गए प्रभावोत्पादक कार्यों का उल्लेख न किया जाना। |
| १७२ | श्री भा० कृ० गायकवाड़ | उचित तथा ठीक आधार पर आर्थिक समानता स्थापित करके देश की साधारण जनता के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये किये गये कार्यों का उल्लेख न किया जाना। |
| १७३ | श्री भा० कृ० गायकवाड़ | महाराष्ट्र और मैसूर, महाराष्ट्र और गुजरात, तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा विवादों को सुलझाने में केन्द्रीय सरकार की असफलता। |
| १७४ | श्री भा० कृ० गायकवाड़ | अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आयुक्त के कई वार्षिक प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये कोई आश्वासन न देना। |
| १७५ | श्री भा० कृ० गायकवाड़ | देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी दूर करने के लिये कोई तरीका निर्धारित नहीं करना। |
| १७६ | श्री भा० कृ० गायकवाड़ | देश के भूमिहीन व्यक्तियों में सरकारी बेकार पड़ी भूमि का वितरण तथा बड़ी जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित करके भूमि सुधारों की एक समान नीति के बारे में असफलता। |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| १८७ | श्री नौशीर भरूचा | अभिभाषण में 'प्रतिरक्षा के लिये पूरी तरह से तैयारी' शब्द होने पर भी देश को चीन के आक्रमण के विरुद्ध असहाय की दशा में रखना । |
| १८८ | श्री नौशीर भरूचा | गोआ के बारे में अभिभाषण में "शांति से स्वतंत्रता" शब्द होने के कारण पुर्तगाल को उपनिवेशवाद नीति चालू रखने के लिये प्रोत्साहन देना । |
| १८९ | श्री नौशीर भरूचा | यद्यपि निरस्त्रीकरण समस्या के हल करने में भारत के योगदान का उल्लेख किया गया है परन्तु इसका उल्लेख न किया जाना कि नाभिकीय शासनों द्वारा आकाश में पहुंचने पर वह इसका प्रयोग सैनिक कार्यों के लिएं भी कर सकेंगे । |
| १९० | श्री नौशीर भरूचा | मूल्यों को मुद्रास्फीति की ओर बढ़ने को रोकने के कार्य-क्रम का उल्लेख न किया जाना । |
| १९१ | श्री नौशीर भरूचा | खाद्यान्नों के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिये विशेष उपायो का उल्लेख न किया जाना । |

†उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

**इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २१ फरवरी, १९६१/२ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

## दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २० फरवरी १९६१ / १ फाल्गुन, १८८२ (शक)]


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | ४१५—४२ |
| | **तारांकित प्रश्न संख्या** | |
| १४२ | प्रत्यर्पण विधि का संशोधन | ४१५—१७ |
| १४३ | महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म | ४१७—२० |
| १४४ | भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह | ४२०—२१ |
| १४५ | जापान को लौह-अयस्क का निर्यात | ४२१—२५ |
| १४६ | दिल्ली में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिये होस्टल | ४२५—२६ |
| १४७ | तीसरी पंचवर्षीय योजना | ४२६—२९ |
| १४८ | सरकारी उद्योग | ४३०—३१ |
| १४९ | पूर्व अफ्रीका को नकली सिल्क रेयन का निर्यात | ४३१—३२ |
| १५० | आन्ध्र प्रदेश में कांच की चादरें बनाने का संयंत्र | ४३२ |
| १५१ | कांच की चूड़ियों का निर्माण | ४३३—३५ |
| १५२ | नमक का निर्यात | ४३५—३६ |
| १५३ | निर्यात संवर्धन | ४३६—३७ |
| १५४ | राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम | ४३७—३८ |
| १५७ | चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता | ४३८—४२ |
| | **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | ४४२—६४ |
| | **तारांकित प्रश्न संख्या** | |
| १४१ | तिब्बत को सिकियांग से मिलाने के लिये रेलवे लाइन | ४४२ |
| १५५ | विदेशों में भारतीय राजदूतावास | ४४२—४३ |
| १५६ | नागा | ४४३ |
| १५८ | पूर्वी पाकिस्तान के आदिम जाति लोगों का त्रिपुरा में आना | ४४३ |
| १५९ | योजना सप्ताह | ४४३—४४ |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

**तारांकित**
**प्रश्न संख्या**


| | | |
|---|---|---|
| १६० | लंका के समीप भारतीयों की मृत्यु | ४४४ |
| १६१ | रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन | ४४५ |
| १६२ | सरकारी फाइलें | ४४५ |
| १६३ | मोटर गाड़ियों के पुर्जे | ४४५–४६ |
| १६४ | नई दिल्ली में सरकार द्वारा भूमि की नीलामी | ४४६ |
| १६५ | विदेशों में भारतीय फिल्मों का बाजार | ४४७ |
| १६६ | चाय अनुसन्धान केन्द्र | ४४७–४८ |
| १६७ | राष्ट्र मंडल के सदस्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका | ४४८ |


**अतारांकित**
**प्रश्न संख्या**


| | | |
|---|---|---|
| २५२ | चिड़ियाघर में एक दिन | ४४८ |
| २५३ | भारत तिब्बत व्यापार | ४४९ |
| २५४ | जम्मू तथा काश्मीर में गन्दी बस्तियों की सफाई | ४४९ |
| २५५ | पानी के कूलर | ४४९–५० |
| २५६ | लोक-निर्माण विभाग वस्तु शास्त्री | ४५०–५१ |
| २५७ | निर्माण कार्यों के अधीक्षण के बारे में नियम | ४५१ |
| २५८ | फलों तथा वनस्पतियों का निर्यात | ४५१ |
| २५९ | महाराष्ट्र में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण केन्द्र | ४५२ |
| २६० | हातिया में ढलाई गढ़ाई तथा भारी मशीनें बनाने के संयंत्र | ४५२ |
| २६१ | एन्नोर का उर्वरक कारखाना | ४५२–५३ |
| २६२ | सीमेंट का निर्यात | ४५३ |
| २६३ | पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ व्यापार | ४५३–५४ |
| २६४ | प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्वागत पर व्यय | ४५४ |
| २६५ | भूमि सुधार | ४५४–५५ |
| २६६ | भारतीय चीनी उत्पादिता दल | ४५५ |
| २६७ | 'स्विंग केडित' सीमा | ४५५ |
| २६८ | स्कूटरों के मूल्य | ४५५–५६ |
| २६९ | गिंडी में आद्यरूप प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र | ४५६ |

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः | | |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| २७० | गैर-सरकारी समवायों के लेखाओं का लेखापरीक्षण | ४५६ |
| २७१ | प्रति व्यक्ति विनियोजन | ४५६ |
| २७२ | क्रायोलाइट | ४५७ |
| २७३ | केरल में गन्दी बस्तियों की सफाई | ४५७ |
| २७४ | नई दिल्ली की लोधी कोलोनी की चैमरियां . | ४५७—५८ |
| २७५ | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मभारित संस्थापन के लिफ्ट कर्मचारी | ४५८ |
| २७६ | आयात नियन्त्रकों की भरती | ४५९ |
| २७७ | भारतीय शरणार्थी ठेकेदारों को भुगतान | ४५९ |
| २७८ | राज्य-व्यापार निगम . | ४६० |
| २७९ | कार, ट्रक, जीप, आदि का निर्माण | ४६० |
| २८० | उड़ीसा में गन्दी बस्तियों की सफाई | ४६१ |
| २८१ | हांडी घुग्रा कोयला खान . | ४६१ |
| २८२ | हैवी इलैक्ट्रिकल्स (प्रा०) लिमिटेड, भोपाल | ४६१—६२ |
| २८३ | पंजाब के लिये आवास बोर्ड . | ४६२ |
| २८४ | कलकत्ता और बम्बई में अस्पताल . | ४६२ |
| २८५ | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को अधिक भुगतान | ४६२—६३ |
| २८६ | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को अधिक भुगतान . | ४६३ |
| २८७ | इम्फाल में रेडियो स्टेशन . | ४६३ |
| २८८ | आकाशवाणी की लिफन्तरण तथा कार्यक्रम विनिमय सेवा | ४६४ |
| **निधन सम्बन्धी उल्लेख** . . . . | | ४६४ |

अध्यक्ष महोदय ने श्री उमाचरण पटनायक के, जो वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे निधन का उल्लेख किया ।

इसके बाद सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे ।

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . ४६४

चीनियों द्वारा सतलुज नदी पर बांध बनाये जाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १९ के १५ फरवरी १९६१ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति टेबल पर रखी गई ।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित** . . . . | ४६५ |
| एक सौ छैवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया । | |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** . . | ४६५–६८ |
| श्री स० मो० बनर्जी ने उत्तर प्रदेश, विशेषकर कानपुर में कोयले और कोक की अत्याधिक कमी की ओर इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री का ध्यान दिलाया । | |
| इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह ) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया । | |
| **समिति के लिये निर्वाचन** . . | ४६८ |
| निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा राजघाट समाधि समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुने। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । | |
| **विधेयक पारित** . . . . . | ४६८–७४ |
| द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) विधेयक १९६० पर आगे खण्ड वार चर्चा समाप्त हुई और विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया। | |
| **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव** . . . . | ४७४–५१८ |
| श्री भक्त दर्शन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री चे० रा० पट्टाभिरामन ने उसका अनुमोदन किया। धन्यवाद प्रस्ताव पर एक सौ तेईस संशोधन प्रस्तुत किए गए। चर्चा समाप्त नहीं हुई । | |
| **मंगलवार, २१ फरवरी, १९६१/२ फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि––** | |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथातत्सम्बन्धी संशोधनों पर आगे चर्चा । | |


GMGIPND—LS III—1982(Ai)LSD—16-3-61—125